राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या: 06

शुक्रवार,

10 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आय व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन। अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. बजट के माध्यम से हमने, प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लाने एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश को विकास के नये आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना से उत्पन्न विषम परिस्थिति के उपरान्त भी कुशल वित्तीय प्रबन्धन कर 80 प्रतिशत से अधिक जन घोषणाओं तथा 4 वर्षों के कुल 2 हजार 722 बजट घोषणा बिन्दुओं में से 85 प्रतिशत से अधिक को धरातल पर उतारने में हम सफल हुए हैं।

3. हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि सरकार में निर्णय, सभी वर्गों से विचार-विमर्श कर, उनके हितों का ध्यान रखते हुए एवं आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हों। इसी क्रम में इस वर्ष प्राप्त हजारों बजट संबंधी सुझावों का परीक्षण कर हमने यथा संभव जन सामान्य की भावनाओं को बजट में समावेशित करने का प्रयास किया है।

4. माननीय अध्यक्ष महोदय, दो वर्षों तक कोरोना की मार झेलने के बाद अब जैसा हम सब समझते हैं कि जन जीवन सामान्य होने लगा है तथा

(श्री अशोक गहलोत)

धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। हमारे द्वारा कोरोना के प्रारम्भ से ही 'राजस्थान सतर्क है'' की पहल के साथ, कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए, **भीलवाड़ा मॉडल** लागू करते हुए कुशल प्रबन्धन किया गया। हमने कोरोना काल में **'कोई भूखा ना सोये'** के ध्येय के साथ काम करते हुए लगभग 33 लाख परिवारों को 5 किस्तों में डीबीटी कर 5 हजार 500 रुपये की सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। हमारे इस प्रबन्धन की सराहना देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। हमने जहां एक ओर **2 हजार करोड़ रुपये** से अधिक राशि व्यय कर कोरोना की विभीषिका से पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 25 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही निजी व सरकारी विभागों में नौकरियों के अवसर सृजित कर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया है। किन्तु आज भी देश का आम आदमी महंगाई व बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है, वहीं युवा भी भविष्य को लेकर चिंतित व आशंकित है। इन समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को और अधिक कदम उठाने होंगे।

5. हमारी सरकार के इस कार्यकाल में कई चुनौतियां आईं, किन्तु जन-जन की सेवा के ध्येय के साथ हम सदा तत्पर रहे और आगे भी रहेंगे-

"कर्म में अगर सच्चाई है, तो कर्म कहां निष्फल होगा।

हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।"

समझ गये, बहुत शुक्रिया आप सबका।

प्रदेश की जनता, विशेषकर निम्न आय वर्ग के परिवारों को महंगाई की मार से बचाने के लिए हमारी सरकार ने पेट्रोल/डीजल पर वैट तथा घरेलू बिजली की दरों में कमी करने जैसे कदम उठाये, जिससे लगभग 13 हजार करोड़ रुपये वार्षिक का वित्तीय भार आया है, किन्तु आज भी आमजन केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई से त्रस्त है। अत: महंगाई से और अधिक राहत प्रदान करने की दृष्टि से-

I. मैं, समस्त लगभग **एक करोड़** NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ-साथ प्रदेश की जनता को अपनी जिन्दगी पुन: पटरी पर लाने के लिए और अधिक सहायता

(श्री अशोक गहलोत)

उपलब्ध करानी होगी। इसी क्रम में अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में, महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि के Bridge Courses चलाये जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं, अल्प आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ...(व्यवधान) एक मिनट, सॉरी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह भी इतिहास बनना ही लिखा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बैठें, आप बैठें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बजट की गरिमा को नहीं रखना है? (व्यवधान) आपके लीडर बैठे हुए हैं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी बैठी हुई हैं। जरूरी है क्या कि अपना रिकार्ड करावें? बिलकुल गलत तरीका है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) सब यू-ट्यूब पर देख रहे हैं। आपको प्रोब्लम है क्या? (व्यवधान) प्लीज, आप सीनियर लीडर हैं ...(व्यवधान) कटारिया जी, I am on legs. I am on legs. कटारिया जी, आप सीनियर आदमी हैं, I am on legs. I am on legs. ...(interruptions) I will not allow it. I am on legs. I say, I am on legs. माननीय कटारिया जी, I am on legs. I say, I am on legs. Please behave properly. कटारिया जी,

(श्री अध्यक्ष)

बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, I am on legs. I am on legs, कटारिया जी, आप सीनियर आदमी हैं, I am on legs. माननीय सदस्य, मैं खड़ा हुआ हूं। कटारिया जी, मैं खड़ा हुआ हूं, I am on legs. I say, I am on legs.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) अभी आप सुनना, छाती पर हाथ रख कर सुनना आप, तब पता लगेगा आपको कि बजट क्या होता है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय कटारिया जी, I am on legs. आप सीनियर आदमी हैं, ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी, एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें आप, I am on legs. I say, I am on legs. Mr. Madan Dilawar, I will name you. Don't behave like this. What is this? कटारिया जी, यह सीनियर आदमी हैं, I am on legs. You don't want to give respect to the Chair! कटारिया जी, मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। I will leave the house. I will not tolerate it. I say, I will not tolerate it. ...(interruptions) I am on legs. I am on legs. I am on legs. I say, I am on legs. Please behave properly. कटारिया जी, गलत परम्परा नहीं डालें। कटारिया जी, प्लीज। I am on legs. (interruptions) यह मेरा काम है। आप कौन हो मुझे कहने वाले?

I will not allow it. I will not allow it. I am on legs. I am on legs. I say, I am on legs.

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

I am on legs. मैं पैरों पर खड़ा हूं। I am on legs. I say, I am on legs. कटारिया जी, I am on legs. I am on legs, I said. I am on legs. I will not tolerate it. I am on legs. (interruptions) ऐसा नहीं होता है। कटारिया जी, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह गलत बात है।

माननीय कटारिया जी, प्लीज आप इनको बैठायें। I will listen him. (interruptions) आप इनको बैठायें। कटारिया जी, इनको बैठायें, मैं सुनूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

पहले इनको बैठायें। कटारिया जी, इनको बैठायें। कटारिया जी, आप इनको बैठायें। मैं बहुत दुख के साथ प्रतिपक्ष के नेता के व्यवहार से दुःखी होकर सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.12 बजे, 11.42 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 11.42 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कटारिया जी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। (व्यवधान) कटारिया जी, दो मिनट, माननीय सदस्य। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, कटारियाजी, आप बोलेंगे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान के इतिहास में यह पहली घटना है...

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात सुनूंगा, कटारिया जी ....(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनेंगे। मेरी बात तो सुनेंगे आप। कटारिया जी, आप मेरी बात सुनें। आप एक मिनट रुकिए। आप सीनियर लीडर हैं। आपकी मेरे से नाराजगी हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं, आप सीनियर हैं। मुख्य मंत्री जी खड़े थे, मैं लेग पर खड़ा था। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर भी आपको हर्ट फील हुआ तो I am really sorry for that. हाउस की एक परम्परा रही है। हमने आज दिन तक हिन्दुस्तान में एक इतिहास बनाया है। आज भी आपसे निवेदन है कि ....(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं बैठ जाता हूं, आप करिए। मतलब, आप अध्यक्ष की गरिमा को ही खतम करना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बजट पेश नहीं हो सकता है आज। (व्यवधान) बजट नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: मेरी बात सुनेंगे आप। आप बात तो सुनेंगे। बात ही नहीं सुननी क्या? अध्यक्ष की बात ही नहीं सुननी है? तो फिर आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। मैं डिक्टेट हो जाता हूं फिर। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इस सेंस में है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, जो बजट पढ़ रहे थे, उसमें हमने पास्ट

(श्री अध्यक्ष)

में भी अभी पता लगाया कि कभी-कभी कोई गलती हो जाती है तो करेक्ट करने की स्थिति बनती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, आपको लगता है कि वह भाषण ठीक नहीं था, यदि उसमें कुछ है तो आपको पूरा अधिकार है कहने का। आज की घटना में हर्ट कटारिया जी ने फील किया। मैं मानता हूं, आप सीनियर हैं और आपको पूरा अधिकार है पाइंट आउट करने का। एक अध्यक्ष के नाते मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े थे, मैं जब खड़ा हो गया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। कटारिया जी, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। अभी-भी आप कहेंगे, मैं सुनूंगा, आपका पूरा अधिकार है, परंतु एक अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी बात भी सुनेंगे। मैं आपसे यह अपेक्षा कर रहा हूं कि मेहरबानी करके राजस्थान का एक इतिहास रहा है। मानवीय भूल होती रही हैं। कोई पहली बार भूल नहीं हुई है। आंकड़ों में या किसी और चीज में कोई चीज आई हो तो समझ में आती है।

मैं अध्यक्ष की हैसियत से ये आपको निवेदन कर रहा हूं कि 11.00 बजे से लगाकर 11.42 तक जो भी घटनाक्रम हुआ, उसको एक्सपंज किया जाता है। नया हमारा हाउस शुरू होगा, मैं जब बैठ जाऊंगा उसके बाद।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा ....(व्यवधान) सतीश जी, आप मेरी बात सुनें, आपको पूरा अधिकार है। मैंने कहा न मैं सुनूंगा। कटारिया जी की बात मैं पूरी सुनूंगा। (व्यवधान) कटारिया जी, मेरे बैठने के बाद जो भी बोलना चाहें, अपने स्थान पर खड़े होकर, पूरा सुनूंगा मैं। पूरा अधिकार है कटारिया जी का। मैं इस बात से थोड़े ही मना कर रहा हूं, परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा इतिहास नहीं बनावें कि जो इतिहास आगे जाकर अपने को भी तकलीफ दे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप चाहते क्या हैं? आप बोलना नहीं चाहते हैं क्या? मैं आपके लीडर को अलाउ कर रहा हूं। माननीय सदस्य, प्लीज, माननीय कटारिया जी, प्लीज, I am on legs. I say, I am on legs. I have allowed it. माननीय राठौड़ साहब, प्लीज। Mr. Rathore, I don’t expect this from you. You are a senior politician. (व्यवधान)

माननीय कटारिया जी, अपनी बात कटारिया जी बोलें। कटारिया जी,

(श्री अध्यक्ष)

आप अपनी बात कहें। माननीय कटारिया जी, माननीय कटारिया जी .... (व्यवधान) माननीय कटारिया जी, मैं सुन रहा हूं ....(व्यवधान) मैं कटारिया जी की बात सुन रहा हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

बजट प्रस्तुति के समय बाह्य व्यक्तियों को बजट प्रति की उपलब्धता से बजट लीक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि बजट की अपनी एक सैंक्टिटी होती है। बजट का समय निश्चित रूप से राज्यपाल के द्वारा निश्चित तारीख होती है, समय होता है और उसके आधार पर जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, वह बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि एक सौ दिन की जो घोषणा कर रहे हैं शहरों में, वह तो पहले से ही की हुई है। 125 दिन की कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप समझो, तो मैंने उनको कहा कि पहले आप समझ लो। मतलब, इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर कहा कि यह बजट गलत पढ़ रहे हैं। इसका मतलब, उसके पास इस बजट की कापी कैसे गयी? उसके पास ये बजट की कापी कैसे गयी? ये तो लॉक एंड की रहती है। बजट फाइनल होकर केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली दस मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं? इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का तो दुर्भाग्य नहीं होगा और इस गलती को कैसे माफ करेंगे। इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जायेगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था कि आज की दस तारीख को 11.00 बजे बजट रखा जायेगा। अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आकर बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं तो बजट लीक हो गया। ये बजट पेश नहीं हो सकता है। (व्यवधान) मजाक कर रहे हैं। कमाल कर दिया।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, मैं सुन रहा हूं फिर आप सप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? मैं पूरा मौका दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे विनम्र प्रार्थना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहा हूं कि इस सदन का सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए। दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए। ये दोबारा आकर फिर पढ़ें जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हैं। दोबारा बनाकर, तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आर्टिकल 202 - वार्षिक वित्तीय विवरण...

श्री अध्यक्ष: माननीय, एक मिनट। मैं सब बात सुनूंगा। आप सब स्थान पर रहें, आप जो भी बोलेंगे मैं सुनूंगा। आप सब स्थान पर रहें, बोलेंगे, मैं सुनूंगा। (व्यवधान) कटारिया जी, आप अपनी बात कहें, मैं सुनूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये बजट पेश नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: रूलिंग तो दूंगा मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये बजट पेश नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: रूलिंग तो दूंगा मैं, इसीलिए तो खड़ा हूं मैं। माननीय कटारिया जी, मैंने कहा है ....(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। राठौड़ साहब, एक सेकण्ड बैठें, प्लीज। मुझे पहले रूलिंग देनी है या राठौड़ साहब की बात सुननी है, कटारिया जी? कटारिया जी, मुझे पहले रूलिंग देनी है या राठौड़ साहब की बात सुननी है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको जो करना है, कीजिए।

श्री अध्यक्ष: हां, राठौड़ साहब, बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 - वार्षिक वित्तीय विवरण - राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल में सदन के दोनों सदनों के समक्ष उस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राज्य के उस वर्ष के लिए प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेगा और इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 138 पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल की अनुमति से बजट रखा जाएगा और उसमें समय नियत है, सम्मन जारी हुआ है, बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है। 11.00 बजे मुख्य मंत्री के हाथ में जो बजट था, वह पिछले साल का बजट था और मूल बजट की कापी आफिसर दीर्घा में थी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इसको पोस्टपोन करें, बीएसी की मीटिंग बुलाएं और दोबारा बजट रखने के लिए आप समय निश्चित करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा कलंकित हुई है, पहला मौका है। अगर राज्य के मुख्य मंत्री को यह मालूम नहीं कि मुझे कौनसा बजट पढ़ना है, मतलब बजट कितने हाथों में गया है, यह बजट लीक है। यह हमारा अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप पोस्टपोन कराएं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बजट की तारीख निश्चित होती है, समय निश्चित नहीं है। (व्यवधान) 138 में साफ लिखा है, ''प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण जिसे इसके पश्चात् आय-व्ययक कहा गया है, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जायेगा जैसा कि राज्यपाल निर्देश दें।'' दिन निश्चित है, समय निश्चित नहीं है। (व्यवधान) आर्टिकल 202, जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ा है, इसमें कहीं समय निश्चित नहीं है, इसी समय होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राठौड साहब, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सम्मन जारी हुआ है, सम्मन जारी हुआ है ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 11.00 बजे हमारी विधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। (व्यवधान) 11.00 बजे विधान सभा का समय शुरू होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका नहीं है। मैं सुन रहा हूं न। (व्यवधान) मेरा काम भी आप करेंगे क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इसलिए इन्होंने जो भी बिन्दु उठाए हैं, उनको आप ओवर रूल कीजिए मेहरबानी करके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको मौका दिया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता, माननीय कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के उप नेता, माननीय राठौड साहब, दोनों ने पाइंट आफ आर्डर उठाया, उसको मैंने सुना। मैंने उसको देखा। नियम 138 में जो लिखा है वह भी मैंने पढ़ा है। नियम 138 मैं पढ़ देता हूं, ठीक रहेगा, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहे। नियम 138 says very categorically. यह पढ़ देता हूं। "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण जिसे इसके पश्चात् आय-व्ययक कहा गया है, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जायेगा जैसा कि राज्यपाल निर्देश दें।" राज्यपाल महोदय ने निर्देशित किया कि इस तारीख को पेश किया जाए। आज यह रखा गया। हाउस चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है। राज्यपाल ने दिया है, टाइम का इसमें कोई नहीं है। यह हमारी परम्परा रही है कि 11.00 बजे सदन हो तब हम बजट पेश करते हैं। यह परम्परा रही है। राज्यपाल महोदय ने इसमें कोई टाइम नहीं दिया है। मैं यह 138 पढ़ रहा हूं। आय-व्ययक में बजट में क्या टैक्सेज लगाए, क्या नहीं लगाए, फलां ने लगाए, वह लीक की श्रेणी में आते हैं। ह्यूमन एरर, मानवीय स्वभाव की एरर होती रही है। पहली बार नहीं हुई। दूसरी बार भी हुई है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 138 में टाइम नहीं लिखा हुआ है। हाउस चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है, यह तो आप मानते हैं। यदि हाउस चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस अनहोनी घटना के लिए 11.00 बजे से 11.42 तक, जब दुबारा सदन हुआ, उस समय तक जो सारी कार्यवाही हुई, उसको मैं निरस्त करता हूं। (व्यवधान) रूलिंग दूं। आप रूलिंग भी नहीं सुनना चाहते? आप रूलिंग भी नहीं सुनना चाहते, फिर तो बंद करा दें? आप रूलिंग नहीं सुनना चाहते, बंद करना चाहते हैं? रूलिंग नहीं सुनना चाहते, काहे को हाउस चला रखा है आपने? काहे को आप हाउस में आ रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग नहीं मानना चाहते तो? मैंने आपको पूरा अधिकार दिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस बजट को सुनने के लिए दुबारा समय निर्धारित करके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, मैं अपनी बात बोलूं। मेरी बात सुनो न

(श्री अध्यक्ष)

आप। एक मिनट, बात सुन लो। (व्यवधान) मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राज्यपाल महोदय का भाषण, आपको यह सूचना दी कि 10 तारीख को 11.00 बजे आय-व्ययक का भाषण होगा, इसलिए आप सदन में आमंत्रित हैं। यह आपको भेजा है। सबको भेजा है। सदन चलाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। मैं इसको मना नहीं कर रहा, राज्यपाल ने भाषण नहीं दिया, राज्यपाल ने लिखकर दिया है, 10 तारीख को, हम सदन में एकत्रित हो गए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बजट कब पेश होगा यह सूचना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं बता रहा हूं न आपको, मैं यही तो कह रहा हूं। एक मिनट प्लीज, बात सुनें। मान्यवर, मेरा काम आपको करना है तो मैं ही चला जाऊं? (व्यवधान)

हम सदन को गरिमा से, नियमों से चलाते हैं। 11.00 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। 11.00 बजे शुरू हो गई, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। आपको सम्मन किया, उसके हिसाब से 11.00 बजे सेशन शुरू हो गया। 11.00 बजे शुरू होने के बाद 4-5 मिनट अपनी बात भी कही है। 4-5 मिनट बाद यह स्थिति बनी कि मुख्य मंत्री जी उसमें पढ़ने के लिए पेपर बदल रहे थे, यही तो ह्यूमन एरर है कि जो आपसे सुना और ऐसा लगा कि पुराना पेपर आ गया। (व्यवधान) मेरी बात सुन लें प्लीज। ह्यूमन एरर को हमने पहले भी करेक्ट किया है। पहली बार करेक्ट नहीं किया है। आप, राजेन्द्र साहब, दुबारा पूछ लें। 10 तारीख को 11.00 बजे सदन में बजट भाषण होगा, 11.00 बजे सदन हुआ है और सदन चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं 11.00 बजे से 11.42 तक, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, ...(व्यवधान) आप मेरी पूरी बात सुनें। आप मुझे बताएंगे क्या? आप नहीं सुनना चाहते? रूलिंग नहीं सुनना चाहते? मेरी रूलिंग नहीं सुनना चाहते? मेरी रूलिंग नहीं सुनना चाहते क्या? प्लीज, सुन लें। (व्यवधान) यह क्या कर रहे हैं? आप सभी विद्वान हैं तो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने लिखा है शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान। उन्होंने पेश करना शुरू कर दिया 11.00 बजे। या किसी दूसरे ने किया?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने ही किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने ही किया ना?

श्री अध्यक्ष: जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तो अशोक गहलोत जी के द्वारा, मुख्य मंत्री जी ने आय-व्ययक बजट पढ़ना शुरू कर दिया। 11.00 बजे जो पेश किया है वह बजट नहीं होकर, पूर्व बजट पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न भी कर रहे हैं ...(व्यवधान) सुन रहा हूं मैं बात। राठौड़ साहब, आप शेम भी करवा रहे हो, सुनवा भी रहे हो। दो काम क्या कर रहे हैं? या तो आप कटारिया जी को सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने इसको आइडेंटीफाई इसलिए किया 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू है ... (व्यवधान) जब आपने कहा कि मैं इसको 125 दिन करता हूं ...(व्यवधान) जब यह लाइनें पढ़ीं तो लगा कि गलती से इनके हाथ में किसी ने पुराना पकड़ा दिया, जिसको इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो पीछे हैं, उसने देखा कि यह गलत पढ़ रहे हैं तो यह गलत पढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी उसको कैसे हुई? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बात हो गई। आप यह तो मानते हैं कि 11.00 बजे बजट शुरू कर दिया? जानकारी के सम्बन्ध में, दो मिनट, माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह दें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के हमारे विपक्ष के साथी, आरोप कुछ लगाए, अलग बात है। सिर्फ बजट की जो कापी बांटी जाएगी आप सबको, वह तो तय हो चुका है। उसके अन्दर और इस कापी में फर्क हो, तब तो आप कह सकते हो। कापी आपको वही मिली है, जो यह बजट मैं पढ़ रहा हूं। गलती से मान लीजिए एक एक्स्ट्रा पेज लग गया। आप कह रहे हो कि इसको मालूम कैसे पड़ा, लीक हो गया। यह बजट कोई, कल प्रेस में मैंने छपाया क्या इसको? आप सब समझदार लोग हैं। मालूम है आपको, 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात-दिन यह काम करते हैं, उसके बाद सुबह 6 बजे लाकर देते हैं चीफ

(श्री अशोक गहलोत)

मिनिस्टर को कापी। कटारिया साहब, आपको सब मालूम है तो मुझे बताइये, अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर आफिसर गैलरी से मुझे कन्वे करें कि यह पेज कौनसा आ गया तो वह भी नैचुरल है कि यह क्या हो गया। एक पेज गलती से। वही बजट जो पढ़ा जाएगा, वही बजट आप सबको रिसीव होगा। इसमें कहां लीक होने की बात आती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, मुख्य मंत्री को नहीं सुनना, अपनी बात ही कहनी है? (व्यवधान) खड़े हैं न, सुनो दो मिनट। (व्यवधान) ऐसे नहीं। एक सैकण्ड आप सुन लें, वे बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, प्लीज। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इस बजट की बहुत बड़ी गरिमा होती है। बजट के आधार पर ही गवर्नमेंट चलती है, उसमें पक्ष-विपक्ष कोई पार्टी नहीं होता, क्योंकि सबको बजट के माध्यम से ही आगे काम होता है। कृपया करके इसकी सैंक्टिटी हम सब बनाए रखें। यही जो कापी आपको दी गई है, उसमें पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज पर लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। आपने नोट किया होगा मैं खुद आगे-पीछे

(समय: 12.00 बजे)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

पेज बार-बार देख रहा था। यह पेज कैसे आ गया? एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप, माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुनिये आप। अगर वे बनाते हैं, वे मुझे पाइंट आउट करें तो उसमें क्या दिक्कत हो गयी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आंकड़े थोड़े ही हैं यह, श्रीमान? माननीय मुख्य मंत्रीजी। माननीय सदस्य, आप मुख्य मंत्रीजी की बात भी नहीं सुनना चाहते हो? यह गलत बात है। गलत बात। माननीय मुख्य मंत्रीजी। माननीय सदस्य, मैं एक बार और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि बजट की यह कापी आपको मिल जायेगी। बजट की कापी, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बोला है, आप चैक कर लें उसमें ...

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) आपको लगता है तो आपको पूरा अधिकार है इस चीज को लाने के लिए कि कैसे लीक हुआ, क्या हुआ, यह भी पूरा अधिकार है। कटारियाजी, यह आप भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। आपको पूरा अधिकार है। आपको यह लगता है तो आप प्रिविलेज लाएं, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे पर मैं आपसे सानुरोध यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि यह बजट की कापी जब तक मुख्य मंत्री पूरा बजट नहीं पेश कर दें, जब तक उनके दस्तखत नहीं होते, तब तक बाहर किसी भी सदस्य को बजट की कापी नहीं मिलती है, ...(व्यवधान) किसी अधिकारी को भी नहीं मिलती तो आपको मिल गयी, मिल गयी, क्या कह रहे हो आप? कहां से मिली है?

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, मिल नहीं गयी। नहीं-नहीं, कटारियाजी, यह नहीं कहा। एक मिनट। माननीय सदस्य, प्लीज, एक सैकण्ड। माननीय देवनानीजी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है, प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, इधर-इधर। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जब आपको कापी ...(व्यवधान) प्लीज, आप। आप बैठें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप बजट पेश करें, बजट पेश करें। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे तमाम विपक्ष के साथियों से कि आप कृपा करके अपनी सीट पर जाएं। बजट का इंतजार, पूरा प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। यह प्रदेश माफ नहीं करेगा आपको। पूरे राजस्थान में बजट को लेकर जो इंतजार हो रहा है, गांव-गांव में लोग बैठे हुए हैं टीवी के सामने और उसके बाद में राजस्थान यह जिज्ञासु है कि कब बजट पेश हो, लाखों लोग आज बजट को देखने के लिए बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

आपकी इन हरकतों को देखकर उनको यह लगेगा कि हो क्या रहा है इस विपक्ष को? अभी आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना नहीं, हल्ला किया और उनको बगैर पढ़े हुए जाना पड़ा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, हो क्या रहा है यह?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कटारियाजी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइये अपनी सीटों पर बैठिये, आपका प्रोटेस्ट हो गया। मैं वापस यह रिपीट करूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी। माननीय मुख्य मंत्रीजी। एक मिनट। माननीय कटारियाजी, माननीय कटारियाजी। कटारियाजी, मेरा आपसे फिर यह निवेदन है, मेरा आपसे फिर यह निवेदन है कि आपको प्रोटेस्ट करने का ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह रिकार्ड पर रहेगा। यह रिकार्ड से नहीं निकलेगा। यह रिकार्ड पर रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां-हां, ठीक है। ठीक है। आपकी बात, कटारियाजी, यह रिकार्ड पर रहेगा। बैठो जगह पर। रिकार्ड पर रहेगा। रिकार्ड पर रहेगा। जो कहा है रिकार्ड पर रहेगा। ठीक है? धन्यवाद। अब बैठो आप। आपकी बात मान ली मैंने। जो आपने कहा है वह रिकार्ड पर रहेगा। जो आपने कहा, वह रिकार्ड पर रहेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। कटारियाजी। माननीय राजेन्द्रजी। राजेन्द्रजी, आप सबसे बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं। प्लीज, राजेन्द्रजी, हो गया। राजेन्द्रजी, प्लीज। सतीशजी। आप बोलें, आपको मैं सुनूंगा। सबको सुनूंगा। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिकार्ड पर आया है, रिकार्ड डिलीट नहीं होगा, एक।

दूसरा, मुख्य मंत्रीजी इस बात के लिए माफी मांगें कि वास्तव में मैंने यह गलत पढ़ दिया। मेरे हाथ में गलत कागज आ गये। मैं यह सोचता हूं कि आज दिन तक केवल और केवल अटैची में भाषण के अलावा एक कागज भी दूसरा नहीं होता है तो दूसरा कागज इसके साथ था कैसे जो आपने पढ़ दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ये बोल रहे हैं, यह क्या तरीका है? मैं सुन रहा हूं, यह क्या तरीका है? Do you want to supplement in it? मैं कटारियाजी को सुन रहा हूं। फिर देवनानीजी बोल रहे हैं और फिर यह बोल रहे हैं। कटारियाजी ने जो बात कही है ...(व्यवधान)

आप जगह पर बैठें। मैं आपकी बात मान रहा हूं। कटारियाजी ने जो बात कही है, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आ जाओ, एक मिनट सीट पर आ जाओ। एक बार सीट पर आ जाओ, वापस आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप से अपनी-अपनी सीट पर प्रस्थान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज। आप बोलेंगे? माननीय कटारियाजी, एक मिनट आप बैठें। एक सैकण्ड। आप खड़े हो गये। एक मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। कटारियाजी, एक मिनट। धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बोल रहा हूं, साहब। मैंने आपको भी सुना है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब। धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आपको भी सुना है और मुझे भी सुन लो आप। क्या दिक्कत है उसमें? मुझे सुनने में क्या दिक्कत है आपको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमें सुनने में क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? यह बताता हूं मैं आपके कारनामे। यह बताता हूं सारे। आपके टाइम पर कितना कितना हुआ था। यह है। 2014, 16 जुलाई को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब। धारीवाल साहब। धारीवाल साहब, एक मिनट। धारीवाल साहब, प्लीज। धारीवाल साहब, एक मिनट रुकें। सतीशजी, एक मिनट रुकें। सतीशजी, रुकें, सतीशजी, अब आप सुनें, आप सीनियर आदमी हैं। मैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को, प्लीज आप सुन लें। सतीशजी, आप

(श्री अध्यक्ष)

प्लीज मेरी बात को सुनें। Can I stop a parliament minister not to speak? कटारियाजी, मैं आपकी बात पर बोल रहा हूं, एक मिनट। धारीवाल साहब, एक मिनट रुकिये आप। आप प्लीज। यहां कहां बैठे हैं? यहां बैठेंगे तो गलत बात है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना)

मिस्टर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। मिस्टर आक्याजी आक्याजी, आपकी आवाज मेरे कान में आ रही है। यह गलत बात है। कटारियाजी, यही कहना है तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपने कहा था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आज ईमानदारी से यह लोकतंत्र का जितना घोर अपमान हुआ है, बजट की सैंक्टिटी जितनी खतम हुई है, यह दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान का वित्त मंत्री जो पढ़ने आया है, वह कागज दूसरा निकल गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: हो गया? अब मैं बोलूं? आप बैठ जाएं। आप बैठें। आज दिन तक, आप भी सात बार एम.एल.ए. रहे हैं, आठ बार रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। (व्यवधान) दस बार रहे हैं। माननीय एक्स मुख्य मंत्रीजी भी बैठी हुई हैं वसुन्धराजी। यह कोई पहली बार नहीं है कि जब बजट में कभी गलत बात हो जाती है तो हम करेक्ट करते हैं।

मैं आपकी भावना को समझते हुए यह कह रहा हूं जो भाषण है इसमें कोई चीज डिलीट नहीं होगी। आपने कहा कि कोई चीज डिलीट नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं, मैं अध्यक्ष, मेरी यह जिम्मेदारी है कि राजस्थान में गलत इतिहास बन रहा है इसलिए मैं माफी मांगता हूं। आप सब अपनी-अपनी जगह पर बैठें और माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना भाषण दें। (व्यवधान)

इससे बड़ा मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप मुझसे नहीं चाहते हैं? आप मुझसे नहीं चाहते? मैं यह कह रहा हूं, उसके बाद भी नहीं मान रहे? अब भी नहीं मानना चाहते हो आप? यह गलत बात है। सतीशजी, गलत है। आप पहली बार मैम्बर बने हैं। यह बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। अध्यक्ष की माफी को भी नहीं मान रहे हैं आप? आप प्लीज, बैठें। आप कौन होते हैं? आप नीचे बैठें, प्लीज। (interruptions) I don't like this. I am listening to him. अच्छा, नई बात सीख रहे हैं, बैठें। मुझे मत सिखाओ, बैठें आप। नीचे बैठें, प्लीज। गलत परम्परा डाल रहे हैं बिलकुल। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मुख्य मंत्रीजी, पढ़ें आप। नहीं सुनना चाहते हैं तो बात खतम हुई। गलत बात है बिलकुल। हो गया, प्लीज। यह कोई तरीका है क्या?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पुराने हो या नये आदमी हो? कटारियाजी बोल रहे हैं। आप स्पीकर की बात भी नहीं मान रहे? आप स्पीकर की बात भी नहीं मान रहे हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? (व्यवधान)

माननीय सदस्य। पहली बार बने हैं एम.एल.ए., सतीशजी। Don't make a wrong practice. अध्यक्ष की माफी के बाद कोई माफी नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी माफी मांगें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: गलत बात है। (व्यवधान) अब छोड़ो, आप मुझे समझाओगे क्या? मुझे डिक्टेट कर रहे हो आप यहां? I know how to tackle the house. Please don't dictate me. (interruptions) I will name you. आपने मजाक कर रखी है क्या? मजाक कर रखी है, हाउस को मजाक बना रखा है आपने। Don't make a fool of this.

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आज सारा राजस्थान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदर्श की बात करती है, सिद्धान्तों की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, वह लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। काहे की भारतीय जनता पार्टी है? गलत बात कर रहे हो आप। यह गलत परम्परा है। सतीशजी, आप पार्टी के लीडर हो। आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हो। इतिहास आपको याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा आपको। अध्यक्ष की माफी के बाद हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आपको विश्वास नहीं है लोकतंत्र के अन्दर।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, बोलें आप। आप बोलें। हो गया आपका। बहुत गलत परम्परा है। ठीक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप माफी मांगो मुख्य मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह हाउस है। इधर देखकर बोलो, उधर नहीं बोलना है। खड़े क्यों हो? कुश्ती लड़नी है क्या वहां पर? इधर देखकर बात करो। आप उधर क्यों देख रहे हो? आप नई परम्परा डाल रहे हो। आपको भी सदन में भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखना आप। आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। अध्यक्ष की इससे ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कटारियाजी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, नो। वह संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जो करना चाहते हैं, वह कर लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं 15 मिनट के लिए फिर हाउस एडजोर्न करता हूं। कटारियाजी, आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि behave like a parliamentarian. आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं करें।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.11 बजे 12.26 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 12.26 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य। Please be seated. प्लीज बैठें। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनफोर्चुनेटली जब मैं स्पीच पढ़ रहा था, उसमें दो पैरा, तीन पैरा, जो हम आलरेडी घोषणा कर चुके थे, ह्यूमन एरर से, क्योंकि मैंने आपको कहा रिक्वेस्ट की, आप भी जानते हैं कि सात-सात दिन तक लोग रात-दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस, बजट, सब मिलकर ही यह बजट बनाते हैं, यह आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो, उसमें एक पैरा एक्स्ट्रा लग गया, वह मैंने पढ़ा तो मेरे भी कंफ्यूज हो रहा था, आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार-बार आगे-पीछे पेज कर रहा था। इतने में मुझे, हमारे चीफ व्हिप ने कहा कि यह गलत पाइंट आ गया। मैंने कहा कि यह आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, जो कापी आप

(श्री अशोक गहलोत)

सबको बांटी गयी है, वह कापी है। उसको हमने हटा दिया, वह कंफ्यूजन होगा। उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूं, पहले ही कर चुका हूं, अब मैं फिर करता हूं। यह गलती हुई, जो नहीं करनी चाहिये थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह क्या है? लिमिट हो गयी प्लीज। कटारिया जी, आप बोलें, एक सैकण्ड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट कापी जो हमको मिलेगी, उसमें अगर यह शब्द नहीं हुए, जो आपने यहां पढ़ा है, अगर यह शब्द हमारी कापी में मिल जायेंगे, समझ में आ जायेगा। हमारे को जो कापी आपने दी है बजट की, जो आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर यह है, तब समझ में आ जायेगा कि आपने वही पढ़ा है और अगर नहीं था, तो फिर आपने यह कहां से पढ़ा?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ह्यूमन एरर से एक पेज लग गया था। उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया, जब मैं अपनी स्पीच में रुका।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): और, कटारिया साहब, यह नई बात नहीं है। यह नई बात नहीं है। जब वसुन्धरा जी चीफ मिनिस्टर थीं, तब भी कुछ आंकड़े गलत आ गये थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपन सीनियर आदमी हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो वसुन्धरा जी, मैं जा नहीं रहा हूं, उस वक्त में भी, जो करेक्शन होता है, आपने करेक्शन कराया था, तो यह करेक्शन आपने ही करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन): जो आपने किया है, that is a sheer carelessness. कोई भी मुख्य मंत्री इस तरीके से अपने बजट को बिना पढ़े अपने कागज को लेकर ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो, I feel sorry, कि राजस्थान का क्या होगा? इसलिये आप इन चीजों को यहां मत दोहराओ।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): I. माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मैं समस्त, लगभग एक करोड़ NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ-साथ, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग शांति से बैठ गये। प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में एक-एक किलो दाल, चीनी व नमक, एक लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

II. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, BPL तथा PM उज्जवला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार LPG सिलेण्डर की अधिक दरों के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को, जिनको उज्जवला योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप LPG Cylinder मिले थे, पर वह खरीद नहीं पा रहे हैं। मैंने उचित समझा है कि मैं इस महंगाई को कम कैसे करूं, इन लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से LPG गैस Cylinder 500 रुपये में उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को slab अनुसार जो छूट दी थी, उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारम्भ करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के एक करोड़ 19 लाख में से एक करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। इसके साथ ही, अन्य समस्त 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार आयेगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि न सिर्फ प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियां ऋण भार की समस्या का सामना कर रही हैं, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में लायी गई 'उदय योजना' के साथ ही वर्तमान Energy Reform Linked Borrowing Scheme से राज्य सरकार पर भी

(श्री अशोक गहलोत)

अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। हम Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), Smart Meters का उपयोग, विद्युत तंत्र (GSS, Transformers एवं बिजली की लाइनें आदि) का सुदृढ़ीकरण एवं जन सहयोग से विद्युत छीजत में कमी लाने आदि कदम उठाते हुए विद्युत कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके परिणामस्वरूप AT&C Losses वर्ष 2018-19 के 28.07 प्रतिशत से कम होकर वर्तमान में 17.39 प्रतिशत रह गये हैं। इस प्रकार जहां एक ओर विद्युत कम्पनियों की स्थिति सुदृढ़ करना हमारा उद्देश्य है, वहीं इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से 300 यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

इस प्रकार, हमारे द्वारा डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर, लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी रखने के साथ-साथ आगामी वर्ष सस्ते LPG गैस सिलेण्डर, निःशुल्क Food Packet एवं निःशुल्क घरेलू बिजली का 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है।

युवा विकास एवं कल्याण:

6. देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि-

"The ignited minds of the youth is the most powerful resource on the Earth. I am convinced that the power of the youth, if properly directed, will bring about transformed humanity by meeting its challenges and bring peace and prosperity''.

अर्थात् "युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है कि यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाये, तो वह मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व समृद्धि के साथ नये समाज का निर्माण कर सकती है।"

7. युवाओं को संबल प्रदान कर उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने की दृष्टि से मैंने वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं पर केन्द्रित करने का प्रयास किया है। आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे अधिक आवश्यकता है तो, वह है रोजगार, कौशल व क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व संवर्द्धन की।

(श्री अशोक गहलोत)

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने युवाओं के रोजगार, शिक्षा, skill एवं personality development हेतु कई कदम उठाये हैं। अब मैं, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति बनाना प्रस्तावित करता हूं तथा इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस कोष के अन्तर्गत-

I. 200 करोड़ रुपये दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने,

II. 100 करोड़ रुपये समग्र व्यक्तित्व विकास, तथा

III. 200 करोड़ रुपये शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं सम्बन्धित संसाधनों हेतु व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

9. युवाओं को हमारे सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में एक लाख 42 हजार से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा एक लाख 81 हजार से अधिक प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा के विरुद्ध 3 लाख 23 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। अब आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां की जायेंगी।

10. युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, किन्तु कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 लाया गया है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं, SOG (Special Operations Group) के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित Special Task Force (STF) गठित करने की भी घोषणा करता हूं।

11. अध्यक्ष महोदय, साथ ही सरकार में भर्तियां सुचारु रूप से निर्धारित कैलेण्डर के अनुरूप हो सकें. इस हेतु-

I. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

II. भर्तियां सुरक्षित व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों. इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में online examination सुविधायुक्त Examination Centre बनाना प्रस्तावित है। इस हेतु 250 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

III. परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ विभागों की योजनाओं में भी identification सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जायेगा।

IV. सदन के माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 'One Time Registration' प्रणाली के माध्यम से एकबारीय निर्धारित registration fees देने के बाद apply करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं, निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

12. युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों से लगभग 30 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष 100 Mega Job Fairs लगाये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, प्रदेश के प्रमुख Colleges में campus placement की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।

13. विद्यार्थियों को professional courses एवं competitive exams की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अन्तर्गत 15 हजार युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए मैं, आगामी वर्ष 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने की घोषणा करता हूं।

14. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली में Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं, जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपये की लागत से 100-100 आवासीय क्षमता के 'विवेकानन्द यूथ हॉस्टल' बनाये जाने की घोषणा करता हूं।

15. गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर

(श्री अशोक गहलोत)

सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय मय digital library स्थापित करना प्रस्तावित करता हूं।

16. आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ-साथ enterpreneurship की भी महती भूमिका है। इस दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ-साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमश: 10 एवं 15 प्रतिशत margin money भी 5 लाख रुपये की सीमा तक दी जायेगी। इससे 5 हजार युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

17. अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमन्तू आदि को स्वरोजगार के लिए "विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना" शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत-

I. आवश्यक किट/उपकरण-सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5-5 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इससे एक लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे।

II. साथ ही, प्रदेश में ऐसे 30 हजार हस्तशिल्पी एवं artisans को उनके उत्पादों के विपणन (marketing) हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष 10-10 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।

18. प्रदेश के युवाओं को Startups तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF) के तहत 250 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही iStart Fund के माध्यम से Startups को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली matching share की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

19. प्रदेश में युवाओं को अपना Startups स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपये की लागत से-

(श्री अशोक गहलोत)

I. ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों/महाविद्यालयों में iStart लॉन्चपैड नेस्ट की स्थापना और संचालन किया जायेगा।

II. Rajiv Gandhi Innovations Challenge के अन्तर्गत प्रथम award की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के साथ ही 35 करोड़ रुपये राशि के कुल 100 पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित हैं।

III. जनजाति क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में Incubation and Innovation Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

20. युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं Scientific Temper को बढ़ावा देने के उद्देश्य से-

I. जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के Science Parks/Centres का विकास करते हुए इनमें IT, Nuclear Energy. खनिज सम्पदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन Galleries शुरू की जायेंगी। इन पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

II. जोधपुर कोटा एवं उदयपुर में लगभग 10-10 करोड़ रुपये की लागत से Planetariums का निर्माण करवाया जायेगा।

21. प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति Franklin D. Roosevelt के अनुसार- "We can not always build the future for our youth, but we can build our youth for the future" अर्थात् "हम सदैव अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किन्तु हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं।"

22. हमारे द्वारा युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से Rajasthan Centre of Advanced Technology (RCAT), Rajiv Gandhi Digital Fintech University cum Institute, Rajasthan Institute of Advanced Learning, Institute of Tropical Diseases and Virology एवं Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences की स्थापना की जा रही है। अब मैं, युवाओं को Health/Pharmacy, Agriculture व Bio Informatics से सम्बन्धित High end Research and Development एवं Certification Courses

(श्री अशोक गहलोत)

कराने हेतु जयपुर में APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, प्रदेश की Bio Diversity तथा Bio Technology के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए Bio Technology Policy-2023 लायी जानी प्रस्तावित है।

23. Civil Aviation में सम्भावनाओं के साथ-साथ Drone के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज (अमेठी) - उत्तरप्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) की तर्ज पर जयपुर में Rajiv Gandhi Aviation University बनाये जाने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत Pilot Training Academy की स्थापना के साथ ही Aircraft Maintenance Engineering (AME). Flight Attendants, Aviation Management Course, Simulator Training एवं Drone related समस्त ground courses भी शुरू किये जायेंगे। इस पर 350 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

24. प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार सम्भावना को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से Mining University स्थापित की जानी प्रस्तावित है। साथ ही, राजस्थान ILD Skills University का नाम विश्वकर्मा Skill University किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे, जिसकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

25. प्रदेश के मेधावी युवा अपनी skills को upgrade कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने की घोषणा करता हूं।

26. युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु-

(श्री अशोक गहलोत)

I. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी, जो NET/SLET उत्तीर्ण है, परन्तु किसी प्रकार की फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम तीन वर्षों तक 20 हजार रुपये प्रतिमाह फैलोशिप दी जायेगी।

II. ऐसे शोधार्थियों का जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में Interns के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं।

III. राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इन्टर्नशिप, सेमिनार, वर्कशाप, कान्फ्रेन्स में सहभागिता के लिए 25 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

27. उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध संवर्द्धन की दिशा में-

I. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में Research एवं Training की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से Teachers' Interface for Excellence (TIE) कार्यक्रम आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों का चयन किया जायेगा।

II. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं orientation हेतु जयपुर में Faculty Development Academy स्थापित की जायेगी। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

28. राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच एवं पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे, जिसकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

29. प्रदेश के युवाओं के शैक्षणिक विकास एवं उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर व रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से नवीन आई.टी.आई. खोले जाने के साथ-साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किये जायेंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(श्री अशोक गहलोत)

30. प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकतानुसार classrooms, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण व repair एवं maintenance के लिए 140 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

31. अध्यक्ष महोदय, समाज के सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारम्भ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबल शान्ति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूंगा- "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." अर्थात् "शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं।"

32. कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने की मैं घोषणा करता हूं। इन बालिकाओं को Electric Scooty लिए जाने का विकल्प दिया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही-

I. स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जायेगी।

II. स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित है।

33. वर्तमान में Right to Education Act (RTE) के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा VIII के विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं, छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरान्त कक्षा I से XII तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु कक्षा IX से XII में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। हमारा केन्द्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वह हमारे निर्णय के अनुसार ही RTE के अन्तर्गत कक्षा I से VIII के स्थान पर कक्षा I से XII तक के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान करे।

(श्री अशोक गहलोत)

34. प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से National Talent Search Exam (NTSE) की तर्ज पर दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु Rajasthan Talent Search Exam (RTSE) स्कालरशिप प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत 10 हजार मेधावी विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी जायेगी।

35. मैं आगामी वर्ष में भी इस वर्ष की भांति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफार्म दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 560 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

36. प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में-

I. प्रदेश में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे।

II. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया जायेगा।

III. प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय- कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।

37. राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु-

I. प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लाकों पर विशेष आवश्यकता वाले (Specially Abled) विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एड सामग्री युक्त सन्दर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

II. विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा- क्लासरूम्स, लैब्स, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवनों के रिपेयर आदि के 200 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जाएंगे।

38. अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी

(श्री अशोक गहलोत)

अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहां भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारम्भ की जायेगी।

39. प्रदेश में विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

41. वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले गये तथा वर्ष 2021-22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गयी। इसी कड़ी में अब शेष जिलों- जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, राजसमन्द, बारां एवं जालौर में भी वेद विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

42. हमारे द्वारा प्रदेश में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने एवं प्रोत्साहन देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाये गये हैं। हमने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को आउट आफ टर्न पालिसी के तहत अब तक 229 युवाओं को 7 विभागों में नियुक्तियां प्रदान की हैं। भविष्य में पदक विजेता अपने खेल विशेष में युवाओं को भी प्रशिक्षित कर सकें, इसके लिए इन्हें खेल विभाग में वरिष्ठता अनुरूप नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बच्चों एवं युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कोच के 100 पद सृजित किये जाएंगे।

43. मेरे द्वारा बजट में घोषित ग्रामीण ओलम्पिक्स खेलों का सफल आयोजन वर्ष 2022-23 में किया गया। युवाओं द्वारा इन खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया। युवाओं के उत्साह एवं इन खेलों के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए अब हमने शहरी ओलम्पिक खेलों के आयोजन का भी निर्णय किया है। इस प्रकार आगामी वर्ष सम्पूर्ण प्रदेश अर्थात् शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन और वृहद् स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

44. प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारम्भ से ही हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक सम्भाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इस पर 105 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

45. साथ ही, मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि एमएलए फंड/सीएसआर से दिये जाने पर 25 लाख रुपये की मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अब मैं, इस मैचिंग ग्रांट की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

46. प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम व खेल अकादमी स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

47. प्रदेश के युवाओं को देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेने तथा भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से Rajiv Gandhi National Youth Exchange Programme शुरू किया जायेगा। इसके तहत आगामी वर्ष 10 हजार युवाओं को उत्तर-पूर्वी (North-East) राज्यों सहित सम्पूर्ण देश में एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जायेगा। साथ ही, जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इन पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

48. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), एन सी सी कैडेट्स व स्काउट्स एंड गाइड्स को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही, चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एनएसएस/ एनसीसी/स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियां प्रारम्भ करना प्रस्तावित हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

49. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा प्रदेश निःशुल्क यूनिवर्सल हैल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हमारे द्वारा शुरू की गयी 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के अन्तर्गत वर्तमान में 3 हजार 700 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग एक करोड़ 38 लाख परिवारों को 10 लाख

(श्री अशोक गहलोत)

रुपये तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सरकारी के साथ-साथ एम्पैनल्ड प्राइवेट हास्पिटल्स में भी मिल रहा है। इस योजना में लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लिवर, हार्ट आदि ट्रांसप्लांट 10 लाख रुपये की सीमा के अतिरिक्त राज्य सरकार के ही खर्चे पर निःशुल्क किये जाते हैं। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 32 लाख से अधिक लोगों को आईपीडी में निःशुल्क इलाज प्राप्त हो चुका है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि जहां एक ओर अमेरिका जैसे विकसित देश में भी "ओबामा हैल्थ केयर" योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, वहीं हमारी सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ-साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं, आगामी वर्ष से-

I. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा करता हूं।

II. इसके साथ ही, वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है।

50. सदन को जानकर प्रसन्न्ता होगी, खुशी होगी, हर्ष होगा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से हमने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी/आईपीडी को पूर्णतः निःशुल्क कर इसी वर्ष 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है। अब इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए-

I. रैफरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का विस्तार कर 500 अतिरिक्त 104/108 एम्बुलेंसेज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

II. निःशुल्क जांच के अन्तर्गत 56 जांचें जिले के साथ-साथ ब्लाक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी प्रारम्भ की जाएंगी।

III. योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वाक इन कूलर्स एवं टैस्टिंग लैब्स की स्थापना सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

51. माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों का 5 लाख रुपये प्रति

(श्री अशोक गहलोत)

परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी किया है। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में और अधिक सम्बल देने की दृष्टि से अब मैं परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करता हूं।

(समय: 13.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो ट्रेलर है। स्वास्थ्य प्रतिबद्धता में एक दो खूब मिलेंगे।

52. कोरोना के समय हमारे द्वारा Oxygen Beds, ICUs एवं NICU/PICU सहित आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ-साथ Oxygen प्रबन्धन, Concentrators एवं समस्त दवाइयों की निःशुल्क उपलब्धता करते हुए सभी चिकित्सक, पैरा मेडिकल साथियों, अन्य कार्मिकों व आमजन के सहयोग से की गई चिकित्सा व्यवस्था को सभी ने सराहा है, किन्तु अभी भी कई लोगों को Post Covid complications के रूप में Cardiac Issues, Respiratory Distress, Diabetes, Mental Stress एवं Physical Fatigue आदि का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में अभी भी सभी प्रदेशवासियों को सजग रहने का मैं आग्रह करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के अध्यधीन 'Centre for Post-Covid Rehabilitation' स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, Post Covid respiratory complications, सिलिकोसिस, सीओपीडी, अस्थमा आदि से सम्बन्धित Advanced Research एवं Treatment की दृष्टि से RUHS, जयपुर में Institute of Respiratory Diseases बनाया जाना प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

53. Post-Covid symptoms में से एक प्रमुख लक्षण मानसिक अवसाद (Mental Stress/Depression) का रहा है। इसके साथ ही वर्तमान युग में अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझने के कारण कई व्यक्ति इस समस्या का सामना कर रहे हैं। विशेषकर शिक्षा व रोजगार हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मानसिक तनाव व अवसाद से बचाने तथा इसका सामना करने के लिए जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में साइकोलोजिकल काउंसलिंग सेंटर्स प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

54. साथ ही, प्रदेश के युवाओं को शराब एवं नशे की लत जैसे व्यसनों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों पर 20 करोड़ रुपये की लागत से नशामुक्ति केन्द्र खोलना/सुदृढ़ करना प्रस्तावित है।

55. हमने Universal Health Care योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ पूरे प्रदेश में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को अत्यधिक सुदृढ़ किया है। आज प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। मात्र 3 जिलों- प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हैं। इन जिलों के लिए हमारे बार-बार आग्रह करने पर भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। अब मैं, इन 3 जिलों में राज्य के खर्चे से मेडिकल कालेज खोले जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा।

56. प्रदेश के अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्रफल एवं Medical Colleges की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवंHigh End Research सुनिश्चित करने की दृष्टि से RUHS (Rajasthan University of Health Sciences) के अतिरिक्त जोधपुर में Marwar Medical University स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इस पर 500 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

57. प्रदेश में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं RUHS तथा जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय (एमडीएम) सहित अन्य मुख्य चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में Tertiary Care चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं:-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

58. माननीय अध्यक्ष महोदय, आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से मुझे अवगत कराया गया है। इनकी मांगों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से- इसके साथ ही मैं उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेटेलाइट अस्पताल क्रमोन्नत किये जायेंगे, जिनकी सूची मैं सदन पटल पर रखता हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

(श्री अशोक गहलोत)

59. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेन्टर आफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, जोधपुर में खोला गया है। इसी तर्ज पर आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय, चाकसू-जयपुर में भी 50 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence in Panch-karma खोला जायेगा।

60. वर्तमान में 124 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से 52 चिकित्सालयों में ही पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। इस सुविधा की व्यापक पहुंच हेतु शेष 72 आयुर्वेद चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से पंचकर्म केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

61. राज्य में आयुष चिकित्सा को बेहतर करने के उद्देश्य से-

I. डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में यूनानी महाविद्यालय व बालोतरा-बाड़मेर में यूनानी चिकित्सालय,

II. नाथद्वारा-राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय,

III. भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय व बालोतरा-बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सालय, तथा

IV. अरडावता (चिड़ावा)-झुंझुनूं में आयुर्वेदिक औषधालय व श्रीमहावीरजी (हिण्डौन)-करौली में आयुष चिकित्सालय खोले जायेंगे।

V. साथ ही, लवाण-दौसा एवं नदबई-भरतपुर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय को 'अ' श्रेणी औषधालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VI. समस्त ब्लाकों पर होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

सड़क सुरक्षा :

62. यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि सम्पूर्ण देश में सड़कों पर यातायात व आवागमन बढ़ने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। यह बहुत दुःख का विषय है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि हमने सड़क सुरक्षा को

(श्री अशोक गहलोत)

प्रभावी करने की दृष्टि से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना' लागू करने, State Road Safety Institute का गठन तथा Integrated Traffic Management System (ITMS) विकसित करने जैसे ठोस कदम उठाये हैं, किन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। अतः आगामी वर्ष-

I. जिला स्तर पर Road Safety Task Force का गठन joint team के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इस Task Force में प्रशासन, पुलिस, परिवहन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी सम्मिलित होंगे।

II. समस्त बाल वाहिनियों (School Buses) में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाये जाने हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

III. जयपुर व जोधपुर में राजकीय Automated Fitness Testing Stations खोले जायेंगे।

IV. चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, पाली, सीकर व बाड़मेर के साथ ही इटावा-कोटा, बिछीवाड़ा-डूंगरपुर, खींवसर-नागौर, निवाई-टोंक, भील कुआं (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा तथा शाहपुरा-जयपुर में ट्रोमा सेन्टर्स की लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी। साथ ही, समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में गम्भीर घायलों को प्राथमिकता से उपचार के लिए Trauma Triage Protocol की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

शुद्ध के लिए युद्ध :

63. अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए हमेशा ही बहुत महत्व का विषय रहा है। इसके लिए प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही मिले, इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा एवं उनके विरुद्ध नियमित रूप से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही, 'शुद्ध के लिए युद्ध' मात्र एक अभियान तक सीमित न रहे, इस हेतु "खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय" की स्थापना करने के साथ ही 250 से अधिक Food Safety Officers के पद सृजित किये जा चुके हैं तथा आवश्यक Testing संसाधन भी उपलब्ध कराये हैं। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से-

I. राज्य स्तर पर Food Safety तथा Drug Control कार्यालयों का एकीकरण कर स्थापित Commissionerate of Food Safety and Drug

(श्री अशोक गहलोत)

Control की तर्ज पर जिला स्तर पर भी Food Safety and Drug Control Offices की स्थापना करना प्रस्तावित है।

II. इसके साथ ही, Food Safety Officers के 100 नये पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूं।

III. प्रत्येक जिले को Mobile Testing Lab उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

IV. राशन की दुकानों पर Digital Weigh Bridges उपलब्ध कराकर उन्हें Point of Sale (PoS) मशीनों से जोड़ा जायेगा। इससे NFSA लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल सकेगा।

V. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ जनसामान्य में जागरूकता लाने के लिए मैं जयपुर में, राज्यस्तरीय Facilitation and Mediation Centre की स्थापना 20 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, द्वितीय चरण में संभाग स्तर पर इन Centres की स्थापना 'Hub and Spoke Model' पर की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा:

64. माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े, जरूरतमंद एवं असहाय वर्गों तथा परिवारों को सम्बल प्रदान करना न सिर्फ हमारा दायित्व है, वरन् हमने इसे अपनी सरकार का मुख्य ध्येय भी माना है, सामाजिक सुरक्षा को।

आज हमारे देश में ऐसी भी विचारधारा है, जिसके अनुसार पेंशन तथा रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं सरकार के संसाधनों पर अनावश्यक भार हैं और ऐसी योजनाओं को सीमित अथवा बंद कर देना चाहिए। इस विडम्बना का सामना हमारा देश ही नहीं कर रहा है, अपितु अमेरिका जैसे विकसित देश में भी पूंजीवादी विचारधारा सामाजिक सुरक्षा का विरोध करती रही है। वहां भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों ने ऐसी विचारधारा का सामना कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को निरन्तर जारी रखा। मैं, सदन को अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति Mr. Barack Obama का यह कथन याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को दोहराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा Funds को बाजार में निवेश करने का भी पुरजोर विरोध किया था। 'जैसे वह एनपीएस का मामला है, ओपीएस के साथ में, वह भावना इसी में आ रही है।' उन्होंने 14 अगस्त, 2010 को कहा था:-

(श्री अशोक गहलोत)

"Seventy-five years ago today, in the midst of the Great Depression, Franklin Roosevelt signed Social Security into law, laying a cornerstone in the foundation of America's middle class, and assuring generations of America's seniors that after a lifetime of hard work, they would have a chance to retire with dignity."

"We have an obligation to keep that promise; आगे कहते हैं ओबामा साहब, "we have an obligation to keep that promise; जो मि. रुजवेल्ट ने कहा था, "to safeguard Social Security for our seniors, people with disabilities and all Americans-today, tomorrow, and forever."

आगे कहते हैं मि. ओबामा, "one thing we cannot afford to do though is privatize Social Security- an ill-conceived idea that would add trillions of dollars to our budget deficit while tying your benefits to the whims of Wall Street..." जैसे बोम्बे में शेयर मार्केट है वहां वॉल स्ट्रीट कहलाती है,..."trader and the ups and down of the stock market. I will fight with everything I have got to stop those who would gamble your Social Security on Wall Street."

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी थीम है और उसी थीम पर हम भी चलना चाहते हैं जो मि. बराक ओबामा ने कहा है। श्री बराक ओबामा के दिनांक 14 अगस्त, 2010 के कथन का सारांश मैं हिन्दी में पढ़ रहा हूं।

श्री बराक ओबामा के दिनांक 14 अगस्त, 2010 के इस कथन का सारांश है-

"आज से 75 वर्ष पूर्व (14 अगस्त, 1935 को), वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में, Franklin Roosevelt ने सामाजिक सुरक्षा को कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्रभर कठिन परिश्रम करने के बाद, ससम्मान सेवानिवृत्त हो सकें।

बराक ओबामा आगे कहते हैं... इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग एवं समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

(श्री अशोक गहलोत)

हम किसी भी सूरत में सामाजिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। यह एक बिलकुल गलत सोच है। इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाने के साथ-साथ Benefits की राशि को Stock Market की अनिश्चितता से भी जोड़ देंगे..."

जैसा अभी वो हमारे देश में भूचाल आया हुआ है अडानी साहब के गैस को लेकर वो ही, मैंने इसीलिये ओपीएस लागू की है। मैं माननीय सदन को कहना चाहूंगा कि ओपीएस की भावना यही थी जो 75 साल पहले कहा गया है।

आगे कहते हैं ओबामा साहब, ..."इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग एवं समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।" और आगे कहा है, हम किसी भी सूरत में सामाजिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं सौंप सकते। यह एक बिलकुल गलत सोच है इससे तो हम अरबों डॉलर बजट घाटा बढ़ाने के साथ-साथ Benefits की राशि को Stock Market की अनिश्चितता से भी जोड़ देंगे। मैं पूरा जोर लगाकर ऐसे लोगों को रोकूंगा जो हमारी सामाजिक सुरक्षा को बाजार के भरोसे रखना चाहते हैं।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यही बात मैं हमेशा सदन के माननीय सदस्यों को कहता रहता हूं कि हम भी हमारे कर्मचारियों को एनपीएस के माध्यम से स्टाक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। यही भाव है इसके अन्दर।

65. मैं माननीय सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त विचारों के समान ही कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा अर्थात् पेंशन हेतु अंशदान को NPS (National Pension Scheme) योजना के अंतर्गत बाजार में निवेश कर होने वाले Risk को देखते हुए ही मेरे द्वारा पिछले बजट में OPS (Old Pension Scheme) लागू करने का निर्णय लिया गया था। हाल ही में LIC जैसे भारत सरकार के उपक्रम के Share Prices में भी हुई अप्रत्याशित कमी ने हमारे OPS लागू करने के निर्णय को सही साबित किया है। मैं सदन के माध्यम से पुनः माननीय प्रधान मंत्री जी से सम्पूर्ण देश में कार्मिकों के लिए OPS लागू करने का आग्रह करूंगा।

(श्री अशोक गहलोत)

66. हमारी सरकार ने हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई सीख- "The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members," अर्थात् "समाज की सच्ची प्रगति इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।" को अपनी नीतियों का केन्द्र बिन्दु बनाया है। हमारा मानना है कि वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना उनका हक है। इसी कारण केन्द्र की हमारी UPA सरकार द्वारा Rights Based Laws जैसे MNREGA, RTE एवं Food Security Act के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनायें लागू की गईं। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार की ऐसी नीतियों के कारण ही तत्समय की वैश्विक मंदी (Global Recession) की मार से आम आदमी बच पाया।

67. जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि जहां राज्य सरकार द्वारा 9 हजार करोड़ रुपये वार्षिक व्यय कर 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, वहीं केन्द्र सरकार द्वारा केवल 10 लाख व्यक्तियों को ही मात्र 200/300 रुपये प्रतिमाह पेंशन देते हुए 300 करोड़ रुपये वार्षिक उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों में पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति अलग-अलग है। हाल ही में मैंने पत्र लिखकर माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग की है कि वे सम्पूर्ण देश के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को, कानून लाते हुए एकरूपता से लागू करने की व्यवस्था करें। जहां एक ओर हमने केन्द्र सरकार से यह मांग की है, वहीं हम पहल करते हुए राजस्थान में ऐसा कानून लाना प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों व परिवारों को Entitlement based Social Security प्राप्त हो सके।

इस दृष्टि से अब मैं, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी एवं ग्रामीण रोजगार गारन्टी के साथ सभी पेंशन योजनाओं को समाहित करते हुए कानून बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना से प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी तथा वृद्ध/दिव्यांग/एकल महिला होने की स्थिति में

(श्री अशोक गहलोत)

न्यूनतम एक हजार रुपये महीने की पेंशन प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार-

I. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS) में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया एवं विशेष योग्यजन को भी स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार मिल सकेगा, हमेशा के लिए।

II. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस का रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

III. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को, मैं वापस पुन: पढ़ रहा हूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने से 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लगभग 77 लाख लाभार्थियों को वर्तमान में देय 500-750 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर एक हजार रुपये पेंशन मिल सकेगी, तथा

IV. जैसा विदित है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने ही वर्ष 2019 में 6 वर्षों के बाद पेंशन राशि में वृद्धि की थी। लम्बे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर्स को होने वाली समस्या के निराकरण की दृष्टि से हर वर्ष, अब हर वर्ष परमानेन्ट 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि किये जाने के प्रावधान की भी घोषणा करता हूं।

68. वर्तमान में Ola, Uber (उबर), Swiggy (स्वीगी), Zomato तथा Amazon आदि कम्पनियों ने युवा कार्मिकों को संविदा पर 'Per Trans-action' के आधार पर जोड़ रखा है। ऐसे कर्मियों को Gig Workers कहते हैं। सम्पूर्ण विश्व के साथ ही प्रदेश में भी 'Gig Economy' का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आज प्रदेश में इनकी संख्या 3-4 लाख हो चुकी है। इन 'Gig Workers' के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था ये बड़ी कम्पनियां नहीं करती हैं। ऐसे workers को शोषण से बचाने व सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से मैं 'Gig Workers Welfare Act' लाना प्रस्तावित करता हूं। इसके अंतर्गत

(श्री अशोक गहलोत)

Gig Workers Welfare Board की स्थापना के साथ-साथ 200 करोड़ रुपये की राशि से Gig Workers Welfare and Development Fund के गठन की घोषणा करता हूं।

69. माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि नई पहल करते हुए मैं, पंजीकृत श्रमिकों एवं Street Vendors के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को hospitalization के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना' लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थनापत्र के Auto DBT के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।

70. प्रदेश में छात्रों, श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग के जन-सामान्य को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए हमने 'इंदिरा रसोई योजना' प्रारम्भ की थी। आज लगभग एक हजार इंदिरा रसोइयों पर मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली ससम्मान उपलब्ध होती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर दो हजार करने की मैं, घोषणा करता हूं। इससे इस योजना पर 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा।

71. हमने विभिन्न वंचित वर्गों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से उनके कल्याण एवं उत्थान के लिए कोष गठित किये थे, जिनके सार्थक परिणाम सामने आये हैं। इसे और अधिक गति देने तथा वृहद रूप प्रदान करने की दृष्टि से-

I. SC एवं ST विकास कोषों की राशि को 500-500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष एक-एक हजार करोड़ रुपये करना प्रस्तावित करता हूं।

II. साथ ही, OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि बढ़ाते हुए 200-200 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है, तथा

III. सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित 'वाल्मीकि कोष' की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में लगभग 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

72. अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के निवासियों के समग्र विकास के लिए PESA Act, 1996 [Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act] तथा Forest Rights Act, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने कई कदम उठाये हैं। आज भी जनजातीय क्षेत्र में अधिक से अधिक सामुदायिक पट्टे (Community Forest Rights) दिये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को और आगे ले जाने के साथ-साथ स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त करने की दृष्टि से मैं, PESA Implementation and Monitoring Task Force के गठन की घोषणा करता हूं। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का Corpus Fund बनाया जाना प्रस्तावित है।

73. आगामी वर्ष भी **मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना** के अंतर्गत 5 हजार स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं, अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण यथा- ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, स्टिक के लिए देय 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किये जाने की घोषणा करता हूं। इससे 50 हजार दिव्यांग लाभान्वित होंगे। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

74. विशेष योग्यजनों को बेहतर शैक्षिक वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु-

I. जयपुर स्थित बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत Centre of Excellence for Assistive Technology की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

II. बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में **महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय** स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 25 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया जायेगा। साथ ही, आगामी वर्ष कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

III. दिव्यांगों हेतु संचालित Aided Educational Institutions में ब्रेल पुस्तकें (Braille Books) तथा Play Elements उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इन संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में आगामी वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

75. अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु छात्रावासों के निर्माण सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जायेंगी, जो इस प्रकार हैं-

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

76. माननीय अध्यक्ष महोदय, **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा है-

"यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।"

साथ ही यह भी सर्वविदित है कि दूरगामी एवं sustained प्रभाव के लिए किसी भी देश-प्रदेश की सफलता महिलाओं और बच्चों पर ही निर्भर करती है। हमने इसी उद्देश्य से एक हजार करोड़ रुपये के Indira Mahila Shakti (IM Shakti) कोष का गठन कर उड़ान, इंदिरा मातृत्व पोषण व महिला उद्यम प्रोत्साहन जैसी विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं।

77. महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु-

I. मैं, महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले **एक लाख रुपये** तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूं।

II. साथ ही, 5 लाख नये परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराते हुए Revolving Fund व Community Investment Fund के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

78. प्रदेश में आंगनबाड़ियों में सुविधाओं के विस्तार एवं बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से-

I. मैं, **8 हजार आंगनबाड़ी** एवं **2 हजार मिनी आंगनबाड़ी** केन्द्र खोले जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 320 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

II. हमने इस वर्ष कक्षा I से VIII तक के सरकारी स्कूल के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को दो सैट यूनिफार्म प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में अब मैं, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख से अधिक बच्चों के लिए भी आगामी वर्ष 2 सैट यूनिफार्म उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 180 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

III. आंगनबाड़ी के बच्चों की नियमित शारीरिक जांच एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

79. जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

80. कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए **'Indira Gandhi working women hostels'** बनाये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 70 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु मैं, **"प्रियदर्शिनी डे-केयर सेन्टर योजना"** प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 60 करोड़ रुपये व्यय कर 500 डे-केयर सेन्टर्स खोले जायेंगे।

81. महिलाओं को सुरक्षित अपने निवास से दूर स्थित औद्योगिक क्षेत्र अथवा Official Clusters तक लाने-ले जाने के लिए **Women Special Bus Service** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराये में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

82. सामूहिक विवाह अनुदान योजना में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति जोड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में यदि सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति व धर्म के परिवार सम्मिलित होकर 'अनेकता में एकता' की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन करेंगे तो, आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।

83. साथ ही, अन्तरजातीय विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तथा इसी प्रकार युवाओं द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूं।

84. स्कूली बच्चों को समुचित पोषण मिल सके, इस दृष्टि से मिड-डे मील के अन्तर्गत सप्ताह में 2 दिवस दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं, मिड-डे मील के

(श्री अशोक गहलोत)

अंतर्गत **एक हजार करोड़ रुपये** प्रतिवर्ष की लागत से बच्चों को **प्रतिदिन दूध** उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

85. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि कोरोना के कारण हुई विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए हमारे द्वारा घोषित सहायता पैकेज- **मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना** की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। इसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को एक लाख रुपये एकमुश्त, 18 वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह 2 हजार 500 रुपये एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता देय है। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि अब मैं, कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर **सरकारी नौकरी** दिए जाने की घोषणा करता हूं।

86. पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को देय एक हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ा कर एक हजार 500 रुपये करना प्रस्तावित करता हूं। इससे प्रतिवर्ष 6 लाख 50 हजार से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे।

औद्योगिक विकास:

87. अध्यक्ष महोदय, उद्योगों के विस्तार एवं वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अत: प्रदेश में औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मैं, आगामी वर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में **400 करोड़ रुपये से अधिक** के विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित करता हूं। ये कार्य हैं-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

88. हमने प्रवासी राजस्थानियों को पुन: अपनी मिट्टी से जोड़ते हुए निवेश के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में भागीदारी निभाने की दृष्टि से लगातार प्रयास किये हैं तथा यह प्रसन्नता का विषय है कि सम्पूर्ण विश्व में निवास कर रहे राजस्थानी Diaspora ने भी अपनी ओर से सार्थक पहल की। इसी क्रम को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से आगामी वर्ष Rajasthan Foundation के तत्वाधान में **International Rajasthani Conclave (IRC)** किया जाना प्रस्तावित है।

89. वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 96 उपखण्डों में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

(श्री अशोक गहलोत)

आगामी वर्ष, औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित रहे शेष **50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों** की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार से हैं:-

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

90. राज्य में आयात-निर्यात की सुविधा एवं व्यापार संवर्धन हेतु राजसिको के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की जायेगी एवं जयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, बीकानेर व पचपदरा-बाड़मेर में Inland Container Depots की स्थापना की जायेगी।

91. प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSMEs) के विकास हेतु-

I. RIICO औद्योगिक क्षेत्र में MSME Units को सुविधा देने की दृष्टि से 200 करोड़ रुपये की लागत से Co-Working Space एवं Work-shops का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

II. उद्यमियों की सुविधा हेतु राजसिको द्वारा जयपुर में 125 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक आधारभूत सुविधायुक्त 'विश्वकर्मा MSME Tower' विकसित किया जायेगा।

III. औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार Industries के साथ Part-nership में श्रमिकों की आवासीय सुविधा के लिए पहल करते हुए Transit Housing Scheme लायी जानी प्रस्तावित है।

92. राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, दस्तकारी, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से-

I. राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू करते हुए आगामी वर्ष में दौसा व टोंक में चमड़े के उत्पाद, चूरू व बीकानेर में बंधेज तथा बाड़मेर में कशीदाकारी के क्लस्टर्स सहित अन्य चयनित क्लस्टर्स में 25 करोड़ रुपये व्यय कर आधारभूत संरचना एवं क्षमता विकास के कार्य किये जायेंगे। साथ ही, ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर में Centre of Excellence की स्थापना की जायेगी।

II. अलवर एवं पुष्कर-अजमेर में 'ग्रामीण हाट' की स्थापना की जायेगी।

III. प्रदेश में खादी का उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ खादी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे द्वारा खादी पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती

(श्री अशोक गहलोत)

रही है। आगामी वर्ष भी 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, 50 खादी संस्थाओं/समितियों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

IV. खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कत्तिनों एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

आधारभूत संरचना (Infrastructure):

सड़क एवं नागरिक सुविधाएं:

हमारे द्वारा इस कार्यकाल में 24 हजार 405 करोड़ रुपये का व्यय कर 8 हजार 987 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण, एक हजार 68 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों व 6 हजार 448 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास तथा 37 हजार 286 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों सहित कुल 53 हजार 789 किलोमीटर सड़कों के विकास कार्य करवाये गये हैं।

93. वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के बजट में प्रत्येक जिले के 3-3 प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों के विकास कार्य स्वीकृत किये गये। आगामी वर्ष में प्रत्येक जिले की 5-5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों सहित अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण, रिपेयर एवं उन्नयन कार्यों के साथ-साथ पुल निर्माण कार्य लगभग 6 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं। मैं पूरी सूची सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

मैं अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य की सूची भी इसी प्रकार से सदन के पटल पर रखता हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

मैं पुल निर्माण के कार्यों का विवरण भी सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

94. हमारे द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य करवाये जाने हेतु 2021-22 एवं 2022-23 के बजट में क्रमश: 5 करोड़ रुपये एवं 10

(श्री अशोक गहलोत)

करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मैं, आमजन व जन प्रतिनिधियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगामी वर्ष भी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन-पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 2 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से नगरपालिका में 20 किलोमीटर, नगर परिषद् में 35 किलोमीटर तथा नगर निगम में 50 किलोमीटर सड़क के कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग एक हजार 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

95. हमारे द्वारा प्रदेश के छोटे से छोटे गांवों को सड़क से जोड़ने की सोच के साथ वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा के अंतर्गत 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। इसकी निरन्तरता में-

I. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 350 से अधिक की आबादी के शेष रहे सभी 526 गांवों को लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से तथा आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले शेष रहे सभी 456 गांवों को लगभग 625 करोड़ रुपये की लागत से डामर सड़कों से जोड़ा जायेगा।

II. माननीय विधायकगण द्वारा वर्ष 2011 के बाद घोषित राजस्व गांवों को जोड़ने की मांग भी की जाती रही है। ऐसे 500 से अधिक आबादी के 123 राजस्व गांवों को लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

96. प्रदेश के 4 हजार किलोमीटर के राजमार्ग (State Highways) जो 2 लेन नहीं हैं, उनमें से प्रथम चरण में एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को एक हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से 2 लेन किये जाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी, जिनके कार्य प्रगतिरत हैं। इसी की निरन्तरता में आगामी वर्ष द्वितीय चरण में एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन किये जाने के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस पर लगभग एक हजार 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

97. गत दो मानसून प्रदेश में अच्छी वर्षा वाले रहे हैं। इससे जहां एक

(श्री अशोक गहलोत)

ओर अच्छी खेती हुई है व खुशहाली आयी है, वहीं दूसरी ओर सड़कों का अत्यधिक नुकसान भी हुआ है। साथ ही, जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी कई स्थानों पर सम्बन्धित संवेदक (Contractor) द्वारा पाइप बिछाने के बाद सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसी ही स्थिति बहुत बार विभिन्न Underground Infrastructure डालते हुए भी देखी जाती है। भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आये, इस हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा Road Restoration का कार्य सम्बन्धित संवेदक के स्थान पर PWD के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों को Contractor के Risk and Cost के साथ ही वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों (Bridges) के repair के कार्य लगभग एक हजार 250 करोड़ रुपये से करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

98. महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्र में अभूतपूर्व रोजगार सृजन के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी हुआ है। इस सफल यात्रा के क्रम को बढ़ाते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक ग्राम के गहन आबादी क्षेत्र में एक किलोमीटर तक की इंटरलाकिंग ब्लाक/टाइल सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 6 हजार गांवों को सम्मिलित किया जायेगा। इस पर 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

99. प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से मैं, रोडवेज (RSRTC) के बेड़े में एक हजार नई बसें Service Model पर शामिल करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, Private बसों के माध्यम से भी अधिकाधिक सुविधा मिल सके, इस हेतु 2 हजार 500 नये Routes के परमिट दिये जायेंगे।

100. आज शहरी क्षेत्रों में आमजन को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सड़कों पर छोटे वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने हेतु बसों/मिनी बसों के माध्यम से लोक परिवहन व्यवस्था अति आवश्यक है। इस दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा सहित अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित City Transport कम्पनियों को merge करते हुए Rajasthan City Transport Corporation बनाने के साथ ही 500 नई बसें/मिनी बसें Service Model पर लिए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, शहरों में

(श्री अशोक गहलोत)

Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से 250 Fast EV चार्जिंग स्टेशन लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

101. लोहावट-जोधपुर में केन्द्रीय बस स्टैण्ड तथा अरांई (किशनगढ़)-अजमेर व घूमचक्कर चौराहा (श्रीडूंगरगढ़)-बीकानेर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाये जायेंगे। साथ ही, सादुलशहर-श्रीगंगानगर में बस डिपो खोला जायेगा।

102. प्रदेश के शहरों में आमजन के लिए सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव कम करने, सुनियोजित विकास, सौन्दर्यीकरण एवं सीवरेज हेतु लगभग एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

103. हमने शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निस्तारण (waste disposal) के लिए CETP, STP तथा FSTP स्थापित करने का कार्य वृहद् स्तर पर किया है। अब मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समुचित सुविधाएं देने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले लगभग 25 गांवों में Shallow Sewer Treatment Plants तथा शेष 75 गांवों में FSTP लगाने की घोषणा करता हूं। इस पर 650 करोड़ रुपये व्यय होना संभावित है।

104. हम शहरी विकास को नये आयाम तक ले जाने एवं शहरों को 'Smart' बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु '3D City' परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित '3D City' परियोजना की घोषणा करता हूं। इसके लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

105. डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि को 25-25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष 40-40 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल:

राज्य में जल उपलब्धता की विषम स्थिति एवं दूर-दूर बसी आबादी के कारण परियोजनाओं की लागत (Cost of Service Delivery) अत्यधिक

(श्री अशोक गहलोत)

है, फिर भी प्रदेश के लिए जल उपलब्धता के महत्व को देखते हुए हमने जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यों को तीव्र गति से (Fast Track) implement किया है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक घर में जल पहुंचाने की दिशा में आज दिनांक तक 32 लाख 50 हजार से अधिक घरों में जल कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 15 लाख घरों में और कनेक्शन दिये जायेंगे। इसी क्रम में आगामी वर्ष 47 लाख 80 हजार घरों में जल कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।

106. अध्यक्ष महोदय, जैसा सभी को विदित है कि भू-जल स्रोतों की तुलना में सतही स्रोत कहीं अधिक दीर्घकालीन व स्थायी होते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक भाग को सतही स्रोतों से जल आपूर्ति हो सके, अतः प्रदेश में 3 हजार 133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल के माध्यम से Sustained Water Supply उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब मैं, लगभग 11 हजार 255 करोड़ रुपये लागत की 3 वृहद् पेयजल योजनाओं की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	**सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजना**	**लागत**
1.	चम्बल नदी आधारित कालीतीर परियोजना-बाड़ी, बसेड़ी-धौलपुर, बयाना-भरतपुर	822 करोड़ रुपये
2.	चम्बल-अलवर-भरतपुर पेयजल परियोजना-अलवर, भरतपुर	5 हजार 776 करोड़ रुपये
3.	चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती परियोजना-सवाई माधोपुर, करौली	4 हजार 657 करोड़ रुपये

107. इसी क्रम में प्रदेश के 13 जिलों यथा-अजमेर, अलवर, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, दौसा, जयपुर एवं टोंक के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) जीवनदायिनी साबित होगी, इसीलिए हम अपने वित्तीय संसाधनों से ERCP का कार्य निरन्तर जारी रखेंगे। अभी तक एक हजार 284 करोड़ रुपये व्यय कर नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध के कार्य प्रगतिरत हैं। आगामी वर्ष ERCP Corporation के माध्यम से 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

इन उल्लेखित सतही जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त प्रदेश के 38 हजार 668 गांवों अर्थात् लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण भू-भाग को सतही जल स्रोत से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

108. ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत एससी/एसटी बहुल एवं डीडीपी ब्लाक के ग्रामों में In Village Infrastructure की लागत का 5 प्रतिशत एवं शेष ग्रामों में 10 प्रतिशत सामुदायिक योगदान का प्रावधान है।

हमारे प्रदेश की ढाणियों में बसावट तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने से योजना की लागत अधिक आती है, जिससे सामुदायिक योगदान की राशि का ग्रामीण परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। अतः आमजन को राहत देने के उद्देश्य से ग्रामवासियों द्वारा देय सामुदायिक योगदान की राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग एक हजार 500 करोड़ रुपये का भार आयेगा।

109. अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 183 शहरों/कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण यथा-नवीन स्रोत, पम्प हाउस एवं जलाशयों का निर्माण, पाइप लाइनों को बदलने तथा नई पाइप लाइन डालने सम्बन्धी 5 हजार 122 करोड़ रुपये लागत के कार्य हाथ में लिए जायेंगे। इसके तहत 33 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन से एक करोड़ 43 लाख आबादी को पर्याप्त मात्रा में एवं उचित दबाव (proper pressure) से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

110. प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे, जिसकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

111. मैं, उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु देवास-III एवं IV बांधों का एक हजार 691 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाये जाने की घोषणा करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुन लिया या मैं वापस बोलूं? मैं उम्मीद कर रहा था कि इसके लिए तो आप ताली बजाएंगे। इतना बड़ा काम आपके एक हजार 691 करोड़ की लागत से देवास III एवं IV स्वीकृत आपके शहर में हो रहा है।

112. शहरी क्षेत्रों में High Rise Buildings की संख्या में लगातार

(श्री अशोक गहलोत)

वृद्धि हो रही है, किन्तु वर्तमान में ऐसी buildings water supply के लिए भूजल (Ground Water) पर ही निर्भर हैं तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा इन्हें जल उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। इससे न सिर्फ इनमें निवास करने वाले प्रदेशवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि भूजल का अत्यधिक दोहन भी होता है। अतः अब मैं, ऐसे apartments में निवास करने वाले परिवारों की सुविधा के लिए इन भवनों को भी PHED की योजनाओं से जल उपलब्ध कराना अनुमत करने की घोषणा करता हूं।

ऊर्जा:

113. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिदृश्य में किसी भी प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे इस कार्यकाल की शुरुआत में सरकार की उत्पादन कम्पनी की विद्युत उत्पादन क्षमता, जो 6 हजार 600 मेगावाट थी, उसे बढ़ाकर आज लगभग 8 हजार 600 मेगावाट किया जा चुका है। साथ ही, आज हमारा राज्य Renewable Energy के क्षेत्र में 21 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित कर देश में पहले स्थान पर आ गया है। इसमें से लगभग 14 हजार मेगावाट क्षमता हमारी वर्तमान सरकार के समय commission हुई है।

114. जैसा कि सर्वविदित है वर्तमान में देश/विदेश से कोयला आपूर्ति में समय-समय पर समस्याएं आती रहती हैं। अतः प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लिग्नाइट (Lignite) के भण्डारों को देखते हुए बाड़मेर में एक हजार 100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित Power Plant लगभग 7 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित करता हूं।

115. Global Warming व Climate Change के दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु आज समस्त विश्व Net Zero Economy की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के per capita carbon emissions विकसित देशों के मुकाबले नगण्य हैं, परन्तु हमारा प्रदेश अपनी अपार सौर एवं पवन ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए पूरे देश के Clean Energy Transition की धुरी बन गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 11 हजार मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित (Renewables Based Generation) Plants और लगाये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

116. Renewables Based Supply के साथ-साथ Efficient बिजली प्रबन्धन के लिए Transmission Network, Energy Accounting एवं Demand Side Management पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के केवी सब स्टेशन, विद्युत सर्किल एवं विद्युत कार्यालय बनाये जाने प्रस्तावित हैं। यह पूरी सूची मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

117. विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवायें उपलब्ध कराने के लिए Online Integrated Management System लागू करने के साथ-साथ पांचों विद्युत कम्पनियों के IT संबंधी कार्यों के लिए विद्युत आईटी कम्पनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बिजली उत्पादन एवं मांग के सटीक पूर्वानुमान के लिए advanced data analytics आधारित Integrated Real Time Data and Command Centre स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से Energy Exchange से आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर बिजली खरीदी जा सकेगी। इन पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

वन एवं पर्यावरणः

118. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को 'हरित प्रदेश' बनाने की दिशा में Rajasthan Greening and Rewilding Mission प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगामी वर्ष-

I. 80 हजार हैक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जायेगा।

II. वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।

III. बाघों (Tigers) को बेहतर इको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए टाइगर रिजर्व यथा-रणथम्भौर-सवाई माधोपुर, रामगढ़ विषधारी-बूंदी, मुकुन्दरा हिल्स-कोटा, धौलपुर तथा सरिस्का-अलवर एवं आस-पास के क्षेत्रों जैसे बीड़ दौलतपुरा एवं रूंधशाहपुर में कार्य करवाये जायेंगे।

IV. लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए खेतड़ी बांसियाल, मनसा माता, शाकम्भरी-झुंझुनूं, जयसमंद, केवड़ा की नाल-उदयपुर; शाहबाद-बारां; बीड़ पापड़-जयपुर; बालीसर तथा कुम्भलगढ़, रावली टाटगढ़-राजसमंद में कार्य करवाये जायेंगे।

V. पालीघाट-सवाई माधोपुर में घड़ियालों, खींचन-जोधपुर में कुर्जा व राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

VI. Grass Land and Wetland Development हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यों के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध सांभर झील का विकास भी करवाया जाना प्रस्तावित है।

119. प्रदेश में हरियाली एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्य एवं वन्यजीवों सम्बन्धी गतिविधियों में दीर्घकालीन निवेश हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) शुरू की जायेगी। इसके अन्तर्गत अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों सहित अन्य कार्य लगभग एक हजार 694 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

120. प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका की सूची सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

121. प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्य को प्रभावी बनाये जाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की जायेगी। आगामी वर्ष इसके तहत-

I. जमवारामगढ़-जयपुर में 48 हैक्टेयर क्षेत्र में Integrated Resource Recovery Park स्थापित किया जायेगा। इसमें री-साइकिल वेस्ट को दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

II. CETP Plant की स्थापना एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सहायता की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. समस्त संभागीय मुख्यालयों के साथ-साथ अलवर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

पर्यटन कला एवं संस्कृति

122. हमारे द्वारा राज्य में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों हेतु रोजगार सृजित कर पर्यटन को उनकी आजीविका से जोड़ने एवं अधिकाधिक देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए

(श्री अशोक गहलोत)

ब्राण्डिंग सहित विभिन्न कार्यों हेतु पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था। साथ ही, मेरे द्वारा पिछले बजट में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पर्यटन को उद्योग के रूप में पूर्ण मान्यता प्रदान की गई थी, जिसका पर्यटन इकाइयों, Hoteliers, Tour Operators, Travel Agents तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं व युवाओं ने स्वागत किया है। राज्य में पर्यटन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अब मैं **पर्यटन विकास कोष** की राशि को **एक हजार करोड़** से बढ़ाकर **एक हजार 500 करोड़ रुपये** करने की घोषणा करता हूं।

123. Conferences, Destination Weddings एवं अन्य आयोजनों के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर शहर अग्रणी पसंद हैं। इसके दृष्टिगत इन शहरों में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के conventions व exhibitions के लिए **MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) Centres** स्थापित किये जायेंगे। इन पर लगभग 100-100 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

124. राज्य में **Golf Tourism** की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए माउण्ट आबू-सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ रुपये की लागत से अन्तरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किये जायेंगे।

125. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 176 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

126. पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश में पेनोरमा निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधायें 140 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जायेंगी, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर रखता हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

127. अन्तरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, लेखकों एवं साहित्य प्रेमियों द्वारा साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में **Rajasthan Literature Festival** का आयोजन किया जाना पुनः प्रस्तावित करता हूं। इस Festival में

(श्री अशोक गहलोत)

प्रदेश के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से **कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस एवं विजयदान देथा** इत्यादि के नाम से साहित्य पुरस्कार प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

128. राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफरों, कलाकर्मियों, शिल्पियों, कलाकारों, बाल कलाकारों, रंगकर्मियों के लिए जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के **जयपुर कला समागम** का Biennial Event के रूप आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

129. प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ-साथ लोक कलाकारों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये राशि का **लोक कलाकार कल्याण कोष** बनाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए-

I. लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की घोषणा करता हूं।

II. लोक कलाकारों को 5 हजार रुपये राशि के उनकी कला से सम्बन्धित यंत्र-उपकरण क्रय करने हेतु एकबारीय सहायता प्रदान की जायेगी।

130. प्रदेश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराये में छूट को **30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत** करने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के विभिन्न मेलों यथा कैलादेवी-करौली, झील का बाड़ा-भरतपुर, श्रीरामदेवरा-जैसलमेर, दरगाह उर्स, पुष्कर-अजमेर, खाटूश्यामजी-सीकर, सालासर बालाजी-चूरू. गोगामेडी-हनुमानगढ़, बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर, रणथम्भौर गणेशजी-सवाई माधोपुर, डिग्गी कल्याण जी-टोंक, भर्तृहरि/पाण्डूपोल-अलवर, बुड्ढा जोहड़ गुरूद्वारा-श्रीगंगानगर एवं फाल्गुन (मुकाम)-बीकानेर हेतु यह छूट मिल सकेगी।

131. प्रदेश में मेलों के महत्व को देखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने मेला प्राधिकरण का गठन किया है। इसके सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विभिन्न मेला स्थलों पर सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

132. अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा शुरू की गई **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** के अंतर्गत इस वर्ष में 20 हजार श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवायी जा रही है। इस योजना के प्रति वृद्धजनों ने अपार उत्साह दिखाया है तथा अभी लगभग एक लाख प्रार्थना पत्र pending हैं। आगामी 2 वर्षों में इन सभी वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवाये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, इस योजना में नये तीर्थ स्थल अयोध्या--उत्तरप्रदेश, सम्मेद शिखर, वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग-झारखण्ड, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक-महाराष्ट्र एवं श्रवणबेलगोला-कर्नाटक भी शामिल किये जाने की घोषणा करता हूं।

कानून व्यवस्था:

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के परिवेश में देश के साथ-साथ प्रदेश में भी शान्ति, साम्प्रदायिक सौहार्द्र व भाईचारे के माहौल को बनाये रखने के सतत प्रयासों की अति आवश्यकता है। देश के प्रथम प्रधान मंत्री **पण्डित जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था- **"Without peace all other dreams vanish and are reduced to ashes."**

अर्थात्- "शान्ति के बिना हमारे तमाम सपने मिट कर खाक हो जाते हैं"। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोट कई मैसेज देता है, शान्ति के बिना हमारे तमाम सपने मिट कर खाक हो जाएंगे।

133. राजस्थान सदा से एक शान्तिप्रिय प्रदेश रहा है, किन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर हमें कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सतत कार्यवाही करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के कर्णधार-बच्चों व युवाओं को संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित मूल्यों से अवगत कराकर उनके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस क्रम में-

I. मैं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत/वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी **पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र** स्थापित करने की घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2 हजार 500 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. प्रदेश में गांधीवादी विचारधारा के साथ ही शांति एवं भाईचारे के संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से हमने **"शांति एवं अहिंसा विभाग"** की

(श्री अशोक गहलोत)

स्थापना की है। संभवतः राजस्थान ऐसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में, सम्पूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति एवं सद्भाव का संदेश घर-घर तक पहुंचाने के साथ-साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में सहायता के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड हेतु 50 हजार स्थानीय युवक-युवतियों को मानदेय पर **'महात्मा गांधी सेवा प्रेरक'** बनाया जाना प्रस्तावित है। इन सेवा प्रेरकों द्वारा ही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्रों का संचालन भी किया जायेगा।

134. प्रदेश में शान्ति एवं सद्भाव की भावना के प्रसार के साथ-साथ समाजकंटकों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने हेतु उठाये गये proactive कदमों के फलस्वरूप आज, 156 (3) CrPC के अन्तर्गत न्यायालयों के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों के साथ ही विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय में भी अत्यधिक कमी आयी है।

135. प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना घटित होने पर Dial 100/112 व अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इस प्रणाली को बेहतर करने के लिए 30 हजार CCTV कैमरे लगाने का कार्य प्रगतिरत है तथा 500 पुलिस मोबाइल Vans शीघ्र ही deploy की जा रही हैं। इस प्रणाली को और अधिक वृहद तथा मजबूत करने की दृष्टि से आगामी वर्ष-

I. मैं, 500 पुलिस मोबाइल Units (Service Model/108 Ambulance-की तर्ज पर) और गठित करने की घोषणा करता हूं।

II. प्रदेश के कोने-कोने में आमजन विशेषकर महिलायें सुरक्षित महसूस कर सकें, इस हेतु CCTV कैमरों की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर **5 लाख** की जायेगी। साथ ही, उप अधीक्षक स्तर तक एक-एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

III. अभय कमांड सेंटर के तकनीकी सिस्टम को upgrade करते हुए प्रदेश के Command Centres की call taking क्षमता बढ़ाने के लिए कुल सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 125 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

136. प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों

(श्री अशोक गहलोत)

पर प्रभावी नियंत्रण करने, पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ-साथ आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय, थाने, चौकियां तथा न्यायालय खोले जायेंगे, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

137. साथ ही, बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रत्येक ज़िले में **Vulnerable Witness Deposition Centre** की स्थापना की जायेगी।

138. कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवनस्तर में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु-

I. आवश्यकतानुसार कारागृहों में 80-80 बंदी क्षमता की 15 नवीन बैरक बनायी जायेंगी। इस पर 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. जिला कारागृहों में पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

III. बच्चों की देखभाल हेतु प्रथम चरण में केन्द्रीय कारागृह-जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास-दौसा में क्रेच (Creche) की स्थापना की जायेगी।

IV. राज्य के कारागृहों में सुविधा विस्तार हेतु 6 मिनी बस एवं 10 एम्बुलेंस उपलब्ध करवायी जायेंगी।

139. प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष **Bar Council of Rajasthan** को सहायता के रूप में प्रदान करना प्रस्तावित करता हूं।

(समय: 14.00 बजे)

सुशासन:

140. संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के पूर्व Secretary General श्री कोफी अन्नान ने कहा है- "Good-governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development." अर्थात् "सुशासन संभवतः गरीबी उन्मूलन एवं विकास प्रोत्साहन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।"

(श्री अशोक गहलोत)

हमारी सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेहिता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ राज्य में सुशासन स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया है। हमारी सदैव कोशिश रही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ (benefits) की पहुंच अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के efficiently एवं timely सुलभ हो सके।

जैसाकि विदित है कि भारत को 21वीं सदी में ले जाते हुए IT क्रान्ति लाने का श्रेय हमारे पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी को जाता है। उन्होंने कहा था-

"A responsive administration is tested most at the point of interface between the administration and the people."

अर्थात् -"एक संवेदनशील प्रशासन की परख सबसे अधिक प्रशासन तथा आमजन के मध्य सम्पर्क बिन्दु पर होती है।"

इस सम्पर्क बिन्दु अर्थात् सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक harassment से मुक्त कर समयबद्ध रूप से सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में हमने 'Digital Verification' आधारित Auto Approval तथा Deemed Approval प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए खुशी है कि हम इन प्रणालियों को प्रभावी कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास तथा प्रसूति सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत आमजन को hassle free सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रणाली को institutionalise करने के लिए 'Rajasthan Guaranteed Service Delivery and Accountability Bill' शीघ्र ही विधान सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

141. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज Pioneer के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में सम्भवतः पहली बार पात्र व्यक्ति/परिवारों को बिना आवेदन किये ही घर बैठे auto benefits व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए जन आधार data base का उपयोग करते हुए Information Technology, Artificial Intelligence व Machine Learning आधारित Real Time Auto Service Delivery System-SWATAH

(श्री अशोक गहलोत)

(स्वतः) लागू किये जाने की घोषणा करता हूं। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं स्वतः उपलब्ध हो जायेंगी, जैसे- जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना, NFSA पात्रता व आयु के आधार पर स्वतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शालादर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति/पालनहार स्वतः उपलब्ध होना।

142. IT के बढ़ते उपयोग से सुशासन तो स्थापित हुआ ही है लेकिन साथ ही cyber security एवं data security सम्बन्धी चुनौतियां भी सामने आयी हैं। इनके प्रभावी निस्तारण के लिए-

I. IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5 प्रतिशत भाग cyber security के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हमारा यह निर्णय प्रदेश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

II. सरकारी Land Records, Health Records, e-Coupons में भी किसी प्रकार के manipulations की रोकथाम के लिए इन रिकार्ड्स को Block Chain Technology द्वारा सुरक्षित संधारित किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

III. जयपुर में Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance स्थापित किया जायेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

143. आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ कराने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाये। हमने सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में e-office प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में, विभागों/PSUs/बोर्ड/निगम कार्यालयों में process re-engineering करते हुए files पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मेसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसैस ऑटोमेशन, Artificial Intelligence आदि नवीनतम तकनीक आधारित RajKaj 2.0 विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

144. सुशासन हेतु यह भी आवश्यक है कि हमारा नीति निर्माण evidence based हो, उसमें behavioural science का उपयोग किया जाये तथा

(श्री अशोक गहलोत)

सरकारी योजनाओं का concurrent evaluation हो, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में real time में ही सुधार किया जा सके। इसके लिए Integrated Data Analytics System- 'PARAM' विकसित किया जायेगा। साथ ही, समस्त Data के storage हेतु Centralised Data Lake बनाया जायेगा। इन पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

145. शहरी नियोजन, Forest Survillence, आपदा प्रबन्धन, कृषि, पर्यटन, खान एवं भूविज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार ड्रोन मय पायलट उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

146. युवाओं को Block Chain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics एवं Virtual Reality आदि Advanced तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा Certificate Courses व Multi Discipilinary Research कराने के लिए Rajiv Gandhi Centre of Advance Technology (R-CAT) जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही, जोधपुर में Rajiv Gandhi Fintech Digital University cum Institute के तत्वावधान में इसके अस्थायी कैम्पस में भी R-CAT के courses प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इनके उपयोग एवं लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र खोले जायेंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाना प्रस्तावित है।

(समय: 14.04 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:

147. हमारे कई जिले ऐसे हैं, जहां जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में मुझे माननीय सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय-समय पर नये जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे मांग पत्रों के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर नये जिलों के लिए अभिशंषा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

148. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के और विस्तार हेतु विभिन्न कार्यालय यथा-उप तहसील, तहसील, उपखण्ड, नगरपालिका आदि खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे, जिसकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

149. सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों हेतु सुरपुरा (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं एवं किशनपोल- जयपुर में सामुदायिक भवन बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

150. पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों हेतु सीकर में सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केन्द्र का निर्माण तथा जोधपुर में 75 करोड़ रुपये की लागत से मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक एवं म्यूजियम निर्मित किया जायेगा। साथ ही, देवगढ़ (भीम)-राजसमंद में सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जायेगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): हमारे जिला की घोषणा तो कर दो, साहब।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री):

कार्मिक कल्याण:

151. हमारी सरकार सुशासन में सरकारी कार्मिकों की भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए उनके कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। इसी कारण मैंने प्रदेश में पुनः पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्णय किया। अभी भी कुछ बोर्ड/निगम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को OPS का लाभ देय नहीं है। अब मैं, प्रदेश की इन सभी सरकारी संस्थाओं यथा- विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, रीको, RTDC, RSMML, विश्वविद्यालय एवं अकादमियों आदि में भी OPS लागू करने की घोषणा करता हूं। इससे एक लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे।

152. साथ ही, कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान अर्हक सेवा (Qualifying service) की अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करना प्रस्तावित करता हूं।

153. हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर्स की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई Rajasthan Government Health Scheme (RGHS),... जो माननीय विधायकगणों को भी और रिटायर एक्स एम.एल.एज. को भी शामिल है,... देश की सर्वाधिक सुविधा वाली कार्मिक चिकित्सा योजना है। इसके

(श्री अशोक गहलोत)

अंतर्गत पेंशनर्स को देय सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से OPD हेतु निर्धारित 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष करना प्रस्तावित करता हूं।

(समय: 14.08 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

154. सरकारी सेवाओं में पद रिक्त रहने से आम जनता के कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए हमारी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसी क्रम में पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अवधि तथा निचले पद पर अनुभव पूर्ण करने की अवधि में 2 वर्ष छूट दिए जाने की घोषणा करता हूं।

155. कार्मिकों के एक ही पद पर stagnation की समस्या को देखते हुए प्रदेश में 25 जनवरी, 1992 से 'Selection Grade' समयबद्ध रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 9-18-27 वर्षों पर Promotional Post का Pay Scale दिये जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग (6th pay Commission) की अभिशंषा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा ACP (Assured Career Progression) को संशोधित कर लागू किया, जिसके अंतर्गत 10-20-30 वर्षों पर एक आगे की Pay Scale देने का प्रावधान किया गया। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी, 2006 से 6th Pay Commission को लागू करते समय Selection Scale के स्थान पर ACP की व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9-18-27 तथा State Services को 10-20-30 वर्षों पर एक Higher Pay Scale दिये जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार Selection Grade से ACP में परिवर्तन से कार्मिकों के लाभ में कमी आ गई तथा कई कार्मिक द्वितीय तथा तृतीय पदोन्नति के समकक्ष वेतनमान तक अपने सेवाकाल के अंत तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कार्मिकों की समस्या एवं लम्बे समय से चली आ रही उनकी मांग को देखते हुए अब मैं, ACP में पुनः संशोधन करते हुए State Service सहित सभी कार्मिकों को, 1992 में स्वीकृत की गई Selection Grade की तर्ज पर, ACP के अंतर्गत 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदोन्नति वाले Pay Scale दिये जाने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

156. कार्मिकों की पदोन्नति के समय, वर्ष 2017 में लाये गये संशोधन के कारण एक increment देते हुए निर्धारित Pay Cell में और यदि ऐसी Cell उपलब्ध न हो तो आगे की Cell में Fixation किया जाता है। ऐसे में Same Cell होने की स्थिति में मात्र एक ही increment का लाभ मिल पाता है। अब मैं, ऐसी स्थिति में भी आगे वाली Cell में Fixation करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, कर्मचारियों को increments का समुचित लाभ देने की दृष्टि से भविष्य में increment के लिए दो तिथियों-1 जनवरी एवं 1 जुलाई का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

157. कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्तमान में देय Special Allowance एवं Special Pay में 'वेतन विसंगति परीक्षण समिति' की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

158. हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही 'Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022' के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी (Permanent) होने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही, इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। अब मैं, अन्य सेवाओं से IAS में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिये जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों (Contractual Service Rules) में आने से पहले की सेवा का लाभ दिये जाने की घोषणा करता हूं।

159. अध्यक्ष महोदय, साथ ही, Placement Agencies के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने हेतु ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए REXCO की तर्ज पर सरकारी Rajasthan Logistical Services Delivery Corporation (RLSDC) के गठन की घोषणा करता हूं। 1 जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण wages प्राप्त हो सकेंगे।

160. Part Time कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को भी उचित संरक्षण देते हुए Post Retirement आर्थिक support की व्यवस्था करने की दृष्टि से Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules बनाये जाना प्रस्तावित करता हूं। इन

(श्री अशोक गहलोत)

नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2-3 लाख रुपये का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिये जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही, आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ-बाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स तथा REXCO कर्मियों आदि के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।

161. माननीय अध्यक्ष महोदय, Work Charged कर्मचारियों के संवर्ग को dying cadre घोषित करने के कारण इन्हें वर्ष 1995 के पश्चात् कोई पदोन्नति नहीं मिल पायी तथा ये जिस पद पर नियुक्त हुए, उसी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं, ऐसे Work Charged कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए इनकी पदोन्नति के पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूं। इससे एक लाख से अधिक सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही, कुछ अन्य नियमित संवर्गों में भी Isolated Posts होने के कारण पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं, अतः ऐसे संवर्गों हेतु भी Promotional Posts का सृजन किया जाना भी प्रस्तावित है।

162. नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिये जा रहे अमूल्य योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मैं, इनके मानदेय/भत्तों में आगामी वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा करता हूं।

163. आज के समय में Print एवं Electronic Media के साथ-साथ Social Media का महत्व भी तेजी से बढ़ा है। अधिकतर Social Media Journalists एवं Influencers युवा वर्ग से हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने, सुविधायें देने व अधिस्वीकृत करने की दृष्टि से 150 करोड़ रुपये की लागत से मैं, प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी शेरे राजस्थान स्वर्गीय जय नारायण व्यास के नाम पर जयपुर में JNV Media Centre and Hub बनाने की घोषणा करता हूं। इस Hub में DIPR का मुख्यालय स्थापित होने के साथ-साथ युवा Journalists को पात्रतानुसार निःशुल्क Plug and Play Co-Working Space की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, आगामी वर्ष समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को Laptops/Tablets उपलब्ध करवाये जाना प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

164. हमारे द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से जहां आमजन के जीवन में खुशहाली व समृद्धि आयी है, वहीं दूसरी ओर उनकी अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। इस कारण मुझे माननीय विधायकगण तथा अन्य जन प्रतिनिधियों से सड़कों/विभिन्न आधारभूत संरचना के कार्यों तथा चिकित्सा/शिक्षा/प्रशासनिक इकाइयों के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव जनहित में महत्वपूर्ण हैं, किन्तु सभी का बजट में उल्लेख किया जाना सम्भव नहीं होता। मैं, माननीय सदस्यगण को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन प्रस्तावित कार्यों का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करवाकर सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

165. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खुशहाली एवं चहुंमुखी समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा तथा इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी की यह पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहूंगा-

"मैं सोच भी बदलता हूं,
नजरिया भी बदलता हूं...।
मिले न मंजिल मुझे,
तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूं...।
बदलता नहीं अगर कुछ,
तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं...।
उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं।।'

कृषि बजट:

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, आपकी अनुमति से वर्ष 2023-24 का कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी हैं। वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रदेश का पहला कृषि बजट पेश किया गया, जिसे आमजन, किसान भाइयों, पशुपालकों एवं दूध उत्पादकों से अभूतपूर्व सराहना मिली।

हमारी नीतियों एवं कृषि के प्रति focussed approach के कारण कृषि क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में Gross State Value Added (GSVA) में प्रतिवर्ष 13.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसान साथियों

(श्री अशोक गहलोत)

के अथक प्रयासों तथा हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हरित क्रान्ति के अगुआ डा. एम. एस. स्वामीनाथन का यह कथन अब चरितार्थ हो रहा है-

"Agriculture can trigger job led economic growth, provided it becomes intellectually satisfying and economically rewarding." अर्थात् "कृषि, रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती है, बशर्ते यह बौद्धिक रूप से संतोषजनक और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्यगण बजट के टाइम इस तरह बैठकर आपस में जो बात करते हैं, which is not desirable. अपने-अपने स्थान पर बैठें माननीय सदस्य। इधर से भी, और इधर से भी। जो भी माननीय सदस्य अलग-अलग बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं, अपने-अपने स्थान पर बैठें। प्लीज आप भी अपने स्थान पर बैठें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 166. प्रदेश में कृषक कल्याण, कृषि उत्पादन, संवर्द्धन एवं निर्यात सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषक कल्याण कोष के अन्तर्गत पिछले वर्ष हमारे द्वारा प्रारम्भ किये गये कृषि मिशनों के उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। कृषि एवं किसान भाइयों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को मैं 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, हमारे द्वारा शुरू किये गये 11 मिशनों को निरन्तर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने व अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ-साथ प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि के Change Agent बनने का अवसर देने की दृष्टि से, आगामी वर्ष में 12वें मिशन के रूप में 'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन' प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं।

Mission-1: राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

(Rajasthan Micro Irrigation Mission):

किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई हेतु डिग्गी, फार्म पौण्ड, सिंचाई पाइप लाइन आदि कार्यों की अत्यधिक मांग को देखते हुए इस मिशन के अंतर्गत-

I. आगामी 2 वर्षों में फार्म पौण्ड के निर्माण के लिए 30 हजार के लक्ष्य

(श्री अशोक गहलोत)

को बढ़ाकर 50 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

II. साथ ही, SC/ST के गैर लघु-सीमान्त कृषकों को भी लघु सीमान्त कृषकों के समान 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

III. किसानों पर लागत का भार कम करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड हेतु अनुदान सीमा को 90 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 105 करोड़ रुपये का भार आयेगा।

IV. सिंचाई पाइप लाइन के निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि करते हुए आगामी 2 वर्षों में 40 हजार कृषकों को 16 हजार किलोमीटर पाइप लाइन हेतु अनुदान दिया जायेगा।

V. आगामी 3 वर्षों में अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर व सीकर के 24 over exploited भूजल ब्लाक्स के लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सम्पूर्ण रूप से सूक्ष्म सिंचाई (Drip and Sprinkler) के तहत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर जिले के क्लस्टर को सौर ऊर्जा आधारित Community Lift Irrigation Projects में शामिल किया जायेगा। इससे 85 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इन पर 275 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

Mission-2: राजस्थान जैविक खेती मिशन

(Rajasthan Organic Farming Mission):

जैविक खेती करने वाले कृषकों की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत-

I. जैविक उत्पादों की marketing व certification को efficiently एवं timely सम्पादित करने के लिए 'Organic Commodity Board' का सुदृढ़ीकरण करते हुए जिला स्तरीय Certification Units एवं Testing Labs की स्थापना की जायेगी।

II. 50 हजार कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5 हजार रुपये की Input Subsidy दी जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

III. जयपुर एवं जोधपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से Organic Products Mart स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूं।

Mission-3: राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

(Rajasthan Seed Production and Distribution Mission):

बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु चलाये गये राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के आशातीत परिणामों को देखते हुए आगामी वर्ष

I. 23 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर लगभग 130 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके अंतर्गत-
   - (a) 11 लाख कृषकों को संकर मक्का के,
   - (b) 7 लाख कृषकों को सरसों,
   - (c) 3 लाख कृषकों को मूंग,
   - (d) 1-1 लाख कृषकों को मोठ तथा तिल बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे।

II प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास (बहुवर्षीय चारा फसल) के exhibitions लगाये जायेंगे। इस पर 23 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

Mission-4: राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

(Rajasthan Millets Promotion Mission):

वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में मिलेट्स की खेती व इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष-

I. 8 लाख लघु व सीमांत कृषकों को 16 करोड़ रुपये व्यय कर संकर बाजरा बीज मिनीकिट्स का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

II. बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स का घरेलू उपभोग बढ़ाने के लिए मिड-डे-मील, इंदिरा रसोई व ICDS की योजनाओं में प्रायोगिक रूप से सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

Mission-5: राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

(Rajasthan Protected Cultivation Mission):

संरक्षित खेती (Protected Cultivation) हेतु उपलब्ध आधुनिक तकनीक की अत्यधिक मांग को देखते हुए 'राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत-

I. आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शैडनेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्चिंग के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ-साथ प्रदेश के समस्त लघु/सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

Mission-6: राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन

(Rajasthan Horticulture Development Mission):

फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु 'राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन' के अन्तर्गत-

I. आगामी वर्ष प्रथम बार 20 लाख कृषकों को सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराना प्रस्तावित करता हूं।

II. राज्य में अंजीर की खेती की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसकी उन्नत किस्म विकसित करने व किसानों को पौध उपलब्ध करवाने के लिए सिरोही में अंजीर का Centre of Excellence स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।

Mission-7: राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

(Rajasthan Crop Protection Mission):

नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही तारबंदी हेतु देय सहायता से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसकी बहुत अधिक मांग क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए-

I. आगामी दो वर्षों में समस्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित करने

(श्री अशोक गहलोत)

की दृष्टि से मैं, आगामी वर्ष एक लाख कृषकों को तारबंदी पर अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

II. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर की जायेगी।

III. तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

IV. वर्तमान में प्रचलित केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसान भाइयों ने कई समस्याओं से अवगत करवाया है। इन सबका कृषि विशेषज्ञों की समिति से परीक्षण कराकर केन्द्र सरकार को आवश्यक अभिशंषा प्रेषित की जानी प्रस्तावित है।

Mission-8: राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन

(Rajasthan Land Fertility Mission):

इस मिशन के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन व भूमि उर्वरता बढ़ाने तथा लवणीय (Saline) व क्षारीय (Alkaline) भूमि में सुधार हेतु-

I. उर्वरक उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार के उपक्रम Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML) के माध्यम से SSP तथा DAP बनाने के 500-500 Tonnes Per Day (TPD) क्षमता के Plants स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं। इन पर लगभग 150 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

II. 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4 हजार 500 रुपये प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर पर Nano Urea का ड्रोन से छिड़काव किया जायेगा।

III. आगामी वर्ष 50 हजार किसानों को जिप्सम के प्रयोग से भूमि सुधार हेतु 25 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी।

IV. हरी खाद (Green Manure) उत्पादन हेतु 5 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(श्री अशोक गहलोत)

Mission-9: राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन

(Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission):

कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों हेतु शुरू किये गये ''राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन'' के अंतर्गत आगामी वर्ष-

I. 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान देने की घोषणा करता हूं। इस पर 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. एक लाख कृषि श्रमिकों को Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Mission 10: राजस्थान कृषि तकनीक मिशन

(Rajasthan Agri-Tech Mission):

कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने हेतु-

I. आगामी वर्ष एक लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. आगामी वर्ष 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु 35 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. Custom Hiring Centres पर उपलब्ध कराये जा रहे ड्रोन के अतिरिक्त कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को एक हजार ड्रोन उपलब्ध करवाने हेतु 4-4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

Mission-11: राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(Rajasthan Food Processing Mission):

कृषि जिन्सों के मूल्य संवर्द्धन व निर्यात प्रोत्साहन हेतु-

I. "Rajasthan Agro-Processing, Agri-Business and Agri-Export Promotion Policy, 2019 के अंतर्गत कृषि उत्पाद प्रसंस्करण (Processing) के लिए कृषकों को Eligible Capital Cost का 50 प्रतिशत एवं गैर-कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान देय

(श्री अशोक गहलोत)

है। मैं, इस Capital Subsidy को बढ़ाकर कृषकों एवं गैर-कृषकों हेतु क्रमश: 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत करने तथा अनुदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर एक करोड़ 50 लाख रुपये तक करने की घोषणा करता हूं।

II. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों के 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, टोंक में Centre of Excellence for Apiculture स्थापित किया जायेगा।

III. जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क व रोहड़ा-दौसा में फूड पार्क तथा बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किये जायेंगे।

Mission-12: राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन (Rajasthan Young Farmer Skill and Capacity Enhancement Mission):

कोरोना काल में हमने देखा कि आजीविका एवं रोजगार पर अत्यधिक संकट आने के बावजूद भी हमारी कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा महात्मा गांधी नरेगा ने आर्थिक संबल प्रदान किया। देश में 'श्वेत क्रान्ति' के प्रणेता पद्म विभूषण से सम्मानित Dr. Verghese Kurien ने कहा है-

"India's place in Sun would come from the partnership between wisdom of its rural people and skill of its professionals."

अर्थात् "देश के विकास की बुलन्दियों को छूना ग्रामीणों के ज्ञान तथा professionals के कौशल की भागीदारी से ही सम्भव है।"

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़े, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए मैं, आगामी वर्ष प्रस्तावित नये 12वें मिशन- ''राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन'' के अंतर्गत-

I. 11वीं व 12वीं, UG/PG तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि 5 हजार, 12 हजार व 15 हजार रुपये से बढ़ाकर क्रमश: 15 हजार, 25 हजार तथा 40

(श्री अशोक गहलोत)

हजार रुपये प्रतिवर्ष किये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. कृषि यंत्रों, उपकरणों, सौर ऊर्जा संयंत्रों (Solar Pump Sets), सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों (Micro Irrigation Systems) आदि के परिचालन, रखरखाव एवं मरम्मत हेतु एक लाख युवा किसानों को आवासीय प्रशिक्षण व kit प्रदान कर employable बनाया जायेगा। इस पर 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. आगामी वर्ष, 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजरायल सहित अन्य देशों के साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं पशुपालन की नवीनतम तकनीक के अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

IV. आगामी वर्ष, एक हजार कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए 'Mobile Agri Clinics' की स्थापना करना प्रस्तावित है। किसानों द्वारा कृषक साथी Call Centre अथवा मोबाइल एप पर अपनी समस्या बताने पर Agri Clinic के माध्यम से उनका समाधान किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

V. कृषि एवं पशुपालन का परस्पर सम्बन्ध होने के कारण कृषि महाविद्यालयों में पशुपालन से सम्बन्धित वैकल्पिक विषय लिए जाने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

VI. पशुपालन सम्बन्धी उच्च शिक्षा के ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जोबनेर-जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय (Veterinary University) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, सीकर व बस्सी-जयपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जायेंगे।

VII. माचाड़ी (रैणी)-अलवर, रावतभाटा (बेगूं)-चित्तौड़गढ़, तारानगर-चूरू, दौसा, धौलपुर, मौजमाबाद (दूदू)-जयपुर एवं हिण्डौन-करौली में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा-जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

VIII. नोखा-बीकानेर एवं नवलगढ़-झुंझुनूं में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय खोले जायेंगे।

किसानों के लिए बिजली:

167. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सके, इस हेतु जहां हमने एक ओर कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही रखा, वहीं अन्नदाता किसान भाइयों को अतिरिक्त राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में एक हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता भी दी। इस प्रकार लगभग 20 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय कर 15 लाख 78 हजार किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं को आगे भी जारी रखने के साथ ही अब मैं, आगामी वर्ष से 2 हजार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

168. खेती के लिए पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी, 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शनों को 2 वर्षों में जारी करने की घोषणा की थी। बकाया विद्युत कनेक्शनों के साथ ही नये प्रार्थनापत्रों को शामिल करते हुए इस वर्ष मार्च, 2023 तक लगभग एक लाख 15 हजार विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे तथा आगामी वर्ष एक लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

कृषि ऋण:

169. अध्यक्ष महोदय, किसान साथियों विशेषकर लघु/सीमान्त कृषक, Landless Labourers तथा Weaker Sections के किसानों को परिस्थितिवश परेशानी का सामना करने पर स्थायी समाधान के रूप में ऋण भार में राहत देने व ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए 'Rajasthan Farmers Debt Relief Act' लाये जाने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को Debt Relief Commission का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

170. हमारे द्वारा शुरू की गई ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 20

(श्री अशोक गहलोत)

हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये गये हैं। वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 22 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करना प्रस्तावित करता हूं। इसके अंतर्गत 5 लाख नये कृषक भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किये जायेंगे।

171. साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में Non-Farming Sector जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान इत्यादि हेतु एक लाख 50 हजार परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जायेगा।

172. प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से वितरित होने वाले दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों के साथ ही आगामी वर्ष से अपने खेत पर आवास बनाने वाले..., घर बनाने वाले, मकान बनाने वाले... कृषकों को भी आवास ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देना प्रस्तावित करता हूं। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

सिंचाई विकास:

173. अध्यक्ष महोदय, सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के उत्थान हेतु गत बजट में मैंने 14 हजार 860 करोड़ रुपये की लागत से Rajasthan Irrigation Restructure Programme प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। इसमें अब तक लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा शेष पर कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण की जा रही है। आगामी वर्ष इस कार्यक्रम में लगभग 3 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत के और कार्य कराये जायेंगे।

I. प्रदेश के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग एक हजार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

II. नर्मदा परियोजना की मुख्य नहर वितरिकाओं, माइनरों एवं डिग्गियों के जीर्णोद्धार कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

III. माही वृहद् सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में 550 करोड़ रुपये की लागत से खालों को पक्का करने के कार्य करवाये जायेंगे।

IV. उदयपुर जिले में डाया बांध में जल आवक बढ़ाने हेतु टीडी नदी पर 200 करोड़ रुपये की लागत से जावर एनिकट का निर्माण करवाया जायेगा।

V. बारां जिले में पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के कार्य 250 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

VI. कोटा, बूंदी एवं बारां की विभिन्न नहरों, वितरिकाओं एवं माइनरों में शेष रही लगभग 485 किलोमीटर लम्बाई में पक्की लाइनिंग एवं खेत सुधार हेतु 435 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

VII. भाखड़ा सिंचाई परियोजना में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में पक्का खाला निर्माण से शेष रहे एक लाख 32 हजार हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में 463 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण करवाया जायेगा।

VIII. बूंदी जिले में मेज नदी पर लाखेरी के पास गांव उतराना, माल की झोपड़ियां, चुमावली, बुढेल एवं अन्य गांवों, कोटा जिले में ब्रिजलिया; बारां जिले में ग्राम कैथूडी, मोहम्मदपुर इत्यादि तथा झालावाड़ जिले में घूघवा में 82 करोड़ रुपये की लागत से माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के कार्य करवाये जायेंगे।

IX. राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर लम्बाई में रीलाइनिंग तथा राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर के जीर्णोद्धार/ अपग्रेडेशन के कार्य 500 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

X. माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के साथ माही बांध एवं नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे करवाकर पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना की डीपीआर बनायी जायेगी।

174. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग एक हजार 450 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी अन्य कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूं, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर रखता हूं:-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

(श्री अशोक गहलोत)

कृषि भण्डारण एवं विपणन :

175. सहकारी संस्थाओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए-

I. सरदारशहर, सादुलपुर-चूरू, डेगाना-नागौर, छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़, हनुमानगढ, बागीदौरा-डूंगरपुर, कोटपूतली-जयपुर एवं मथानिया-जोधपुर सहित 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 500-500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा।

II. 10 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

176. खाजूवाला-बीकानेर में कपास मण्डी, अरांई-अजमेर, चौरासी-डूंगरपुर, धोद-सीकर, बाटोदा (बामनवास)-सवाई माधोपुर में कृषि उपज मण्डी, गिरजासर (कोलायत)-बीकानेर, मांढण (बहरोड़)-अलवर में गौण मण्डी तथा खेमू की ढाणी (चिड़ावा)-झुंझुनूं में फलसब्जी गौण मण्डी बनायी जायेगी। साथ ही खिवाड़ा (मारवाड़ जंक्शन)-पाली में गौण मण्डी को कृषि मण्डी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण:

177. किसानों एवं काश्तकारों की सुविधा हेतु समस्त 11 हजार 307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की भी स्थापना करने की दृष्टि से मैं एक हजार 35 नये पटवार मण्डलों का सृजन किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, भवन रहित 4 हजार 395 पटवार मण्डलों के भवन दो वर्षों में लगभग 880 करोड़ रुपये की लागत से बनवाये जायेंगे।

178. महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने हेतु अंशदान को माफ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों की अंशदान की 3 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

179. कृषि आदान (Agriculture Inputs) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की कृषि मण्डियों में सहकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

180. किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग व अन्य सुविधाओं के साथ-साथ डेयरी से सम्बन्धित सुविधाओं को भी पारदर्शी तथा त्वरित रूप से उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के सभी 7 हजार 282 पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) तथा समस्त 17 हजार 500 से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का आगामी दो वर्षों में computerization किया जायेगा।

181. भूमि एवं अन्य राजस्व सम्बन्धी मामलों का त्वरित व समयबद्ध निस्तारण कर किसान भाइयों को राहत देने की दृष्टि से-

I. मैं, विक्रय, हक त्याग एवं उपहार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होते ही स्वतः ही नामांतकरण (Mutation) दर्ज होकर जमाबंदी को अपडेट करने के प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूं।

II. इसके साथ ही, अन्य मामलों जैसे विरासत आदि के नामांतकरणों (Mutations) के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलैस किया जायेगा।

III. किसानों द्वारा Mobile App के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन गिरदावरी किये जाने की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। इस हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होंगे।

IV. सीमाज्ञान एवं नामांतकरण (Mutation) के आवेदन, निस्तारण तथा मॉनिटरिंग को ऑनलाइन किया जायेगा।

V. राजस्व न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ई-समन और VC के माध्यम से हियरिंग की व्यवस्था लागू की जायेगी। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

VI. राजस्व तथा पंचायती राज विभागों से सम्बन्धित सभी कार्यों को Online कर पेपरलैस करने के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी जन प्रतिनिधियों एवं राजस्व कार्मिकों यथा-जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, सरपंचगण उपखण्ड अधिकारी (SDO), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को टेबलेट दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

डेयरी एवं पशुपालन:

182. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी पशुपालन का अत्यधिक महत्व है। किन्तु इस

(श्री अशोक गहलोत)

वर्ष, जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है, देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लम्पी (Lumpy) रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हो गयी। Lumpy Disease के प्रकोप को Covid की भांति ही आपदा घोषित कर पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केन्द्र सरकार द्वारा नहीं माना गया। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को सम्बल देने के लिए मैं, उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूं।

183. वर्तमान केन्द्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 50 हजार पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को कोई सहायता नहीं मिल पाती है।... वर्तमान में केन्द्रीय पशु बीमा योजना है यह।... इसके दृष्टिगत अब मैं, आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए Universal Coverage करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 750 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आयेगा तथा इससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे।

184. पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार के Tests तथा FMD, ब्रुसेला (Brucella) एवं PPR इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क करवाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लाये जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

185. मैं, पशुपालकों को door step पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं यथा-टैगिंग टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं। इस हेतु 5 हजार युवा पशुधन सहायकों/पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा।

186. पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त हो सकें. इस दृष्टि से-

I. आगामी वर्ष 25 लाख पशुपालकों को एक-एक पशु के लिए Sex Sorted Semen से Artificial Insemination कराने हेतु 50

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत, 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 125 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. Sex Sorted Semen के उत्पादन के लिए बस्सी-जयपुर में लैब स्थापित कर expert partners के माध्यम से संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

187. प्रदेश में पशु चिकित्सा के सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु पशु चिकित्सा उप केन्द्र, पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने एवं क्रमोन्नत किये जाने के साथ-साथ ही अन्य सुविधाएं विकसित की जायेंगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

188. प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशु आहार की पर्याप्त उपलब्धता, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में-

I. एक हजार नवीन milk routes चालू किये जायेंगे।

II. लाम्बियां कला-भीलवाड़ा एवं पाली पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 150 से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की जायेगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होगे।

III. वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा डेयरी के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के साथ ही डूंगरपुर के चिलिंग केन्द्र/संग्रहण केन्द्र को पुन: आरम्भ किया जायेगा। इन पर लगभग 25 करोड़ रुपये का व्यय कर लगभग 5 हजार पशुपालक परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

189. सरस उत्पादों को सहज रूप से उपलब्ध कराने एवं प्रोत्साहन हेतु-

I. RCDF के माध्यम से राज्य में 5 हजार और नये सरस बूथ तथा 200 सरस पार्लर खोले जायेंगे। इससे लगभग 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

II. सरस उत्पादों की door step delivery सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

190. मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से -

I. खारे पानी में श्रीम्प/झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला (Brackish Water Aquaculture laboratory) की स्थापना की जायेगी।

II. फार्म पौण्ड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार किसानों को मछली का बीज निःशुल्क कराया जायेगा।

191. प्रदेश में ग्रामीण/कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थापित नंदीशालाओं में देय अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर पूरे साल (12 महीने) देने की मैं, घोषणा करता हूं। साथ ही, गोशालाओं में अपाहिज व अन्धे गोवंश हेतु भी भरण-पोषण अनुदान वर्षभर दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष गोशालाओं एवं नंदीशालाओं पर एक हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया जायेगा।

192. अध्यक्ष महोदय, हमने स्वप्न देखा था, समाज के हर वर्ग के कल्याण का, उत्थान का। यह स्वप्न था,

गरीब, वंचित एवं जरूरतमन्दों के चेहरे पर मुस्कान लाने का।

स्वस्थ निरोगी राजस्थान का।

अन्नदाता की खुशहाली का, समृद्ध राजस्थान का।

बच्चों में शिक्षा की नयी अलख जगाने का।

युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, आत्मनिर्भर बनाने का।

महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने का।

पर्यटन एवं उद्योग को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने का।

बिजली, पानी एवं सड़क को घर-घर तक पहुंचाने का।

प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने का।

राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का।।

यह स्वप्न था, विषम आर्थिक परिस्थितियों एवं कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारे द्वारा 'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म' को आत्मसात करते हुए, देखे गये स्वप्न को हमारे इस कार्यकाल में साकार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

(श्री अशोक गहलोत)

कर-प्रस्ताव:

अभी दिल थामकर बैठें, दिल थामकर बैठें।

193. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर-प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

194. हमने गत चार बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लिया।... चारों बजट में कोई भी नया कर नहीं लगा है।... साथ ही विभिन्न राहत देते हुए महंगाई नियंत्रण की दृष्टि से पेट्रोल-डीजल के वैट में भी कमी की। इस प्रकार 8 हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की राहत दी गयी।

195. आज माननीय सदन के समक्ष कर-प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मुझे महान कवि तुलसीदास की यह पंक्ति स्मृत हो आयी है-

"बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ।

तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होइ।।"

अर्थात्/भावार्थ

"जिस तरह सूर्य द्वारा धरती से लिए गये जल को कोई देख नहीं पाता, लेकिन उसे बादल से बरसते देखकर सभी हर्षित होते हैं, इसी तरह शासन को भी कर इस प्रकार लेना चाहिए कि वह बहुत दृश्य न हो, लेकिन जब जन-मन तक पहुंचे, लोग हर्ष से भर जाएं।"

196. हमने जहां एक ओर कर-प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर समाज के वंचित वर्गों को सम्बल देने का भी प्रयास किया। हमारे द्वारा पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देना, RIPS-2019 लाना एवं अब देश की सबसे प्रोग्रेसिव निवेश नीति RIPS-2022 लागू करना तथा साथ ही सामाजिक सरोकार हेतु सहायता की दृष्टि से SSIPS-2021 (Social Security Investment Promotion Scheme-2021) लागू करना ऐतिहासिक कदम है।

कोविड/आर्थिक स्थिति:

197. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के साथ-साथ प्रदेश ने भी गत वर्षों में लगातार कोरोना सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, किन्तु ऐसे समय में भी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही हम सभी वर्गों का ध्यान रखने में सफल रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था-

(श्री अशोक गहलोत)

"आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन 'गरीबी' और 'बेरोजगारी' से लड़ सकें।"

198. यद्यपि अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है, किन्तु अभी भी सामान्य स्थिति आने में समय लगेगा। अतः सभी वर्गों को सहायता तथा सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से गत चार बजट प्रस्तावों की ही तरह आगामी वर्ष में भी कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा करता हूं। साथ ही-

I. आगामी वर्ष में भी इस वर्ष के अनुरूप प्रतिवर्ष डीएलसी दर में स्वतः होने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि ही की जायेगी।

II. RIPS-2010, RIPS-2014 एवं RIPS-2019 का लाभ ले रही ऐसी इकाइयां, जिनके लाभ लेने की अवधि में कोविड-19 के कारण व्यवधान आया था तथा जिनका कार्यकाल गत बजट में की गयी घोषणा के अनुरूप एक वर्ष नहीं बढ़ाया गया, उनके लाभ की अवधि को भी अब मैं, एक वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूं।

III. विगत दो वर्षों में लायी गयी एमनेस्टी योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अधिक छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, कोर्ट केस पैंडिंग होने की स्थिति में भी विभिन्न एमनेस्टी योजनाओं का लाभ केस विड्रॉ करने की शर्त पर देय होगा। ये एमनेस्टी योजनाएं 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेंगी -

(a) वैट एमनेस्टी -

(i) वैट तथा आरएसटी/सीएसटी के अन्तर्गत राज्य में 01 लाख रुपये तक की डिमांड को माफ किये जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 1 लाख 18 हजार व्यवहारी लाभान्वित होंगे तथा इससे 425 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिल सकेगी।

(ii) वैट के अन्तर्गत व्यवहारियों के घोषणा पत्रों में बकाया मांग को मात्र अन्तरराज्यीय (Interstate) बिक्री के सम्बन्ध में बिल एवं भुगतान के सबूत के आधार पर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रमाण के अभाव में डिमांड का 10 प्रतिशत जमा करवाये जाने पर शेष मांग राशि माफ की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

(iii) समस्त बकाया मांग ब्याज की होने पर 30 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि माफ की जायेगी।

(iv) विभिन्न लम्बित/विवादित प्रकरणों में बकाया कर राशि का 20 प्रतिशत जमा करवाये जाने पर शेष मांग को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(b) स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी - आगामी वर्ष 2023-24 में स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत ब्याज एवं पेनल्टी की शत-प्रतिशत छूट के साथ स्टाम्प ड्यूटी की मांग में समयावधि अनुसार 60 प्रतिशत तक छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(c) ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी - वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम-2023 लाया जाना प्रस्तावित करता हूं। इसमें -

(i) मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2022 तक के बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(ii) नष्ट हो चुके वाहनों के सम्बन्ध में राहत देने के लिए उनकी बकाया देय राशि जमा होने पर, नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(iii) दिनांक 24 फरवरी, 2021 से पूर्व आर सी सरेंडर किये गये वाहनों को दिनांक 30 जून, 2023 तक आर सी रिलीज कराये जाने पर नियत अवधि के बाद देय कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।

(iv) खनन-परिवहन क्षेत्र के सम्बन्ध में राहत देने के लिए ई-रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2023 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि (Compounding Fee) पर 95 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।

(d) आबकारी एमनेस्टी -

(i) आबकारी एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ii) 31 मार्च, 2018 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में मूल राशि में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी; तथा

(iii) दुकानों के आबंटन की नयी व्यवस्था के प्रथम वर्ष व कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए बकायादारों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 की बकाया राशि के प्रकरणों में भी 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

(e) RIICO एमनेस्टी -

RIICO क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए एमनेस्टी योजना-2023 लायी जायेगी। इस योजना के तहत-

(i) सेवा शुल्क एवं किराये (Service Charge & Economic Rent) की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ii) 30 जून, 2022 तक भूमि प्रीमियम की बकाया (Outstanding) किस्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 60 प्रतिशत की छूट दी जानी प्रस्तावित है।

(समय: 15.00 बजे)

(iii) आबंटित भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार (Retention Charge)/अतिरिक्त भूमि की कीमत (Additional Cost of Land) में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(iv) भूखण्ड/उपविभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 60 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(v) बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पेनल्टी व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(vi) औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के 30 जून, 2023 तक बढ़ाया जायेगा।

(f) उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी-

उपनिवेशन क्षेत्र के लगभग 13 हजार 500 काश्तकारों को कृषि भूमि आबंटन की बकाया किस्तों पर-

(i) 31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया किस्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जानी प्रस्तावित है; एवं

(ii) आबंटन की समस्त बकाया किस्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 15 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है।

(g) खनन संबंधी एमनेस्टी -

(i) खनन पट्टाधारियों, क्वारी लाइसेन्स धारकों एवं रायल्टी ठेकेदारों हेतु गत बजट में घोषित Amnesty योजना अब 31 मार्च, 2022 तक के बकायेदारों पर भी लागू की जाएगी।

(श्री अशोक गहलोत)

(ii) साथ ही, मासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर लगायी गई शास्ति को समस्त सूचना 31 मार्च, 2023 तक दिये जाने पर माफ किया जाना प्रस्तावित है।

(h) ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी-

सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (VCR) के प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व के लम्बित प्रकरणों में छूट दी जानी प्रस्तावित है, जो इस प्रकार होगी-

(i) 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु 01 लाख रुपये तक की सिविल लाइबिलिटी राशि होने पर इस राशि का 40 प्रतिशत एवं प्रशमन (Compounding) राशि का 25 प्रतिशत लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

(ii) यदि सिविल लाइबिलिटी राशि 01 लाख रुपये से अधिक है, तो 01 लाख रुपये तक की राशि का 40 प्रतिशत एवं 01 लाख रुपये से अधिक राशि का 10 प्रतिशत एवं प्रशमन (Compounding) राशि का 25 प्रतिशत लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

(iii) यह राशि 6 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2023 तक आवेदन किये जा सकेंगे।

(i) GST Amnesty-

वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा GST लागू करने की प्रणाली के कारण सम्पूर्ण देश के साथ ही प्रदेश के व्यवसायियों को प्रारम्भिक वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा इतने में ही कोविड का प्रभाव भी ऊपर आ गया। ऐसे में व्यवसायियों द्वारा Returns भरने में देरी होना स्वाभाविक था। हमने GST Council एवं केन्द्र सरकार से ऐसे व्यवहारियों को राहत देने का आग्रह किया है। अभी केन्द्र सरकार से इस विषय पर सकारात्मक Response नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे में भी मैं, राज्य की ओर से ऐसे समस्त Registered Dealers, जो 2021-22 की Returns भर चुके हैं अथवा 31 मार्च, 2023 तक भर देंगे, उन्हें एक बारीय राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की Late Fees के राज्यांश का पुनर्भरण करना प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

युवा:

199. अध्यक्ष महोदय, मुझे आज राष्ट्रगान के रचयिता एवं नोबल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की यह पंक्ति याद आ रही है-

"Age considers, youth ventures."

अर्थात् "आयु जहां विचार करती है, वहां युवावस्था कर गुजरती है।

युवा हमारी ऊर्जा हैं, अतः इस क्रम में प्रदेश के युवाओं को और अधिक सम्बल देने हेतु:-

I. युवाओं को अपने शिक्षण अथवा रोज़गार स्थल तक स्वयं के साधन से आवागमन के लिए दोपहिया वाहन क्रय करने में राहत की दृष्टि से राज्य में पंजीकृत होने वाले 100 सी.सी. तक के दुपहिया वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में 50 प्रतिशत छूट देते हुए 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

II. राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित आटोरिक्शा/टैक्सी/मैक्सी कैब की परमिट फीस को निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं।

III. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी, 2022 के अन्तर्गत स्टार्ट-अप की स्थापना के लिए निष्पादित 10 लाख रुपये की सीमा तक के ऋण दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए ऋण सीमा को बढ़ाते हुए 25 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

IV. 18 से 35 वर्ष के युवाओं के स्टार्ट-अप द्वारा कार्यस्थल के लिए 50 लाख रुपये तक की Property क्रय अथवा 10 वर्ष से अधिक के लिए Lease पर लिए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं।

V. स्टार्ट-अप से बिना टेंडर उपापन (Single Source Procurement) की वर्तमान 15 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं।

किसान:

200. हमारी नीतियों में किसान भाइयों और कृषि को सदैव प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय सदन को मुनि पाराशर द्वारा रचित कृषि-पाराशर का श्लोक याद दिलाना चाहूंगा-

(श्री अशोक गहलोत)

"सुवर्ण-रौप्य-माणिक्य-वसनैरपि पूरिताः।
तथापि प्रार्थयन्ति-एवं कृषकान् भक्त-तृष्णया।।"

अर्थात्/ भावार्थ

"सोना, चांदी, जवाहरात आदि विश्व का सभी धन प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी भोजन के लिए हमें किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।"

यह उक्ति कृषि की महत्ता को बताने के लिए पर्याप्त है।

201. हम सभी का दायित्व है कि किसान भाइयों को अधिकाधिक सम्बल प्रदान किया जा सके। इस हेतुः-

I. राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक की मण्डी शुल्क, आबंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि हेतु "ब्याज माफी योजना-2023" लायी जाएगी, जिसमें -

(a) दिनांक 30 जून, 2023 तक बकाया जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा।

(b) इसके पश्चात् दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक बकाया जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।

II. इसी क्रम में राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रसंस्करण (Agriculture Processing) प्रयोजनार्थ कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना की अवधि को 30 सितम्बर, 2023 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

III. मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लम्बित प्रार्थना पत्रों हेतु आरक्षित दर पर भूखण्ड आबंटन किये जाने की व्यवस्था की गई थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर यह राहत, वर्ष 2019 तक के लम्बित प्रार्थना पत्रों के लिए भी दिया जाना प्रस्तावित है।

202. हमने बजट में घोषित नवीन मण्डियों/गौण मण्डियों एवं फूड पार्क के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क आबंटन का प्रावधान किया था। अब मैं नवीन मण्डियों/गौण मण्डियों एवं फूड पार्क के लिए सरकारी के साथ-साथ ही स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी निःशुल्क भूमि आबंटन की घोषणा करता हूं। इस हेतु मंडियों के लिए 50 प्रतिशत DLC दर पर भूमि आबंटन नीति को परिवर्तित कर 25 प्रतिशत DLC दर पर आबंटन किया जाएगा तथा यह 25

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत DLC राशि भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित निकाय को उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे मंडियों को भूमि निःशुल्क प्राप्त हो सके।

203. किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विद्युत वितरण निगम एवं उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार (Agreement) को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

204. कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने ऐसे उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दो गुना से घटाकर डेढ़ गुना की थी। अब मैं इसमें और राहत देते हुए कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दरों के समान करने की घोषणा करता हूं।

205. भू-अभिलेखों की नकल एवं सीमाज्ञान के लिए काश्तकारों द्वारा देय राशि को निःशुल्क किये जाने की घोषणा करता हूं।

निवेश:

206. अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे द्वारा उठाये गये Progressive कदमों के कारण दिनांक 07 एवं 08 अक्टूबर, 2022 को आयोजित हुए 'Invest Rajasthan' कार्यक्रम में लगभग 10 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश के 4192 MoU/LOI हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनसे 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलना सम्भावित है। इनमें से लगभग 2035 MoU क्रियान्विति के चरण तक पहुंच चुके हैं तथा शेष पर कार्यवाही Advanced Stage में है।

207. राज्य में निवेश को और अधिक बढ़ाने हेतु जारी नवीन राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (RIPS-22) को वृहद् रूप देते हुए और अधिक राहत देने की दृष्टि से-

I. RIPS-2003, RIPS-2010, RIPS-2014 तथा RIPS-2019 में जिन निवेशकों ने तत्समय की पात्रता अनुसार Customised Package का Entitlement Certificate प्राप्त कर, Stamps and Registration Fees Exemption के अतिरिक्त कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया हो, तथा Commercial Production RIPS-2022 की अवधि में प्रारम्भ किया हो/अथवा होगा, तो उन्हें शेष अवधि के लिए RIPS-2022 का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

II. RIPS-2022 के अन्तर्गत Capital Incentive/Performance Linked Incentive (PLI) का विकल्प न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश पर ही देय है। MSME Segment हेतु यह सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है।

III. निवेशकों द्वारा किसी रुग्ण Plant का NCLT के माध्यम से Auction में क्रय कर ऐसे उद्यम का पुनः संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्रय राशि के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त निवेश करने की स्थिति में इसे नवीन निवेश मानते हुए RIPS-2022 के लाभ दिये जाने प्रस्तावित हैं।

IV. एथेनॉल नीति में नवीन RIPS-2022 योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जा सकेंगे।

V. हमने RIPS-2022 के अन्तर्गत Sunrise Sectors एवं Anchor Investors के लिए Captive Solar Power Plant लगाने की स्थिति Banking, Wheeling and Transmission Charges को exempt करने का प्रावधान किया है। Banking Charges का यह exemption Captive Solar Power Plant की कुल क्षमता पर दिया जाना प्रस्तावित है। यह सुविधा लेने के लिए Captive Power Plant से उत्पादित सम्पूर्ण बिजली का उपयोग Project के लिए ही किया जाना आवश्यक होगा।

VI. साथ ही RIPS के अन्तर्गत इस छूट के लिए निवेशक द्वारा अपनी Contract Demand से अधिक अपने उपयोग की सीमा तक उत्पादन क्षमता का Captive Solar Plant लगाना अनुमत होगा।

VII. Renewable Energy के प्लान्ट्स की स्थापना के लिए पूर्ववत स्टाम्प ड्यूटी एवं Land Tax में छूट दी जायेगी!

VIII. RIPS में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन की इकाइयों को देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।

IX. राज्य में प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों को स्थापित करने वाली MSME इकाइयों को पूंजीगत विनियोजन पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 40.00 लाख रुपये तक) राशि का विशेष अनुदान/छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

X. RIPS-2022 में प्रक्रिया को अधिकाधिक सरल तथा Automated किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

208. गत बजट में मैंने कुछ विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों यथा RIPS के अन्तर्गत Sunrise Sectors, Anchor Investors एवं Customised Package के पात्र निवेशकों तथा स्थानीय छोटे निवेशकों आदि को रीको क्षेत्र में विशेष जोन चिन्हित करते हुए सीधे भूखण्ड आबंटन का प्रावधान किया था। अब इसके साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्रों में विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल तक के औद्योगिक भूखण्डों (आरक्षित भूखण्डों को शामिल करते हुए) का आबंटन ऑनलाइन लाटरी प्रक्रिया से किया जाना प्रस्तावित है।

209. गत बजट में मैंने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत MSMEs की अत्यधिक रुचि को देखते हुए 27 अगस्त, 2021 तक बैंकों से स्वीकृत तथा जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना प्राप्त प्रकरणों को नये दिशा-निर्देशों में एकबारीय छूट देते हुए स्वीकृति देने की घोषणा की थी। अब मैं इस छूट का दायरा और वृहद् करते हुए 27 अगस्त, 2021 तक बैंक से स्वीकृत ऋण, जिनकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों में 31 मार्च, 2022 तक भी प्राप्त हो गयी हो, उन MSMEs पर भी लागू करना प्रस्तावित करता हूं।

210. राज्य के निर्यातकों को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से RIPS-2022 के अन्तर्गत पहली बार Freight Subsidy का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा अधिक से अधिक MSMEs को भी उपलब्ध हो सके, इसलिये MSMEs को यह लाभ न्यूनतम 10 करोड़ रुपये के निवेश पर ही दिया जाना प्रस्तावित है।

211. राज्य के नवीन उद्यमियों को निर्यातक बनने में समुचित सहायता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का सुदृढीकरण करते हुए 'निर्यात Helpline' की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

212. प्रदेश में रोज़गार एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रम में समस्त Air Lines को अधिकाधिक Flights संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Commercial Flights के लिए Aviation Turbine Fuel (ATF) पर VAT की दर को घटाकर 2 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

213. राजस्थान, विशेषकर जयपुर की देश-विदेश में Gems & Jewellery

(श्री अशोक गहलोत)

के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान है। इस क्षेत्र में और अधिक उन्नति हो, इस दृष्टि से जयपुर में 'Gem Bourse' के निर्माण के लिए सीतापुरा Industrial Area में लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि को रिजर्व प्राइस की 3 गुना राशि पर आबंटित करना प्रस्तावित करता हूं।

214. वर्तमान में Lab Grown Diamonds के निर्यात के अवसर तेजी से बढ़े हैं और राजस्थान भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इसकी बढ़ती मांग और निर्यात सम्भावना को देखते हुए इसे RIPS-2022 में Sunrise क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर उसका लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

215. GST Act में Refund के लिए निर्धारित 60 दिवस की समय सीमा को घटाकर तीन सप्ताह (21 दिवस) किया जाना प्रस्तावित है।

216. कम्पनियों के Merger/Demerger के प्रकरणों में यदि Share Holders में कोई बदलाव नहीं है, तो स्टाम्प ड्यूटी को कम कर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

217. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत White कैटेगरी के उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता नहीं रहती है। वर्तमान में White कैटेगरी के अन्तर्गत 54 प्रकार के उद्योग शामिल हैं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से अब इस संख्या को बढ़ाकर 100 करना प्रस्तावित है।

218. पर्यावरण स्वीकृतियों के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त State Expert Appraisal Committee (SEAC) का गठन किया जाएगा।

219. कृषि भूमि के औद्योगिक सम्परिवर्तन (Conversion) को अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से जिला स्तर पर Collectors द्वारा स्वीकृति की सीमा को 50 हजार वर्गमीटर से बढ़ाकर 2 लाख वर्गमीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक पट्टे की स्वीकृति राज्य सरकार के स्थान पर जिला कलेक्टर के अधीन समिति के द्वारा दी जा सकेगी।

220. वर्तमान में क्वारी लाइसेन्स की अवधि वृद्धि हेतु देय वार्षिक

(श्री अशोक गहलोत)

प्रीमियम राशि को एक-तिहाई करने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 16 हजार 500 क्वारी लाइसेन्स धारकों को राहत प्राप्त होगी।

221. खानधारकों की सहूलियत की दृष्टि से त्रैमासिक रिटर्न्स की बाध्यता को समाप्त किये जाने की घोषणा करता हूं। खानधारकों को अब मात्र वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

222. खानधारकों की मृत्यु के एक माह के भीतर सूचना देने की अवधि को बढ़ाकर 3 माह तथा म्यूटेशन का आवेदन प्रस्तुत करने की 3 माह की अवधि को 6 माह किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सूचना देने अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर मात्र 500 रुपये प्रतिमाह की ही शास्ति आरोपित की जाएगी।

General Relaxations:

223. Renewable Energy को बढ़ावा देना हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में आगामी वर्ष से सौर ऊर्जा पर विद्युत कर 60 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 40 पैसे प्रति यूनिट करना प्रस्तावित करता हूं। इससे आवासीय भवन पर लगाये गये नेट मीटरिंग उपभोक्ता सहित अन्य उपभोक्ता, जो सौर ऊर्जा का उपभोग करेंगे, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

224. चारपहिया वाहनों में वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर अलग-अलग एकबारीय कर देय है। डीजल वाहनों पर इस कर को 2 प्रतिशत कम करते हुए पेट्रोल के समकक्ष किया जाना प्रस्तावित है।

225. Strong Hybrid वाहन ईंधन खपत एवं वायु प्रदूषण में कमी लाने में अधिक दक्ष होते हैं, अतः ऐसे Non-Transport चौपहिया वाहनों को भी एकबारीय कर में 25 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

226. बजट-2021 में वाहनों के स्वामित्व हस्तान्तरण पर देय अतिरिक्त एकबारीय कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी। इस छूट को पुनः प्रदान करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक स्वामित्व हस्तान्तरण पर भी लागू किया जायेगा।

227. राज्य में ग्रामीण एवं अन्य मार्गों पर संचालित स्टेज कैरिज बसों को देय कर में 10 प्रतिशत की कमी करना प्रस्तावित करता हूं।

228. राज्य में संचालित नगरीय बस सेवा हेतु नई CNG बसें लाने अथवा पूर्व से संचालित बसों को CNG में परिवर्तित करने पर मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

229. अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं राजस्थान में असाइनमेंट (Assignment) के लिए आने वाले वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जायेगा। यह छूट अधिकतम 8 वर्ष के लिए दी जायेगी।

230. राज्य में संचालित एकबारीय कर जमा कराने वाले परिवहन वाहनों के लिए बार-बार "कर चुकता प्रमाण-पत्र" (Tax Clearance Certificate-TCC) प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त करना प्रस्तावित है।

231. प्रदेश में e-Licence एवं e-Registration Certificate लागू किया जाना प्रस्तावित है। इससे आमजन को इस हेतु स्मार्ट कार्ड के लिए देय फीस की राशि 200 रुपये की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।

232. प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित Land Tax की दरों को 50 प्रतिशत कम करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक बकाया राशि के Interest एवं Penalty पर पूर्ण छूट के साथ मूल डिमान्ड में भी 50 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। यह छूट 30 जून, 2023 तक देय होगी।

233. हमने राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रोजेक्ट के तहत डवलपर द्वारा निष्पादित Assignment Deed पर स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 500 रुपये किये जाने का प्रावधान किया था। अब राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2002 के अन्तर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 500 रुपये की जानी प्रस्तावित है।

234. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आबंटित भूखण्डों के सम्बन्ध में निष्पादित अपंजीकृत मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को भूमि की आबंटन राशि के 20 प्रतिशत पर लिए जाने की घोषणा करता हूं।

235. लीज डीड/रेन्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को Rationalise किया जाना प्रस्तावित है।

236. वर्तमान में पंजीयन हेतु 25 लाख रुपये एवं इससे अधिक के दस्तावेजों में अनिवार्य मौका निरीक्षण तथा 25 लाख रुपये से कम के दस्तावेजों में रैण्डम मौका निरीक्षण की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाये जाने के दृष्टि से-

(श्री अशोक गहलोत)

I. अनिवार्य मौका निरीक्षण की न्यूनतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

II. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों को सुविधा देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपये तक के दस्तावेजों को मौका निरीक्षण से मुक्त किया जाएगा।

III. साथ ही दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु मौका निरीक्षण के लिए निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में Empanel किया जाएगा।

Institutional Strengthening:

237. आमजन के रजिस्ट्री संबंधी कार्य सुगमता व त्वरित रूप से करवाने की दृष्टि से -

I. प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक Sub-Registrar कार्यालयों में एक-एक अतिरिक्त पंजीयन डेस्क की स्थापना की जायेगी।

II. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सप्ताह के सातों दिन पंजीयन कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

III. यदि किसी स्थल पर किसी संस्थान द्वारा 20 से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, तो Sub-Registrar द्वारा मौके पर जाकर रजिस्ट्री करने की सुविधा बिना किसी फीस के उपलब्ध करायी जाएगी।

238. नयी तहसील या उप-तहसील के गठन पर उसे पंजीयन के अधिकार स्वतः प्राप्त हो सकें, इसकी घोषणा करता हूं।

239. जयपुर में दो तथा जोधपुर में एक नया उप-पंजीयक कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित करता हूं।

240. स्टाम्प के स्टाक, विक्रय एवं भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जायेगी, जिससे स्टाम्प संबंधी Frauds की सम्भावना समाप्त हो सकेगी।

241. परिवहन विभाग में कार्यकुशलता अभिवृद्धि व प्रवर्तन (Enforcement) की गतिविधियों को मजबूत करने हेतु 100 नये वाहन Service Model पर उपलब्ध कराये जाएंगे। साथ ही, सरदारशहर, चूरू में उप-परिवहन

(श्री अशोक गहलोत)

कार्यालय तथा जोधपुर में एक अतिरिक्त RTO कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित करता हूं।

242. वित्तीय प्रबन्धन और प्रशिक्षण को अधिक Professional बनाने की दृष्टि से राज्य में Public Financial Management & Training Institute का गठन किया गया है। इस Institute की आधारभूत संरचना का निर्माण 75 करोड़ रुपये की लागत से किये जाना प्रस्तावित है।

243. GST एवं VAT की प्रक्रियाओं में व्यवहारियों को सहूलियत एवं Hand Holding उपलब्ध कराने की दृष्टि से-

I. 2 हजार Commerce Graduates/Chartered Accountants को मानदेय पर टैक्स मित्र (Tax Mitra) के रूप में लगाया जाएगा।

II. व्यवहारियों को Self Tax Scrutiny की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Artificial Intelligence (AI) आधारित 'e-Tax Officer' (ETO) Software Platform विकसित किया जाएगा।

244. वर्तमान में प्रचलित 'Rajasthan Electricity Duty Act, 1962' असामयिक हो चुका है, अतः इसे Repeal कर नया अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।

245. समस्त राजस्व अर्जन विभागों में अपील की प्रक्रिया को Online किया जाएगा तथा सुनवाई के लिए भी VC के माध्यम से सुविधा का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा:

246. हमने कराधान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाने के लिए अभिनव प्रयास किये हैं। आज भी मेरे ध्यान में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की कृति कुरुक्षेत्र की ये पंक्तियां आती हैं-

'शांति नहीं तब तक, जब तक,
सुख-भाग न नर का सम हो।
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो।'

अर्थात्/भावार्थ

"मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती...।" मानव

(श्री अशोक गहलोत)

जीवन में मतलब मानव जीवन में, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है, मानव जीवन है। कोई जाति, धर्म, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी सभी हैं, वसुधैव कुटुम्बकम्। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को आप लोग समझने की कोशिश करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं और दिल्ली वालों को भी समझाओगे। दिल्ली वालों को समझाना बहुत जरूरी है।

'शांति नहीं तब तक, जब तक,

सुख-भाग न नर का सम हो।

नहीं किसी को बहुत अधिक हो,

नहीं किसी को कम हो।'

अर्थात्, लिखो, लिखो, ''मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती, जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है।...'' आगे और सुनिए, यह सुख-भाग ऐसा हो, सुनिए क्योंकि आप यहां पर अनुभव प्राप्त कर चुकी हो, इसलिए जरूरी है कि आप तक बात पहुंचे। बाकी तो आप लोग सब मैं समझता हूं कि दौसा में ईआरसीपी का प्रोग्राम हो रहा है, ईआरसीपी का क्या हो रहा है, सड़क का हो रहा है और वह प्रोग्राम हमारे लिए खाली फार्मेलिटी कर दी, वहां पर कोई दूसरा मुख्य मंत्री आ नहीं पाये और अलग से मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, वैरी गुड। इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम, शानदार रोड बनी है, उसी ढंग से इसका शुभारंभ होना चाहिये था। सुनिए, बहुत इंपोर्टेंट बात है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो की जो सोच थी, यह उसके अनुरूप है। देश में गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है। देश में शांति, सद्भाव बना रहे, हम लोग आपस में प्यार मुहब्बत से रहें, मेरे ख्याल से हाउस के बाहर तो थोड़ा बहुत रहते ही हैं। महंगाई, बेरोजगारी ...(व्यवधान) आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, बड़ा इंपोर्टेंट मामला है इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। ''मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती, जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है।'' आगे देखिए आप, ''यह सुख-भाग ऐसा हो, कि इसमें न तो किसी को बहुत अधिक मिले और न ही किसी को बहुत कम मिले।''

247. हमारी सरकार ने समस्त जरूरतमंद वर्गों के उत्थान एवं जन-उपयोगी कार्यों से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए **SSIPS-2021** (Social Security Investment Promotion Scheme- 2021) लागू की थी।

(श्री अशोक गहलोत)

अब मैं, इस योजना को और वृहद् रूप देते हुए **SSIPS-2023** लाकर, इस हेतु 100 करोड़ रुपये का **SSIPS Fund** बनाने की घोषणा करता हूं। इस **SSIPS-2023** के अंतर्गत-

I. वर्तमान में देय ब्याज अनुदान को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने के साथ ही ब्याज पुनर्भरण की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना प्रस्तावित करता हूं।

II. Customised Package हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 3 करोड़ रुपये तथा लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या को 100 से घटाकर 50 किया जाएगा। Customised Package के रूप में आवश्यक Capital and Revenue Grant भी प्रदान की जा सकेगी।

III. ऐसी संस्थाएं, जो SSIPS-2021 के लागू होने के पूर्व से कार्यरत हैं और उन्हें सामाजिक सरोकार का कार्य करने के कारण भूमि की Lease निःशुल्क दी गई थी, उनके Lease Renewal को भी निःशुल्क किया जाएगा।

248. गत बजट के माध्यम से नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों को छूट का लाभ दिया गया है। यह छूट वर्ष 2010 के पूर्व से काबिज ऐसे रिहायशी कब्जेधारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

249. आधुनिक समाज में एकल जीवन तथा Nuclear Family की अवधारणा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों के देखभाल की नवीन चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में इनके लिए Social Infrastructure के समुचित विकास **Old Age Home, Crèche, Day Care Center** आदि को भी RIPS-2022 के Incentive दिया जाना प्रस्तावित है।

250. बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस छूट का लाभ 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

251. साथ ही दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित Immovable Property के हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

252. स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रीकरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने

(श्री अशोक गहलोत)

वाले शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क किये जाने की घोषणा करता हूं। ठेले वाले गरीब लोग होते हैं।

253. 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन तथा 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग जनों के निवास स्थान पर रजिस्ट्री करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

254. परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते (Settlement) पर रजिस्ट्रीकरण फीस समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

255. अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व में पत्नी, पुत्री, ...(व्यवधान) 10 मिनट का मामला है। क्यों मान लें, आपने गवर्नर साहब को ही नहीं बख्शा तो मुझे, वही बात आ गई।

हमने पूर्व में पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, पोता-पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में निष्पादित Gift Deed को पूर्णतया निःशुल्क किया था। वर्तमान में माता-पिता, पुत्र, भाई-बहन, पति के पक्ष में निष्पादित Gift Deed पर स्टाम्प शुल्क 2.5 प्रतिशत की दर से देय है। अब मैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता के पक्ष में Property Gift करने तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता द्वारा पुत्र के पक्ष में Property Gift करने पर स्टाम्प ड्यूटी पर पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूं।

256. अध्यक्ष महोदय, मुझे एहसास है कि कोविड एवं अन्य आर्थिक कारणों की वजह से सभी वर्गों के लिए अलग-अलग चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। अतः **उपरोक्त कर-प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि आगामी वर्ष हेतु 1750 करोड़ रुपये से अधिक की** राहत प्रदान की जा रही है।

257 इन कर-प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन (Amendment) प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

258. इन प्रस्तुत कर-प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

259. मैं, माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम आगे भी अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से विकास एवं राहत प्रदान करने की गति बनाये रखेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

राज्य में विकास के नये आयाम:

260. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान (RE) एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुमान (BE) के विवरण को प्रस्तुत करते हुए मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य ने सभी क्षेत्रों (Sectors) में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं-

I. माननीय सदस्यगणों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार के वित्तीय प्रबन्धन के फलस्वरूप स्थिर मूल्यों (Constant Prices) पर GSDP की वृद्धि दर (Growth Rate) के क्रम में समस्त राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में, हमारा राज्य, जहां वर्ष 2018-19 में 2.37 प्रतिशत के साथ 31वें स्थान पर था, वहीं वर्ष 2021-22 में हम 11.04 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर आ गये हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे देश में हम नम्बर दो पर आये हैं। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा दूसरा नम्बर है। 31 से जम्प करके हम सैकंड नम्बर पर आ गये हैं।

II. इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों (Current Prices) पर प्रदेश की GSDP की विगत 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर 9.68 प्रतिशत रही है, जो कि भारत सरकार की GDP की औसत वृद्धि दर 8.10 प्रतिशत से भी अधिक है।

III. वर्ष 2018-19 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) 1 लाख 37 हजार 873 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 कोविड-19 से प्रभावित होने के बावजूद भी वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 की तुलना में 33.40 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 83 हजार 920 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं।

IV. हमारी सरकार के 'Efficient कर प्रबन्धन' के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 (माह दिसम्बर तक) में राज्य की जीएसटी (GST) वृद्धि दर क्रमशः 32.50 एवं 31.22 प्रतिशत रही, जो देश के CGST collection की वृद्धि दर वर्ष 2021-22 व 2022-23 (माह दिसम्बर तक) क्रमशः 29.56 व 29.78 प्रतिशत से अधिक रही है।

(श्री अशोक गहलोत)

V. वर्ष 2021-22 में पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन पर 24 हजार 152 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) किया गया, जो कि न केवल अब तक का सर्वाधिक है अपितु गत सरकार द्वारा 2018-19 में किये गये वास्तविक व्यय 16 हजार 638 करोड़ रुपये से भी 45 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्य हेतु 38 हजार 61 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि गत सरकार के वर्ष 2018-19 में किये गये व्यय का 229 प्रतिशत है।

वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान:

261. मैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों का विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं:-

1. राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)	2 लाख 15 हजार 786 करोड़ 67 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	2 लाख 48 हजार 96 करोड़ 80 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	32 हजार 310 करोड़ 13 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियां (Receipts in Capital Account)	1 लाख 66 हजार 580 करोड़ 22 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय (Expenditure in Capital Account)	1 लाख 34 हजार 149 करोड़ 74 लाख रुपये
6. पूंजी खाते में आधिक्य (Surplus in Capital Account)	32 हजार 430 करोड़ 48 लाख रुपये
7. शुद्ध व्यय (मार्गोपाय अग्रिम सहित) (Net Expenditure including Ways & Means Advance)	3 लाख 82 हजार 246 करोड़ 54 लाख रुपये
8. शुद्ध व्यय (मार्गोपाय अग्रिम रहित) (Net Expenditure excluding Ways & Means Advance)	2 लाख 98 हजार 246 करोड़ 54 लाख रुपये

262. वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

(श्री अशोक गहलोत)

1. राजस्व प्राप्तियां Revenue Receipts)	2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियां (Receipts in Capital Account)	1 लाख 56 हजार 954 करोड़ 97 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय (Expenditure in Capital Account)	1 लाख 31 हजार 972 करोड़ 80 लाख रुपये
6. पूंजी खाते में आधिक्य (Surplus in Capital Account)	24 हजार 982 करोड़ 17 लाख रुपये
7. शुद्ध व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम सहित) (Net Expenditure including Ways & Means Advance)	3 लाख 90 हजार 856 करोड़ 48 लाख रुपये
8. शुद्ध व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित) (Net Expenditure excluding Ways & Means Advance)	3 लाख 25 हजार 856 करोड़ 48 लाख रुपये
9. वसूलियां (Recoveries)	12 हजार 690 करोड़ 77 लाख रुपये
10. सकल व्यय (वसूलियों सहित) (Gross Expenditure including Recoveries	4 लाख 3 हजार 547 करोड़ 25 लाख रुपये

वसूलियों में मुख्य रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF), राज्य सड़क विकास निधि एवं अन्य विभिन्न आरक्षित निधियों से पुनर्भरण तथा निर्माण विभागों के संस्थापन व्यय इत्यादि की वसूली सम्मिलित है। शुद्ध व्यय में वसूलियों को जोड़ते हुए सकल व्यय राशि 4 लाख 3 हजार 547 करोड़ 25 लाख रुपये है।

कृषि बजट:

263. कृषि बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विस्तृत विवरण बजट खण्ड 4-द में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(श्री अशोक गहलोत)

264. इस कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में समेकित निधि (Consolidated Fund), राज्य की स्वायत्तशाषी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 89 हजार 190 करोड़ 24 लाख रुपये का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कुल कृषि बजट में से राशि 46 हजार 723 करोड़ 32 लाख रुपये Consolidated Fund से व्यय की जायेगी।

केन्द्र सरकार से सम्बन्धित मुद्दे:

265. हमने कई चुनौतियों के उपरान्त भी विकास की गति को निरन्तर बनाये रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार से सम्बन्धित दो-तीन बातें बताना चाहूंगा।

हमने कई चुनौतियों के बावजूद भी विकास की गति को निरन्तर बनाये रखा हैं। मैं, माननीय सदन के संज्ञान में केन्द्र सरकार से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु लाना चाहता हूं। CSS में केन्द्रीय अंश - मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं।

I. CSS में केन्द्रीयांश (Central Share) को समेकित निधि (Consolidated Fund) में हस्तान्तरण नहीं करना: जैसा कि माननीय सदन को विदित होगा, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से जल जीवन मिशन का केन्द्रीयांश, राज्य के Consolidated Fund में न दिया जाकर सीधे Bank Account में दिया जा रहा है। केन्द्र का राज्यों से विश्वास खतम हो रहा है। इसी प्रकार अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि राज्य की Consolidated Fund से बैंक खातों (SNA) में हस्तान्तरण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही, वर्ष 2023-24 से केन्द्र सरकार द्वारा Pilot आधार पर कुछ केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के क्रियान्वयन हेतु Alternate Fund Mechanism प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीयांश एवं राज्यांश दोनों की राशि पहले राज्य की समेकित निधि से वहन की जायेगी। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीयांश का राज्य को पुनर्भरण किया जायेगा। मेरे ख्याल से आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा होगा। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि इस प्रस्तावित व्यवस्था से राज्य की वित्तीय स्थिति पर अत्यन्त ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने केन्द्र सरकार से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। हम आग्रह ही कर सकते हैं। जब एक ही भारी पड़ रहा हो सब पर तो आग्रह ही कर सकते हैं। वे इतने भारी-भरकम हैं, प्रधान मंत्री जी इतने भारी-भरकम हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पहली बार सही बात कही है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हम सब आपकी बात मान रहे हैं, आप भी हमारी बात मानो। दौसा के अन्दर जाओ और ईआरसीपी की बात करके आओ, तब मैं मानूंगा कि आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हो। ईआरसीपी के बारे में बताइये, बोलिये। बोलने की हिम्मत तो नहीं है, आप क्या बोलेंगे? सामने जायेंगे तो बोलती बन्द हो जायेगी।

II. ऊर्जा क्षेत्र:

(a) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में उदय योजना शुरू की गई। इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को किसी भी तरह का अनुदान नहीं दिया गया, अपितु विद्युत वितरण कम्पनियों के बकाया ऋणों की 75 प्रतिशत राशि 62 हजार 422 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अधिग्रहित की गई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है।

(b) इसी क्रम में और आगे जाते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों को राज्य द्वारा अधिग्रहित करने की योजना लायी गई, जिससे राज्य के Revenue Deficit एवं Fiscal Deficit में 2 हजार 995 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई तथा ऋण एवं अन्य दायित्वों में राशि 11 हजार 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई

राजकोषीय संकेतक (Fiscal Indicators):

266. इस प्रकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राशि 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

केन्द्र सरकार ने राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र में निष्पादन (Performance) संबंधी कतिपय मानकों को पूरा करने पर वर्ष 2021-22 से 2024-25 के मध्य 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण अनुमत करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें राजकीय विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOMs) का घाटा वर्ष 2025-26 तक चरणबद्ध रूप से Takeover करना भी शामिल है। इस कारण वर्ष 2021-22 की ही भांति वर्ष 2022-23 में भी अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर आना अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख रुपये अनुमानित किया गया है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.98 प्रतिशत है।

(श्री अशोक गहलोत)

267. मैं, सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की इन आर्थिक नीतियों के बावजूद हमारी सरकार के बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन (Efficient Fiscal Management) के परिणामस्वरूप राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में ही है, जबकि केन्द्र सरकार का वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा, खुद का, केन्द्र का, जीडीपी का 5.90 प्रतिशत अनुमानित है जो राज्य के राजकोषीय घाटे से लगभग डेढ़ गुना है।

268. हमने प्रदेश के विकास हेतु और अधिक संसाधन जुटाने के अभिनव प्रयास के रूप में विभिन्न वर्तमान (Existing) एवं नव गठित (Newly Established) राजकीय उपक्रमों के स्वयं के वित्तीय स्रोतों को leverage कर alternate/additional funding की व्यवस्था भी की है। RTDC के माध्यम से पर्यटन विकास कोष, कृषि मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से कृषक कल्याण कोष, राजस्थान जल-प्रदाय तथा सीवरेज निगम (RWSSC) के माध्यम से जल जीवन मिशन, ERCP निगम के माध्यम से ERCP तथा RUDSICO के माध्यम से शहरी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जाना इसके मुख्य उदाहरण हैं। इससे आमजन को उपलब्ध कराये जाने वाली Service Delivery को वृहद् रूप में लिए जाने के साथ-साथ इसमें गुणात्मक सुधार भी होगा।

269. मैं, वर्ष 2023-24 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' (Fiscal Policy Strategy Statement) भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अन्य बजट खण्डों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

270. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गत 4 वर्षों में प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर, आमजन व जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ-साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध करा, प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया है। मैं, प्रदेश की जनता को माननीय सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम प्रदेश को खुशहाली के पथ पर निरन्तर आगे लेकर जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों को लगता होगा कि अगला चुनाव आ रहा है, इसलिए बजट ऐसा पेश हो रहा है। गलत है। चार साल में हमने जो बजट पेश किए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वह पूरे राज्यों में नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा हमारे तमाम साथियों से, विशेष रूप से विपक्ष के साथियों से कि यह मेरा नहीं है कि चुनाव के टाइम में बजट पेश कर रहा हूं, मैं 2028 को देखकर चुनावी बजट पेश कर रहा हूं। शानदार बजट पेश किए, नो एंटीइंकम्बेंसी, राजस्थान के अंदर। घर-घर हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आप भी मदद कीजिए कुछ तो, पहुंचाओ गरीबों तक, आपका भी काम है। इसके बाद में देखिए आप, 2028 टारगेट है मेरा, इसलिए ये सारी योजनाएं कर रहा हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता को माननीय सदन के माध्यम से पुन: आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम प्रदेश को खुशहाली के पथ पर निरंतर आगे लेकर जाएंगे। अब मैं अंत में कहना चाहूंगा -

"खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है,
जमीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।
लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादां,
जितनी गहराई अन्दर है, बाहर उतना तूफान बाकी है ।।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संकल्प के साथ मैं, बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ में माननीय सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन करेंगे तथा उसे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन करता हूं एवं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान वित्त विधेयक, 2023, माननीय मुख्य मंत्री जी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी पुर:स्थापित करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्त विधेयक, वित्त एवं विनियोग लेखे, माननीय मुख्य मंत्री जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे (खण्ड I व खण्ड II) (वर्ष 2021-22) एवं विनियोग लेखे (वर्ष 2021-22)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे (खण्ड I व खण्ड II) वर्ष 2021-22 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 15.46 बजे सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

पैरा संख्या 24 में उल्लिखित सूची

I. राजकीय महाविद्यालय-नांद (पुष्कर), बड़ाखेडा (टाडगढ़), पीसांगन-अजमेर, परतापुर (गढ़ी)-बांसवाड़ा, सिसवाली-बारां, अंटाली (हु रडा), फूलिया कलां हमीरगढ़-भीलवाड़ा, गोलिया जैतमाल (नौखडा), गिड़ा (बायतू)-बाड़मेर, मोमासर (श्रीडूंगरगढ़), गोडू (बज्जू)-बीकानेर, तालेड़ा-बूंदी, कल्लावास (लालसोट)-दौसा, बीरमाना (सूरतगढ़), लालगढ़ जाटान (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर, संगरिया, पल्लू (नोहर)-हनुमानगढ़, जगतपुरा, जयसिंहपुरा खोर-जयपुर, मोहनगढ़ नाचना-जैसलमेर, असनावर-झालावाड़, कैलाश नगर-सिरोही, बागोडा (भीनमाल)-जालौर एवं बड़गांव, वल्लभनगर-उदयपुर।

II. कन्या महाविद्यालय-बहादुरपुर, नारायणपुर-अलवर, रूदावल (रूपबास), नदबई, सीकरी (नगर), कामां, निठार (वैर)-भरतपुर, शाहपुरा-भीलवाड़ा, नापासर, मुरलीधर व्यास नगर-बीकानेर, गलियाकोट-डूंगरपुर, बुड्ढा जोहड़ (रायसिंहनगर), पदमपुर-श्रीगंगानगर, परसरामपुरा (नवलगढ़)-झुंझुनुं लूणावास भाखर (लूणी)-जोधपुर, नादौती-करौली, डेगाना-नागौर, रानी (मारवाड़ जंक्शन)-पाली, अजीतगढ़-सीकर एवं पीलीबंगा-हनुमानगढ़।

परिशिष्ट 2

पैरा संख्या 28 में उल्लिखित सूची

I. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बारां एवं बीकानेर में केमिकल ब्रांच,

II. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर तथा जोधपुर में फैशन डिजाइन व फाइन आर्ट्स विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम, तथा

III. अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर व टोंक के राजकीय सहशिक्षा (co-ed.) पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में Non-Engineering शाखा प्रारम्भ की जायेगी।

परिशिष्ट 3

पैरा संख्या 29 में उल्लिखित सूची

I. नवीन आईटीआई-हरसोली (किशनगढ़बास)-अलवर, पूगल (खाजूवाला), श्रीकोलायत-बीकानेर, नैनवां (हिण्डौली)-बूंदी, रामसागडा-डूंगरपुर, अणवाणा (ओसियां)-जोधपुर, नोहर-हनुमानगढ़, मोहनगढ़-जैसलमेर, गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर, धोद, नीमकाथाना-सीकर एवं भटेवर-उदयपुर में आईटीआई खोली जायेंगी।

II. भिवाड़ी-अलवर, खेतड़ी-झुंझुनूं, शाहपुरा-जयपुर, बालोतरा-बाड़मेर, नाथद्वारा-राजसमंद, रतनगढ़-चूरू व अनूपगढ़-श्रीगंगानगर के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी एक ITI को 'सेन्टर आफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर लगभग 90 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

III. संभागीय मुख्यालयों के ITIs में Remotely Piloted Aircraft व Drone Pilot ट्रेड शुरू किये जायेंगे। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर संचालित ITIs में Solar Technician ट्रेड प्रारम्भ किया जायेगा। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

IV. ITI भीलवाड़ा, जालौर सिरोही, किशनगढ़-अजमेर व राजसमंद में माइनिंग ट्रेड तथा महिला ITI-अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक एवं आरआई केन्द्र, जयपुर व बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, कोटा में इलेक्ट्रिक ट्रेड शुरू किये जायेंगे। इन पर लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

V. ITI-अलवर में मैकेनिक व प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर, चित्तौड़गढ़ में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) व फायर टेक्नोलॉजी एवं इण्डस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट तथा भिवाड़ी-अलवर में रेफ्रिजरेशन व एयर कण्डीशनर टेक्नीशियन एवं टर्नर के ट्रेड प्रारम्भ किये जायेंगे।

परिशिष्ट 4

पैरा संख्या 39 में उल्लिखित सूची

I. ब्यावर-अजमेर, मालाखेड़ा-अलवर, भवानी मण्डी-झालावाड़, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर, रायपुर-पाली, प्रतापगढ़ व कानोड़-उदयपुर में सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास खोले जाएंगे। इन पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. उमरेण-अलवर, प्रताप नगर-जयपुर व निवाई-टोंक में देवनारायण बालक छात्रावास तथा मानसरोवर-जयपुर में बालिका छात्रावास खोले जाएंगे।

III. कल्याणपुर (पचपदरा)-बाड़मेर, जैतासर (सरदारशहर)-चूरू व श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, नारायणपुर-बांसवाड़ा, शाहबाद (किशनगंज)-बारां, हींगलाट-प्रतापगढ़ व सरमथुरा (बसेड़ी)-धौलपुर में जनजाति छात्रावास तथा बिलिया बडगमा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर में जनजाति बालिका छात्रावास खोले जाएंगे।

IV. साथ ही, श्रीपुरा (देवली)-टोंक, चिखली-डूंगरपुर एवं सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय तथा रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

परिशिष्ट 5

पैरा संख्या 46 में उल्लिखित विवरण

I. खेल स्टेडियम-अरणोद-प्रतापगढ़, कठूमर, थानागाजी, कोटकासिम (किशनगढ़बास)-अलवर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, अटरू-बारां, देई (हिण्डौली)-बूंदी, नदबई-भरतपुर, सरदारशहर-चूरू, मण्डावर (महुवा)-दौसा, बाड़ी, सैपऊ, राजाखेड़ा-धौलपुर, जमवारामगढ़-जयपुर, मलसीसर (मंडावा)-झुंझुनूं, बिलाड़ा, पीपाड़, बालेसर-जोधपुर, डेगाना, लाडनूं-नागौर, जैतारण, सुमेरपुर-पाली, बाटोदा (बामनवास)-सवाई माधोपुर, दांतारामगढ़-सीकर, रानीवाड़ा-जालौर, झोंथरीपाल-डूंगरपुर एवं सिवाना-बाड़मेर।

II. भरतपुर में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जायेगा। साथ ही, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में शूटिंग व तीरंदाजी की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

III. चौगान स्टेडियम, जयपुर का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

IV. कोलिडा-सीकर व बांसवाड़ा में फुटबाल, बीकानेर में साइकलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़-चूरू में एथलेटिक्स तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबाल अकादमी शुरू की जायेगी।

V. शेष रहे सम्भागीय मुख्यालयों-अजमेर, बीकानेर, भरतपुर व जोधपुर में भी सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जायेगा।

VI. धौलपुर, जालौर व नागौर में मल्टीपरपज इंडोर हाल्स बनाये जाएंगे।

VII. स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जोधपुर में आल वैदर स्विमिंग पूल बनाया जायेगा।

परिशिष्ट 6

पैरा संख्या 57 में उल्लिखित विवरण

I. सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु -

(a) Cardio Thoracic Vascular Surgery (CTVS) विभाग, रोबोटिक कैथ लैब, OCT एवं आपरेशन थियेटर आदि की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

(b) निर्माणाधीन IPD Tower एवं Institute of Cardiology में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(c) Institute of Respiratory Diseases का उन्नयन 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।

(d) गणगौरी अस्पताल, जयपुर के नवीन भवन में आधारभूत सुविधाओं हेतु 58 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(e) Rehabilitation and Research Centre तथा गायनी ऑंकोलॉजी विभाग में सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु 27 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, Poison Detection and Drug Level Lab स्थापित की जायेगी।

(f) Centre of Excellence for Advance Care in the Field of Hormone and Metabolic Disorder की स्थापना के साथ-साथ Institute of Dermatology, जयपुर को Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जायेगा। इन पर 13 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में रोगी भार को कम करने की दृष्टि से RUHS, जयपुर में-

(a) जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग व बालरोग में तीन-तीन यूनिट तथा ईएनटी, नेत्ररोग एवं अस्थि रोग विभागों में दो-दो यूनिट की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 34 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, Diagnostic सुविधा सुदृढ़ करने हेतु PPP Mode पर State of Art Radiology and Pathology Labs स्थापित की जायेंगी।

(b) सुपर स्पेशियलिटी विभागों-कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी

एवं यूरोलॉजी की एक-एक यूनिट की स्थापना की जायेगी। इन पर 23 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

(c) Centre of Collaborative Research and Academic Excellence cum Convention Hall का निर्माण 80 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है।

III. मथुरादास माथुर चिकित्सालय (एमडीएम), जोधपुर में चिकित्सा सुविधा विस्तार हेतु-

(a) 100 बैड के काटेज वार्ड ब्लाक व ओटी ब्लाक का 100 करोड़ रुपये की लागत से,

(b) रोबोटिक सर्जरी यूनिट का 50 करोड़ रुपये की लागत से, तथा

(c) Ophthalmic Centre of Excellence का 50 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जायेगा।

IV. सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में पृथक इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग की स्थापना, ईएनटी विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा 'हल्दीराम' के सहयोग से 15 करोड़ रुपये की लागत से ECMO मशीन लगायी जायेगी।

V. महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में Transfusion Medicine विभाग, मातृ एवं शिशु रोग केन्द्र तथा आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जायेंगी। इन पर 41 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

VI. आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Centre of Excellence for Sickle Cell Disease एवं मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

VII, मेडिकल कालेज, अजमेर में Terminal Diseases से सम्बन्धित पेलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 52 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की जांच के लिए 3.0 टेस्ला MRI मशीन स्थापित की जायेगी।

VIII. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, कोटा में Neuro Science Centre की स्थापना की जायेगी। साथ ही, बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्डियो थोरेसिक सर्जरी मशीन स्थापित की जायेगी। इन पर 64 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

IX. मेडिकल कालेज-अलवर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, अजमेर, उदयपुर, दौसा व जिला चिकित्सालय, मण्डोर-जोधपुर तथा RUHS मेडिकल कालेज, जयपुर में 206 करोड़ रुपये की लागत से Critical Care Blocks स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूं।

X. मेडिकल कालेज-कोटा एवं अजमेर में कैंसर रोगियों के लिए 55 करोड़ रुपये की लागत से Linear Accelerator Machines स्थापित की जायेगी।

XI. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर एवं के एन चेस्ट चिकित्सालय, जोधपुर में Silicosis Wing की स्थापना 15-15 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

XII. मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं छात्रावासों के नवीनीकरण, मरम्मत आदि के लिए 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

परिशिष्ट 7

पैरा संख्या 58 में उल्लिखित सूची

I. जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रामगंज-जयपुर की शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC) सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

II. निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कालेज खोला जायेगा।

III. डीडवाना-नागौर में जनाना हॉस्पिटल विंग की स्थापना की जायेगी।

IV. महुवा-दौसा, भिवाड़ी-अलवर तथा लक्ष्मणगढ़-सीकर के उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. पहाड़ी (कामां)-भरतपुर में ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय खोला जायेगा।

VI. इसके साथ ही उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र व सेटेलाइट अस्पताल खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैंः-

(a) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा, ये हैं - बिजयनगर-अजमेर, वैर-भरतपुर, राजगढ़ (सादुलपुर), तारानगर-चूरू, मण्डावरी (लालसोट)-दौसा, भादरा-हनुमानगढ़, सांचौर-जालौर, खेतड़ी, मलसीसर (मंडावा)-झुंझुनूं, ओसियां-जोधपुर, नेछवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर, बागीदौरा-बांसवाड़ा एवं भीम-राजसमंद।

(b) कर्बला (हवामहल)-जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में सेटेलाइट चिकित्सालय खोले जायेंगे।

(c) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत किया जायेगा, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं-उमरैण, गवालदा (तिजारा)-अलवर, सल्लोपाट (बागीदौरा)-बांसवाड़ा, कस्बा थाना (शाहबाद), मोतीपुर (छबड़ा), कुन्जेड-बारां, लीलसर (चौहटन)-बाड़मेर, बांसी (नैनवां)-बूंदी, चंदेरिया-चित्तौड़गढ़, हुड़ला (महुवा)-दौसा, मण्डावरी, (फागी), रोजदा (जालसू), राडावास (शाहपुरा)-जयपुर जालोड़ा (लोहावट), पाल, खेजड़ली कलां (लूणी)-जोधपुर, पनवाड़ (खानपुर)-झालावाड़, घाटवा (कुचामनसिटी), मेड़तारोड-नागौर,

दलोट-प्रतापगढ़. धनेरिया (नाथद्वारा)-राजसमंद एवं आनन्दपुर कालू (जैतारण), चाडवास (सोजत)-पाली।

(d) नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, ये हैं- झिरी (थानागाजी)-अलवर, 8केवाईडी (खाजूवाला)-बीकानेर, बौरेली (बसेड़ी)-धौलपुर, डऊकियों का तला (बायतू)-बाड़मेर, बुचारा, पवाना अहीर (कोटपूतली)-जयपुर, उम्मेदपुर (आहोर), डावल (सांचौर)-जालौर, भोजासर (मंडावा)-झुंझुनूं, पावा (डीडवाना), बरनेल (जायल)-नागौर, मदनी (दांतारामगढ़)-सीकर, पादरड़ी बड़ी (सागवाड़ा)-डूंगरपुर एवं खरनाल (खींवसर)-नागौर।

(e) उप स्वास्थ्य केन्द्रों (Sub Centres) से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा। ये उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं- बांटखानी (बहरोड़), लगडवास (किशनगढ़बास)-अलवर, रोहनवाड़ी (गांगडतलाई), छाजा (आनन्दपुरी), जीवाखूंटा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, गिराजसर (कोलायत), नोखागांव (नोखा)-बीकानेर, कादानाड़ी (गुडामलानी), मिठे का तला (चौहटन), बालासर, मौखाबकलां (शिव), रावतसर-बाड़मेर, मिलकपुर (बयाना)-भरतपुर, भादू (मांडल)-भीलवाड़ा, देरवाला (उदयपुरवाटी), सारी (चिड़ावा)-झुंझुनूं, वरदा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, गांगल्यावास (रामगढ़ पचवारा)-दौसा, बालरवा (तिंवरी) चुतरपुरा (शेरगढ़), डाबड़ी (ओसियां)-जोधपुर, दूधली (बस्सी), रामजीपुरा खुर्द, भाकरी (विराट नगर), बिन्दायका (झोटवाड़ा)-जयपुर, मंगलवा-जालौर, नांगल शेरपुर (टोडाभीम), भांकरी (मंडरायल)-करौली, हरीपुरा (संगरिया)-हनुमानगढ़, कोटड़ा (नीम का थाना), बराल, देवगढ़ (पिपराली)-सीकर एवं मोहनपुरा (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर।

(f) उप स्वास्थ्य केन्द्र-जसवर (वैर)-भरतपुर सहित 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

(g) बेगूं-चित्तौड़गढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना की जायेगी।

परिशिष्ट 8

पैरा संख्या 75 में उल्लिखित सूची

I. रामगढ़-अलवर, नगर-भरतपुर एवं रमजान की गफन (चौहटन), सेड़वा-बाड़मेर में **अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय** तथा जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर व सीकर में आवासीय विद्यालय खोलना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, किशनपोल-जयपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, कुचामनसिटी-नागौर, केशुम्बला भाटियान (गिड़ा)-बाड़मेर व करौली में **अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास** एवं बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, बूंदी, चितौड़गढ़ व चूरू में एक-एक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। इन पर 125 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. अल्पसंख्यक आयोग तथा वक्फ बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. आगामी वर्ष 500 और पंजीकृत मदरसों के आधुनिकीकरण तथा इनमें स्मार्ट क्लासरूम मय इन्टरनेट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

परिशिष्ट 9

पैरा संख्या 87 में उल्लिखित विवरण

I. औद्योगिक क्षेत्र-सारनेश्वर, ग्रोथ सेन्टर आबू रोड-सिरोही सोनियाना-चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बालोतरा-बाड़मेर, सीतापुरा, प्रहलादपुरा, रामचन्द्रपुरा तूंगा, मण्डा-जयपुर, फलौदी-जोधपुर, गुन्दी-फतेहपुर, रानपुर-कोटा, टौंक, निवाई-टौंक, गुढली, सुखेर, एमआईए उदयपुर-उदयपुर, चूरू, बीदासर-चूरू, हनुमानगढ़ तथा अन्य पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

II. औद्योगिक क्षेत्र तूंगा, कुंजबिहारीपुरा, Fintech Park जयपुर, सलारपुर-अलवर एवं सोनियाना-चित्तौड़गढ़ को smart औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जायेगा। इन क्षेत्रों में हरित पट्टी, पावर स्टेशन, Dedicated Waste Disposal, कामर्शियल शाप आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

III. महापुरा-जयपुर स्थित Special Economic Zone (SEZ) के अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास 25 करोड़ रुपये की राशि से RIICO द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

IV. उद्योग विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, जो रीको को हस्तांतरित होने से शेष रह गये थे, में ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से रीको को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भिवाड़ी, नीमराणा, अलवर, भरतपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार तथा आधारभूत संरचना के 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये जायेंगे।

VI. निवेशकों को facilitate करने के लिए अजमेर, आबू रोड-सिरोही, किशनगढ़-अजमेर, राजसमन्द एवं उदयपुर में रीको के कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, किशनगढ़-अजमेर में इकाई कार्यालय की स्थापना की जायेगी।

परिशिष्ट 10

पैरा संख्या 89 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
1.	अजमेर	पुष्कर
2.	अलवर	लक्ष्मणगढ़, मुण्डावर, गोविन्दगढ़, नारायणपुर
3.	बांसवाड़ा	सज्जनगढ़
4.	बारां	अन्ता, छीपाबड़ौद
5.	बाड़मेर	गुढ़ामालानी
6.	भरतपुर	कुम्हेर, पहाड़ी, वैर
7.	भीलवाड़ा	आसीन्द, कोटड़ी, बदनौर
8.	चित्तौड़गढ़	रावतभाटा, भदेसर
9.	धौलपुर	सेपऊ
10.	डूंगरपुर	चिखली, साबला
11.	श्रीगंगानगर	विजयनगर
12.	हनुमानगढ़	टिब्बी
13.	जालौर	बागौड़ा, रानीवाड़ा
14.	झालावाड़	खानपुर, गंगधार, असनावर
15.	झुंझुनूं	मण्डावा
16.	जोधपुर	शेरगढ़, बिलाड़ा
17.	करौली	नादौती
18.	कोटा	इटावा
19.	नागौर	खींवसर, कुचामनसिटी
20.	पाली	रानी
21.	प्रतापगढ़	पीपलखूंट, छोटी सादड़ी, धरियावद
22.	राजसमन्द	कुम्भलगढ़, देवगढ़
23.	सवाईमाधोपुर	वजीरपुर
24.	सिरोही	माउंट आबू
25.	सीकर	नैछवा
26.	उदयपुर	सराड़ा, ऋषभदेव, सलूम्बर, लसाड़िया, झाड़ोल, कोटड़ा व सेमारी।

परिशिष्ट 11

पैरा संख्या 93 में उल्लिखित सूची

I. प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के कार्य

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
1.	अजमेर	सावर बनेडिया-मेहरूकला - भीमडावास-नांदसी-देवलिया कला (59 किमी.) (सावर, केकड़ी, भिनाय) गोयला - शेरगढ़ - फतेहगढ़ - जूनिया - कनोज - बघेरा (49.70 किमी.) (सरवाड, केकड़ी) किशनगढ़ से खुण्डियावास वाया अरड़का (21 किमी.) (सिलोरा, अजमेर ग्रामीण) सम्पर्क सड़क तारागढ़ (6 किमी.) (शहरी क्षेत्र) नसीराबाद-डबरेला-बोराडा-मनोहरपुर-हरपुरा-कोटडी (56 किमी.) (अरांई, श्रीनगर, सरवाड़)	233 करोड़ 38 लाख रुपये
2.	अलवर	केशवपुरा फाटक-प्रागपुरा-कीलपुरखेडा-डेरा-टहटडा - माचाडी - पिनान - मौजपुर-शहदका-बूंटोली-शीतल (64 किमी.) (रैणी, लक्ष्मणगढ़) पापड़ी स्टैण्ड से दोहडा-शेखपुर-मुबारिकपुर-बीजवा-अलावडा-सिंगराका खेड़ा महमूद-सैमला खुर्द-जिला सीमा तक (66.50 किमी.) (किशनगढ़बास, रामगढ़, गोविन्दगढ़) एम.आई.ए. खेडली सैयद-निठारी-चौमू बिलन्दी, सताना-बहाली मेगा हाईवे (28.50 किमी.) (उमरैण, मालाखेड़ा) महनपुर नॉगलबानी-कोटपूतली सीमा- ईशरा का बास-माजराढाकोडा (36.10 किमी.) (बानसूर) कठूमर से कुम्हेर वाया सौंख-कुरवारा-बरतई-पिचूमर (14 किमी.) (कठूमर)	193 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
3.	बांसवाड़ा	सागडूंगरी से गुजरात सीमा मय पुलिया (23 किमी.) (बागीदौरा, गांगड़तलाई, आनन्दपुरी) चौरडी चौराहा से मोनाडूंगर (36 किमी.) (आनन्दपुरी, गांगड़तलाई) पुलिया पुनर्निर्माण उदयपुर-बांसवाड़ा सड़क (बांसवाड़ा, तलवाड़ा) बांसवाड़ा-खमेरा सड़क एवं नेगरेट से घाटोल (30 किमी.) (बांसवाड़ा, घाटोल) पाटन से कदवाली छोटी एमपी सीमा (25 किमी.) (कुशलगढ़)	150 करोड़ रुपये
4.	बारां	किशनगंज विधान सभा के मुख्य कस्बों में सी.सी. सड़क का निर्माण (12 किमी.) (शाहाबाद, किशनगंज) बारां शहर की आन्तरिक सड़कों पर सीसी सड़क एवं नालियों का निर्माण (14 किमी.) (बारां) अन्ता-सांगोद सड़क से मेगा हाईवे (15.50 किमी.) (बारां) बराना से डडवाडा वाया कुंजेड (16 किमी.) (अटरू) कुण्ड-मियाडा-कोयला-जालेड़ा-पीपलोद-अटरू (18 किमी.) (बारां, अटरू)	176 करोड़ 25 लाख रुपये
5.	बाड़मेर	कुडला से नगर (31 किमी.) (बाड़मेर ग्रामीण) सदराम की बेरी से रामजी का गोल (58 किमी.) (सेड़वा, धोरीमन्ना) बालोतरा से धवा (59 किमी.) (बालोतरा/ समदड़ी, कल्याणपुर) मालपुरा से खुडाला (40 किमी.) (आडेल) भाडखा से बोरानाड़ा (35 किमी.) (बायतु, पाटोदी, गिड़ा)	174 करोड़ 25 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
6.	भरतपुर	हंतरा-वैर-बल्लभगढ़-कलसाड़ा-रीजवास (44 किमी.) (वैर, बयाना) कुम्हेर-जनूथर-सुन्दरावली-नगर (26 किमी.) (कुम्हेर, डीग) वैर-हंतरा (जीवद) रोड से डहरा मोड़ वाया बरखेडा-झामरी-भरकऊ (15.15 किमी.) (वैर, बयाना, नदबई) बरसाना-कटीघाटी वाया कामां पहाड़ी (50 किमी) (कामां, पहाड़ी) नदबई-हलैना (10 किमी.) (नदबई)	216 करोड़ रुपये
7.	भीलवाड़ा	देवगढ़ से माण्डल वाया करेड़ा (5 किमी.) (माण्डल) भीलवाड़ा से देवगढ़ वाया पांसल पिथास (7 किमी.) (सुवाणा) शम्भुगढ़ से रायला (37 किमी.) (आसीन्द) भीलवाड़ा-कोटड़ी-पण्डेर (41.40 किमी.) (सुवाणा, कोटड़ी) कनेछन से फूलिया खुर्द (18.70 किमी.) (शाहपुरा)	121 करोड़ रुपये
8.	बीकानेर	गंगापुरा फांटा से गोकुल फांटा वाया गंगापुरा-सुरजड़ा-अगनेउ (44 किमी.) (कोलायत) पलाना से खाजूवाला वाया नाल-सम्मेवाला-बल्लर (29.70 किमी.) (बीकानेर, खाजूवाला) देशनोक से कालू वाया नापासर गुसाईसर (48 किमी.) (बीकानेर) म्यूजियम सर्किल से बीछवाल वाया दीनदयाल उपाध्याय सर्किल-उरमूल सर्किल (11 किमी.) (शहरी क्षेत्र) पलाना-बरसिंहसर-लालमदेसर-जेडी मगरा-सियाणा-बाला का गोल-खारिया मालिनाथ-उदत (66 किमी.) (बीकानेर, नोखा, कोलायत)	220 करोड़ 70 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
9.	बून्दी	उगेन-भीमगंज-सीसोला-निमोद मय बालापुरा पुल (25.70 किमी.) (नैनवां एवं हिण्डोली) नेहड़ी-विजयगढ़-थाना-टहला-बोरखेड़ा-मांगलीखुर्द-एन.एच.-52 तक (34.20 किमी.) (हिण्डोली) जैतपुर-खटकड़ सड़क का शेष भाग (18.65 किमी.) (नैनवां एवं बून्दी) (रामेश्वर चौराहा)-आकोदा-दर्रा का नयागांव-बड़गांव-रेण-सरसोद-गोठड़ा सड़क मय बड़गांव पुल (35.30 किमी.) (हिण्डोली) मेघारावत की झौपड़िया से खीण्या (8.50 किमी.) (हिण्डोली)	150 करोड़ रुपये
10.	चित्तौड़गढ़	सेमलपुरा से विजयपुर (30 किमी.) डबोक से नीमच सड़क एसएच-15 तक (47.50 किमी.) (बड़ी सादड़ी, डूंगला) चिकारड़ा से बड़ी सादड़ी (35 किमी.) (बड़ी सादड़ी, डूंगला) रावतभाटा जवाहरनगर सड़क पर बाबा रामदेव मंदिर के पास चम्बल नदी पर पुल निर्माण कार्य (भैसरोड़गढ़) मेघपुरा डोराई सडक मय पुलिया (6 किमी.) (बेगूं)	174 करोड़ 12 लाख रुपये
11	चूरू	भनीण से बायं-बिरमी खालसा-खुड्डी राजगढ़-सिद्धमुख (34.50 किमी.) (राजगढ़, तारानगर) लूणकरणसर से कानूता (23.20 किमी.) (बीदासर) रतनगढ़ से सरदारशहर वाया चूरू (45.40 किमी.) (रतनगढ़) हरियासर-अमरसर-नोहर (21 किमी.) (सरदारशहर) रतनगढ़ से चूरू सड़क वाया घुमान्दा-मोलीसर एवं खुडेरा बड़ा से सहनाली (56.04 किमी.) (रतनगढ़)	207 करोड़ रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
12.	दौसा	रोहडा से लवाण (42 किमी.) (दौसा, लवाण) हुडला से लोटवाड़ा वाया पलानहेडा-जटवाडा-हिगोंटा-महुखेड़ा (64 किमी.) (महवा, मण्डावर, बैजूपाड़ा) बालाजी मोड़ से खवारावजी (41 किमी.) (सिकन्दरा, सिकराय) श्यामपुरा-झापदा एवं बिनौरी बालाजी एवं रामगढ़ पचवारा (26.60 किमी.) (लालसोट, रामगढ़ पचवारा) भांवता बालाजी मन्दिर से पीचूपाडा खुर्द (20 किमी.) (बसवा, बांदीकुई)	165 करोड़ 33 लाख रुपये
13.	धौलपुर	कछियारा-विडार से बसई कारे वाया अंधियारी-गढ़ी जाफर हथवारी खेरिया-सरकंडी डौडे का पुरा, बसई कारे-सविता नगर-नगर घटा (28 किमी.) (राजाखेड़ा) चांडियान का पुरा से दुवाटी घेर वाया चीलपुरा, रैहना वाली माता-अन्तापुरा-मांगरौल-नकटपुरा-करश देव मन्दिर-इन्छापुरा-हरदयालकापुरा चैंची का पुरा (40 किमी.) (राजाखेड़ा, धौलपुर) धौलपुर से करनपुर वाया सोने का गुर्जा-सरमथुरा-चन्देलीपुरा-मडरायल (81 किमी.) (धौलपुर, बाडी, सरमथुरा) धौलपुर से महुआखेड़ा वाया सरानीखेड़ा, बसेड़ी से मासलपुर (34.40 किमी.) (धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी) नादनपुर मोड़ से सरमथुरा, सरमथुरा से झिरी (43 किमी.) (बसेड़ी, सरमथुरा)	195 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
14.	डूंगरपुर	आसपुर-डूंगरपुर-सरथूना (61.30 किमी.) (डूंगरपुर, झौथरी, सीमलवाड़ा) कल्याणपुर से देवसोमनाथ-डूंगरपुर-बिछीवाड़ा (22 किमी.) (डूंगरपुर, बिछीवाड़ा) सागवाड़ा-गौरेश्वर-दिवडा-सिलोही-गडा जसराजपुर-गलियाकोट-बडगी रोड (30 किमी.) (सागवाड़ा, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, चिखली) गैजी घाटा से चुण्डावाडा वाया रामसागड़ा-नवलश्याम-संचिया-बरोठी-चुण्डावाड़ा (36 किमी.) (बिछीवाड़ा, डूंगरपुर) गलियाकोट मोड़ सागवाड़ा से जोगपुर (11 किमी) (गलियाकोट, सागवाड़ा)	172 करोड़ 30 लाख रुपये
15.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ टाउन से कालीबंगा वाया फतेहगढ़ (25 किमी.) (हनुमानगढ़/पीलीबंगा) देईदास से ऐलनाबाद वाया श्योदानपुरा (12.40 किमी) (नोहर, टिब्बी) भादरा से लुदेसर (17.30 किमी) भादरा संगरिया से मालारामपुरा वाया दीनगढ़ (18.90 किमी) (संगरिया) सूरतगढ़-जाखड़ावाली वाया बड़ोपल (30 किमी.) (पीलीबंगा)	103 करोड़ रुपये
16.	जयपुर	बिचून मोड़ से बेगस वाया बिचून-बन्धे के बालाजी-गुढ़ा बैरसल-बोराज (30 किमी.) (दूदू-झोटवाड़ा) टोंक जिला सीमा से रसीली-मौजमाबाद-बगरू-बेगस-हिंगोनिया-लूनियावास (56 किमी.) (झोटवाड़ा, जोबनेर, रेनवाल) शाहपुरा से स्टेट हाईवे 37 सी वाया परमानन्द जी-राड़ावास (45 किमी.) (शाहपुरा, गोविन्दगढ़) रामपुरा खुर्द से सरूंड वाया नीमली-रूपपुरा-बीठलोदा-ढाणी बडियावाली (35.30 किमी.) (कोटपूतली, पावटा) विराटनगर एन.एच.-248 ए से हरियाणा बोर्डर वाया बडनगर-पावटा द्वारिकापुरा-नारेडा-चिमनपुरा (23 किमी.) (विराटनगर, पावटा)	242 करोड़ 13 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
17.	जैसलमेर	उजला से स्वामी जी की ढाणी वाया बारठ का गांव-पदरोड़ा-बागथल-फुलासर (47 किमी.) (सांकड़ा, भनियाणा) पोकरण से झिनझिनयाली सत्तो सड़क वाया सांकड़ा-भैंसड़ा-डांगरी-फतेहगढ़ (33.50 किमी.) (फतेहगढ़) हमीरा भेसंडा-राजमथाई वाया भागु का गांव बडोडा गांव-रासला (72 किमी.) (जैसलमेर, फतेहगढ़, भणियाणा) जैसलमेर-सम-धनाना (45 किमी.) (जैसलमेर, सम) पन्नासर-नई राजमथाई-राजमथाई-बांधेवा-देवपालपुरा से बाड़मेर (38 किमी.) (भणियाणा)	297 करोड़ 25 लाख रुपये
18.	जालौर	भीनमाल से सरवाना वाया करडा-सांचौर (55.70 किमी.) (रानीवाडा सांचौर) बिशनगढ़-भवराणी-भोरडा घाणा जिला सीमा तक (44 किमी.) (सायला, जालौर, आहोर) रानीवाड़ा-मेडा-तावीदर से चाटवाड़ा (20 किमी.) (रानीवाड़ा) कानीवाड़ा-हरजी से जिला सीमा सिरोही (8.80 किमी.) (आहोर) माधोपुरा सामुजा हेडीवा आईपुरा बावड़ी (16.30 किमी) (जालौर आहोर)	140 करोड़ 52 लाख रुपये
19.	झालावाड़	पुल निर्माण कार्य-छप्पन दरवाजा पिड़ावा (पिड़ावा) MDR-258 घाटोली से लोधीपुरा-म.प्र. सीमा, MDR-176 पट्टी से लोधीपुरा मय उच्चस्तरीय पुल (41.93 किमी.) (अकलेरा व मनोहरथाना) पलायथा से सूमर वाया राजगढ़-सांगोद-जोलपा (11.5 किमी.) (खानपुर) भवानीमण्डी क्षेत्र में शहरी सड़क (2.5 किमी.) (भवानीमंडी) चौमहला बाईपास (3.5 किमी.) (डग व गंगधार)	130 करोड़ 1 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
20.	झुन्झुनूं	बागोली से ठीकरिया नेशनल हाईवे 52 तक (10.5 किमी.) (उदयपुरवाटी) खेतड़ी-बीलवा-नंगली सलेदी सिंह (18 किमी.) (खेतड़ी) सूरजगढ़-काजड़ा-डुलानिया-लीखवा-बेरी (26 किमी.) (पिलानी, सूरजगढ़) झुन्झुनूं-सोनासर, डाबड़-मण्ड्रेला (27 किमी.) (अलसीसर) नरसिंहपुरा-अजाड़ी-बुगाला (14 किमी.) (झुंझुनू)	103 करोड़ रुपये
21.	जोधपुर	मण्डलनाथ-कालीबेरी बडली-झंवर-धवा (38 किमी.) (केरू, धवा) ओसियां से तिंवरी (20 किमी.) (ओसियां, तिंवरी) बोरून्दा वाया ओस्तरा-भोपालगढ़-बासनी बुद्धा-खारिया खंगार-खवासपुरा-घोड़ावट (54 किमी.) (भोपालगढ़ पीपाड़ सिटी) चामू-चाबा (21 किमी.) (सेखाला, चामू) देणोक से जाम्बा वाया लोहावट (45 किमी.) (आऊ, लोहावट)	226 करोड़ 45 लाख रुपये
22.	करौली	मासलपुर-नारायणा-सीलौती-सकरघटा-नीमरीपुरा-खानाकी जगर जटनगला (33 किमी.) (मासलपुर, हिण्डौन) गधौली मोड-फतेहपुर मोठियापुरा-तेली की पंसेरी -हिण्डौन-गुढ़ाचन्द्रजी भण्डारेज मोड (62 किमी.) (मासलपुर हिण्डौन टोडाभीम नादौती) मलारना-हाड़ौती-फतेहपुर-चिगीपुरा-बगीदा कावटी-सपोटरा-मांगरौल-तुरसगपुरा (33 किमी.) (सपोटरा) मण्डरायल कस्बे में एसएच-22 चम्बल अप्रोच सड़क (11 किमी.) (मण्डरायल) गदका की चौकी से भाडारेज वाया परीता-वजीरपुर-सोप-बागौर-लालसर (59 किमी.) (करौली, नादौती)	189 करोड़ रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
23.	कोटा	दरा-कनवास-आजादपुरा (22 किमी.) (सांगोद) अयाना-विजयपुरा-अरनिया-निमोदा-खेड़ा (15.50 किमी.) (इटावा) कोटा-कैथून-सांगोद-बपावर-छबड़ा-धरनावदा (5.90 किमी.) (लाडपुरा) ढोटी-बालाजी की थाक-भौरा-सुल्तानपुर-निमोदा उजाड़ (10.50 किमी.) (सांगोद) अमझार-भटवाड़ा-नयागांव-खेड़ली-चेचट-मदनपुरा-रघुनाथपुरा-कैथूली जैन मंदिर (15 किमी) (खैराबाद)	130 करोड़ 21 लाख रुपये
24.	नागौर	चांवडिया-मांडपुरा-आचीणा-हैसाबा-पांचला सिद्धा से सोयला मार्ग-कुड़छी-माधाणियों की ढाणी से नारवा-कांटिया-खींवसर तक सड़क का निर्माण (80 किमी.) (खींवसर) एसएच-19 मण्डूकरा से एनएच-458 रताउ वाया आगुन्ता-मामड़ोदा-दूदोली (55.25 किमी.) (डीडवाना) पालडी पिचकिया-थिरोद-नागौर-रायधनू-सुखवासी-अलाय-श्रीबालाजी-छीला (71 किमी.) (नागौर, मुण्डवा) एनएच-65 मेगाहाईवे एसएच-7 वाया बल्दू-गेनाना (23 किमी) (लाडनूं) एस.एच. 90-कचरास-बरनेल-जायल-कसारी-टांगला-पौधाम वाया डिडिया-लूणसरा (67 किमी) (जायल, मूण्डवा)	253 करोड़ 30 लाख रुपये
25.	पाली	नाडोल-सादड़ी (20.50 किमी.) (देसूरी) सोजत रोड-बड़ा गुडा-सरूपा (24 किमी.) (सोजत) बागोल-खिंवाडा-मामावास की प्याऊ (14.50 किमी.) (देसूरी, रानी) बोया-जवाईबांध वाया पैरवा एवं बलवना (15 किमी.) (बाली, सुमेरपुर) झाला की चौकी-कलालिया-बगडी-जस्सा खेड़ा (40 किमी.) (रायपुर)	113 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
26.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़-थडा-नीमच (14 किमी.) (प्रतापगढ़) झल्लारा-धरियावद (20 किमी.) (धरियावद) दलोट-सालगढ़-घण्टाली-माहीडैम (20 किमी.) (अरनोद, पीपलखूंट, घाटोल) मंशापूर्ण-गंगेश्वर महादेव से हड़मतीया जागीर-नानामा की भागल-हड़मतीया कुण्डाल जीवनपुरा मोड़-घाटेवाले बालाजी-भंवरमाता-ढावटा मोवाई (39 किमी.) (छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी) बांसी-धरियावद (21 किमी.) (धरियावद)	91 करोड़ 47 लाख रुपये
27.	राजसमन्द	भीम से कामलीघाट वाया टाडगढ़-मण्डावर (36.5 किमी.) (भीम) भीम-बदनोर (15 किमी.) (भीम) नाथद्वारा-रेलमगरा (14 किमी.) (रेलमगरा) पछमता से धनरेरिया (22 किमी.) रेलमगरा आमेट से कोशिथल (10 किमी.) (आमेट, कुम्भलगढ़)	106 करोड़ 50 लाख रुपये
28.	सवाई माधोपुर	रावल से गोगोर वाया छारोदा कानसीर दुब्बी खुर्द (15 किमी.) (सवाई माधोपुर) डिडायच देवली के मध्य बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल (चौथ का बरवाड़ा) रघुवन्टी से हाड़ौती वाया श्यामोली मय पुलिया (8 किमी.) (मलारना डूंगर) पीपलदा से बरेड़ी सड़क मय मोरेल नदी पर वेन्टेड काजवे का निर्माण (25 किमी.) (बौंली) मीनापाड़ा से नारायणपुर-टटवाडा-सपोटरा (12 किमी.) (गंगापुर सिटी)	177 करोड़ रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
29.	सीकर	रैवासा धाम से कूदन वाया बाजौर-पिपराली कटराथल-दौलतपुरा-गोठड़ा-भुकरान (30.50 किमी.) (पिपराली, धौद, दांतारामगढ़) श्रीमाधोपुर से बधाल जिला सीमा तक वाया पटवारी का बास-कोटड़ी धायलान-दादिया रामपुरा (28 किमी.) (खण्डेला) जलेबी चौक-रायपुर जागीर-अजमेरी-सावलपुरा तवरान-नीमकाथाना-चकमंढोली एवं रायपुरमोड़-रायपुर पाटन-काचरेडा-हसामपुर (46 किमी.) (अजीतगढ़, नीमकाथाना, पाटन) डांसरोली-दांता-सुल्यावास-रानोली उदयपुरा मोड़ (18 किमी.) (दांतारामगढ़, पलसाना) एनएच-52 से हमीरपुरा-भोजासर बड़ा-डालमास-बठोट (16.25 किमी.) (लक्ष्मणगढ़)	159 करोड़ 73 लाख रुपये
30.	श्री गंगानगर	श्रीकरणपुर-पदमपुर (26.90 किमी.) (श्रीकरणपुर, पदमपुर) 3 पूली से दूलापूर केरी वाया मोहनपुरा-कोनी-मंदेरा-रेणुका (25.75 किमी.) (गंगानगर) सिंहागावाली से एनएच-62 वाया अक्कावाली -भादूवाली-कीकर चक-रोटावाली-लाधूवाला चक लूनेवाला (21 किमी.) (श्रीगंगानगर) श्रीविजयनगर-रायसिंहनगर (17 किमी.) (रायसिंहनगर) सलेमपुरा-सारा (42.50 किमी.) (श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर)	117 करोड़ 67 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
31.	सिरोही	बरलूट-वराडा-सियाणा सड़क व काकेन्द्रा ग्राम के समीप पुल निर्माण (9.7 किमी.) (सिरोही) पाडीव-कालन्द्री सड़क व पाडीव ग्राम के समीप पुल निर्माण (13 किमी.) (सिरोही) अनादरा-हाथल-नागाणी सड़क व पुल (17 किमी.) (रेवदर) आबूपर्वत-अम्बाजी वाया आबूरोड सड़क व पुल (29 किमी.) (आबूरोड) भूजेला-मालेरा वाया भीमाना-वालोरिया (28 किमी.) (पिण्डवाड़ा)	122 करोड़ 75 लाख रुपये
32.	टोंक	दौलता मोड़ से सन्थली वाया बीसलपुर डैम (27.50 किमी) (देवली) एमडीआर-182 से झिराना वाया बम्बोर-टोंक-हमीरपुर (55.60 किमी.) (उनियारा टोंक टोडारायसिंह) दत्तवास से मालपुरा वाया निवाई-पीपलू (42 किमी.) (निवाई, पीपलू, मालपुरा) झिराना से जिला सीमा अजमेर वाया बावड़ी-टोडारायसिंह (22.70 किमी.) (टोंक, टोडारायसिंह) डिग्गी से जस्टाना वाया निवाई (10 किमी.) (निवाई)	171 करोड़ रुपये
33.	उदयपुर	कनबई-बलीचा देमत जिला सीमा तक (24 किमी.) (नयागांव) परसाद (पराई) से सराडा वाया निम्बोदा (16 किमी.) (सराड़ा) उण्डावेला से फलासिया सड़क वाया कंथारिया (22.90 किमी.) (झाड़ोल एवं फलासिया) भीण्डर से बलीचा वाया आकोला (22 किमी.) (भीण्डर एवं लसाड़िया) सायरा-करदा-बरवाडा (20 किमी.) (सायरा)	117 करोड़ 21 लाख रुपये

परिशिष्ट 12

पैरा संख्या 93 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
1.	नारायणपुर रोड से बामनवास रोड तक (बानसूर, अलवर)	15 करोड़ रुपये
2.	गादोज-बहरोड़-माजरी-काठूवास-रामचन्द्रपुरा-हरियाणा सीमा तक (12 किमी.) (बहरोड़, अलवर)	12 करोड़ रुपये
3.	खेरली से सायपुर तक (5 किमी.) (कठूमर, अलवर)	4 करोड़ रुपये
4.	दौसा टहला रोड एस.एच. 29 ए से धीरोडा-सीतापुरा-पीपलीवाली ढाणी-दामोदर का बास बिरकड़ी-बैरवा ढ़ाणी-पीलवा नदी की ओर जिला सीमा तक (12 किमी.) (थानागाजी, अलवर)	8 करोड़ 40 लाख रुपये
5.	नृसिंहपुरा से सांगोडा तक, दडा से कंचनपुरा तक मूण्डला से शेखपुरा तक (9 किमी.) (अंता, बारां)	6 करोड़ रुपये
6.	सालरखोह, पं.स. छीपाबड़ौद (छबड़ा, बारां)	1 करोड़ 10 लाख रुपये
7.	सौंथरी से डीग रोड तक डामर रोड (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	1 करोड़ 15 लाख रुपये
8.	ढोकस से नहर पटरी से नहर होते हुए परिक्रमा मार्ग पूछरी वाली व सौंथरी रोड (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	3 करोड़ 90 लाख रुपये
9.	कुम्हेर रोड से बोरई रोड (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	35 लाख रुपये
10.	रारह ताखा रोड से तपसी मन्दिर रारह (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
11.	एनएच-79 से चरलिया बाह्मण-कोटडी कलां-शोभावली गांव से जीएसएस होते हुए अहमदनगर-खारा-कानपुरा-कदमाली से एनएच-113 तक (14 किमी.) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	10 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
12.	बांगरेड़ा-जलिया-पिपली-सेगवा निमड़ी देवरा-गादोला-सरवानिया मसानी एमपी सीमा तक (14 किमी.) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	14 करोड़ रुपये
13.	गडालालसिंह आरा मशीन से साडिया फला से सीएचसी बुचिया बड़ा तक (7 किमी.) (सागवाड़ा, डूंगरपुर)	4 करोड़ रुपये
14.	बगराना, सुमेल, विजयपुरा ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण (जयपुर)	25 करोड़ रुपये
15.	हैरिटेज नगर निगम जयपुर में (वार्ड नं. 76 से वार्ड नं. 100) में सड़क निर्माण (जयपुर)	20 करोड़ रुपये
16.	एनएच-अजमेर रोड अखेपुरा मोड़ से मौजमाबाद सड़क (10 किमी.) (दूदू, जयपुर)	20 करोड़ रुपये
17.	एनएच-48 गोवर्धनपुरा से चौलाई तक वाया कांसली होते हुए सड़क निर्माण कार्य-(6.10 किमी.) (कोटपूतली, जयपुर)	9 करोड़ 20 लाख रुपये
18.	बैरठ से तडवा (11 किमी.) (जालौर)	4 करोड़ रुपये
19.	बाड़मेर सिणधरी जालौर स्टेट हाईवे पंचायत मुख्यालय से तेजा की बेरी (वाया मदरसा) (06 किमी.) (जालौर)	2 करोड़ 50 लाख रुपये
20.	सांचौर डबाल सरवाना किमी. 73/0 से 95/0 (सांचौर, जालौर)	19 करोड़ रुपये
21.	एनएच-11 से बिरमी-चन्दवा तक (25 किमी.) (मंडावा, झुंझुनूं)	10 करोड़ रुपये
22.	रोहिचा कलां गांव से वाया सियागों की ढाणी होते हुए 5 दुकान धुंधारा रोड तक सड़क (लूणी, जोधपुर)	2 करोड़ रुपये
23.	खेड़ा मासलपुर सड़क एम डी आर 256 (करौली)	11 करोड़ रुपये
24.	एसएच-21ए से पालड़ी कलां वाया बिखरनिया कलां सड़क (16 किमी.) (डेगाना, नागौर)	10 करोड़ रुपये
25.	साण्डिला से स्वामी धोरा-रोहिणा-दोतिला-सिलारिया-ढेहरी-कसनाऊ तक (24.25 किमी.) (जायल, नागौर)	13 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
26.	कुरडायां, नागौर से फालका-पाली तक (8 किमी.) (मेड़ता, नागौर)	6 करोड़ रुपये
27.	लाल मादड़ी पासूनिया निचली ओडन-लम्बाई 11.20 किमी. (नाथद्वारा, राजसमन्द)	13 करोड़ 50 लाख रुपये
28.	कुआंगांव से गोठड़ा तक एवं बागडोली से बंधावल इस्लामपुरा (8 किमी.) (बामनवास, सवाई माधोपुर)	5 करोड़ रुपये
29.	एसएच-11ए, रायपुर से श्रीमहावीरजी, नादौती रोड (एसएच-110) वाया खण्डीप रेंडायल गुर्जर (12.30 किमी.) (गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर)	15 करोड़ रुपये
30.	रांवल से कानसीर तक (सवाई माधोपुर)	2 करोड़ रुपये
31.	रांवल से छारोदा तक (सवाई माधोपुर)	1 करोड़ 90 लाख रुपये
32.	खूड़ से खाटूश्यामजी वाया खीचड़ों की ढाणी, रूपगढ़, ठेठ, कांटिया, खोरा, कैलाश (दांतारामगढ़, सीकर)	18 करोड़ रुपये
33.	गाड़ोदा से मंगलूणा (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	90 लाख रुपये
34.	काछवा से फिरवासी, जैतपुरा-तिडवा-तुनवा-जागीर नाशनवा (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	14 करोड़ रुपये
35.	हसामपुर से अजीतगढ़ वाया लादी का बास हाथीदेह रोड तक (नीमकाथाना, सीकर)	15 करोड़ रुपये
36.	वाण (स्कूल) से सवली, ब्लाक शिवगंज (04 किमी.) (सिरोही)	1 करोड़ 60 रुपये
37.	मालवीय नगर के वार्ड-143 की सेक्टर रोड एवं पुल निर्माण (जयपुर)	20 करोड़ रुपये
38.	ग्राम राजियासर मीठा, सुजानगढ़ तक पक्की सड़क निर्माण (सुजानगढ़, चूरू)	6 करोड़ रुपये
39.	रामपुरा से पड़ासला खुर्द तक (10 किमी.) (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	4 करोड़ रुपये
40.	जीझणी राजागढ़ डैम से मिश्रोली तक, भवानीमंडी (5 किमी.) (झालावाड़)	10 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
41.	खरका से खेरज माता वाया मियार फला (7 किमी.) (उदयपुर)	2 करोड़ 80 लाख रुपये
42.	ईडाणा से फीला सड़क चौड़ाईकरण 6 किमी. (उदयपुर)	3 करोड़ 60 लाख रुपये
43.	नेशनल हाईवे 325 के किमी. 40.75 से रा.उ.मा.वि., मालियों का बेरा भीमगोडा तक सड़क बनाने हेतु (सिवाना, बाड़मेर)	1 करोड़ 50 लाख रुपये
44.	बूंदी के हिण्डौली ब्लाक में सम्पर्क व नवीन सड़कों का कार्य (46 किमी.)	27 करोड़ रुपये
45.	बडोरा से कटावर वाया शेरगढ़ सहित विभिन्न गांवों में 20 किमी. नई सड़कों का निर्माण (शेरगढ़)	15 करोड़ रुपये
46.	NH-11 से रेलवे पुलिया नम्बर 4 तक (2 किमी.) (रतनगढ़)-चूरू	1 करोड़ 28 लाख रुपये
47.	घुस्यारी से पीपला तक वाया फुलवारा (सेवर, भरतपुर)	3 करोड़ रुपये
48.	कालासर से धोलेरा (12 किमी.) (खाजूवाला, बीकानेर)	4 करोड़ 80 लाख रुपये
49.	गोदारों की ढाणी हंसासर से देसलसर वाया खारा-कूदसू-हिंयादेसर (20 किमी.) (नोखा, बीकानेर)	8 करोड़ रुपये
50.	फेफाना से रतनपुरा (नोहर) तक (10 किमी.) (नोहर, हनुमानगढ़)	3 करोड़ 20 लाख रुपये
51.	भिनाय से बिजयनगर सड़क वाया एकलसिंगा शिखरानी सड़क (22 किमी.) (मसूदा, अजमेर)	10 करोड़ 60 लाख रुपये
52.	कलमोदिया-मनोहरथाना वाया हरनावदाशाहजी सड़क (13.75 किमी) (छबड़ा, बारां)	11 करोड़ रुपये
53.	अछनेरा सड़क से नौह, नौगाया पीपला होते हुए यूपी बोर्डर तक (12 किमी.) (भरतपुर)	12 करोड़ रुपये
54.	मथुरा रोड से नगला परशुराम तक (सेवर, भरतपुर)	12 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
55.	सेवर से नदबई वाया ततामड-मूढौता-कढ़ी-झारौली-चितौकरी-करही-कवई (नदबई, भरतपुर)	12 करोड़ रुपये
56.	भीण्डर रामगढ़ वाया गंगापुर-रायपुर-करेड़ा (37.20 किमी.) (सहाड़ा, भीलवाड़ा)	25 करोड़ रुपये
57.	लालसोट से पपलाज माता रोड चौड़ाईकरण (22 किमी.)	20 करोड़ रुपये
58.	गोगामेड़ी-नेठराना से हरियाणा बोर्डर (15 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	12 करोड़ रुपये
59.	गोगामेड़ी से दीपलाना वाया उज्जलवास (15 किमी.) (भादरा, हनुमानगढ़)	12 करोड़ रुपये
60.	बस्सी से तूंगा वाया देवगांव एवं देवगांव से रिंग रोड वाया सांभरिया सांख, बाला की नागल (बस्सी, जयपुर)	15 करोड़ रुपये
61.	एन एच 21 से बांसखोह, लवाण वाया भूडला (बस्सी, जयपुर)	12 करोड़ 50 लाख रुपये
62.	ठिकरिया गुजरान से झापदा कलां दनी तक (09 किमी.) (चाकसू, जयपुर)	8 करोड़ रुपये
63.	नकची घाटी से नायला (21 किमी.) (जमवारामगढ़, जयपुर)	23 करोड़ रुपये
64.	बीलवाडी से डोडसर वाया खोरालाडखानी, राडावास, धानोता, गोविन्दपुरा, बासड़ी (14.30 किमी.) (शाहपुरा, जयपुर)	12 करोड़ रुपये
65.	बीलवाडी (एनएच-248ए) से डोडसर (एनएच-57) वाया पालड़ी (16.60 किमी.) (विराटनगर, जयपुर)	15 करोड़ रुपये
66.	टोंक जिले के टोडारायसिंह ब्लाक की 12 सड़कें एवं टोंक ब्लाक की 12 सड़कों (62 किमी.)	25 करोड़ रुपये
67.	ताजपुर से कैलादेवी वाया बालौती-कांचरोछा-सैमरदा-अस्थल-धौरेरा-धौरेरी सड़क (25 किमी.) (सपोटरा, करौली)	18 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सड़क कार्य	लागत
68.	दौसा (बिगवास मोड) अलूदा-खावा-कालाखोह-घुमाना-गेरोटा-टोडाभीम-गाजीपुर-पलानहेडा-भुसावर सड़क (एमडीआर-63) (13 किमी.) (टोडाभीम, करौली)	12 करोड़ रुपये
69.	रास-लाम्बियां जिला सीमा अजमेर (पुष्कर) वाया कुडकी एन एच 89 तक (20 किमी.) (जैतारण, पाली)	15 करोड़ रुपये
70.	जैताणा से कुण्डली (12 किमी.) (धरियावद, प्रतापगढ़)	12 करोड़ रुपये
71.	कानोड से लसाड़िया (13 किमी.) (लसाड़िया, उदयपुर)	12 करोड़ रुपये
72.	फतेहपुर बागडोदा-बलौद भाखरा-बलौद छोटी-बलौद बडी सड़क (11 किमी.) (फतेहपुर, सीकर)	11 करोड़ रुपये
73.	बाजौर से शहीद मार्ग वाया श्यामपुरा, पिपराली, कटराथल (18 किमी.) (सीकर)	12 करोड़ रुपये
74.	आकड़ावास से ग्राम बालेलाव (वाया लाम्बिया) तक (10 किमी.) (मारवाड़ जंक्शन, पाली)	3 करोड़ रुपये
75.	कारोई से टहुका चौराहा (9.50 किमी.) (सहाड़ा, भीलवाड़ा)	8 करोड़ रुपये
76.	कुम्हेर बाबेन रोड से सेह तक (10.20 किमी.) (डीग, कुम्हेर, भरतपुर)	10 करोड़ रुपये
77.	साहवा से नानक टीला गुरुद्वारा (6 किमी.) (चूरू)	4 करोड़ रुपये
78.	पदमपुर-जैतसर रोड से बुड्ढा जोहड़ झील रोड व पेनोरमा को जोड़ने वाली रोड (10 किमी.) (श्रीगंगानगर)	10 करोड़ रुपये
79.	बगड़ तिराहा अलवर से शीथल तक (12 किमी.) (अलवर)	8 करोड़ रुपये
80.	रोजड़ा से बीसाधाम नालपुर तक एवं सीहोड़ में बजरंगधाम से नोपाला तक (8 किमी.) (खेतड़ी, झुंझुनू)	4 करोड़ रुपये
81.	गोवाड़ी से गायत्री शक्ति पीठ (3 किमी.) (डूंगरपुर)	2 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 13

पैरा संख्या 93 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	पुल निर्माण	लागत
1.	गुन्दोलाव झील (किशनगढ़)-अजमेर में पुल का निर्माण	8 करोड़ 6 लाख रुपये
2.	अबापुरा (गामदा) से झरनिया बोरिया, पालसवानी सड़क पर पुल निर्माण (बांसवाड़ा)	14 करोड़ 84 लाख रुपये
3.	धौलपुर में सरमथुरा रोड (बाड़ी) नाले पर 2 पुलिया का निर्माण (धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
4.	मालौनीखुर्द में पार्वती नदी पर पुल निर्माण कार्य (सेपऊ, धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
5.	सखवारा में पार्वती नदी पर निर्माण कार्य (सेपऊ, धौलपुर)	14 करोड़ रुपये
6.	भूती-रोड़ला पर पुल निर्माण (आहोर, जालौर)	4 करोड़ 50 लाख रुपये
7.	जोधपुर से फलौदी स्टेट हाईवे 61 पर जम्भेश्वर नगर में स्थित रेलवे फाटक के स्थान पर आरओबी (लोहावट)	70 करोड़ रुपये
8.	भूरी पहाड़ी एवं हाड़ौती के मध्य स्टेट हाईवे-122 पर बनास नदी पर हाई लेवल ब्रिज (7 किमी.) (सपोटरा, करौली)	90 करोड़ रुपये
9.	करमोही नदी पर पुल निर्माण (धरियावद, प्रतापगढ़)	6 करोड़ रुपये
10.	लालावतों की गुढ़ा सड़क झामरी नदी पर पुल निर्माण ग्रा.पं. गुडेल (सलूम्बर, उदयपुर)	8 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 14

पैरा संख्या 102 में उल्लिखित विवरण

I. सुनियोजित विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य-

क्र. सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1.	जयपुर हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र में 30 फुट चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं रीकारपेटिंग का कार्य	100 करोड़ रुपये
2.	अजमेर में पृथ्वीराज नगर एवं विजयाराजे सिंधिया नगर योजना में पानी वितरण की सुविधा	32 करोड़ रुपये
3.	जोधपुर के अशोक उद्यान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण	11 करोड़ रुपये
4.	जोधपुर में रातानाड़ा गणेश मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण कार्य	5 करोड़ रुपये
5.	जोधपुर के मण्डोर गार्डन में विकास कार्य	25 करोड़ रुपये
6.	जोधपुर के पावटा से मण्डोर तक गौरव पथ का निर्माण	15 करोड़ रुपये
7.	जोधपुर के कायलाना से केरु की तरफ सड़क की अतिरिक्त लेनिंग	26 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	जोधपुर में घोड़ा घाटी से सूरसागर तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण	25 करोड़ रुपये
9.	जोधपुर में नवीन डाक बंगला निर्माण	15 करोड़ रुपये
10.	जोधपुर में पाल रोड पर काक्स कुटीर से लूणी पंचायत समिति कार्यालय तक फ्लाईओवर का निर्माण	135 करोड़ रुपये
11.	जोधपुर में पाल रोड पर स्थित नहर रोड चौराहा पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य	80 करोड़ रुपये
12.	जोधपुर में पाल रोड पर स्थित अर्बन हाट का पुनरुद्धार एवं विकास कार्य	6 करोड़ रुपये
13.	भरतपुर में गोपाल नगला मोड़ से मथुरा बाई पास तक 200 फीट चौड़ाई में लगभग 13 किलोमीटर बाई पास निर्माण कार्य	300 करोड़ रुपये
14.	माउंट आबू-सिरोही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौन्दर्यीकरण के विभिन्न कार्य	5 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र. सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
15.	सवाई माधोपुर में हाउसिंग बोर्ड से जीनापुर को जोड़ने वाली लगभग 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण	5 करोड़ रुपये
16.	उदयपुर शहर में भुवाणा चौराहे से भुवाणा गांव तक एलिवेटेड रोड का निर्माण	90 करोड़ रुपये
17.	उदयपुर शहर में आयड़ नदी पर हिरण मगरी सेक्टर 3 से मादड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाले पूर्व निर्मित ब्रिज के स्थान पर 4 लेन ब्रिज का निर्माण	10 करोड़ रुपये
18.	राजस्थान उच्च न्यायालय व सचिवालय, जयपुर के सामने 500 वाहनों हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग का निर्माण	50 करोड़ रुपये
19.	चम्बल रिवर फ्रन्ट फेज-द्वितीय के विकास कार्य	350 करोड़ रुपये
20.	राजाखेड़ा-धौलपुर में बाई पास रोड पुलिस चौकी से आगरा चुंगी तक सौन्दर्यीकरण का कार्य	3 करोड़ रुपये
21.	जवाहर नगर-जयपुर में बड़े नाले की मरम्मत एवं कवरिंग का कार्य	5 करोड़ रुपये
22.	सांचौर-जालौर में बोरला तालाब को विकसित करने का कार्य	3 करोड़ रुपये
23.	जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क (WTP) से नन्दपुरी तक जाने वाले गंदे नाले का सौन्दर्यीकरण एवं सुविधाओं का विकास	10 करोड़ रुपये
24.	जोधपुर में रानीसर, पदमसर, गुलाब सागर व फतेह सागर तालाब का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य	5 करोड़ रुपये
25.	कुशलबाग मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग-बांसवाड़ा	5 करोड़ रुपये

II. सीवर लाइन एवं ड्रेनेज कार्य-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	लागत
1.	नगर में सीवर लाइन (नगर, भरतपुर)	40 करोड़ रुपये
2.	श्रीडूंगरगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर)	50 करोड़ रुपये
3.	खाजूवाला में सीवर लाइन (खाजूवाला, बीकानेर)	25 करोड़ रुपये

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत
4.	सुजानगढ़ में ड्रेनेज परियोजना (सुजानगढ़, चूरू)	25 करोड़ रुपये
5.	सालासर में सीवरेज (सुजानगढ़, चूरू)	30 करोड़ रुपये
6.	बाड़ी में सीवर लाइन (बाड़ी, धौलपुर)	20 करोड़ रुपये
7.	गन्दे पानी की निकासी हेतु पदमपुर में ड्रेनेज सिस्टम (श्रीगंगानगर)	8 करोड़ रुपये
8.	श्रीगंगानगर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम (श्रीगंगानगर)	33 करोड़ रुपये
9.	बगरू में सीवर लाइन (बगरू, जयपुर)	25 करोड़ रुपये
10.	बस्सी में पानी निकासी हेतु नाला निर्माण (बस्सी, जयपुर)	20 करोड़ रुपये
11.	रामदेवरा में सीवरेज कार्य (पोकरण, जैसलमेर)	25 करोड़ रुपये
12.	मुकुंदगढ़ में गन्दे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम (नवलगढ़, झुंझुनूं)	15 करोड़ रुपये
13.	बिलाड़ा में सीवर लाइन (बिलाड़ा, जोधपुर)	45 करोड़ रुपये
14.	लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज लाइन (लक्ष्मणगढ़, सीकर)	45 करोड़ रुपये
15.	श्रीमाधोपुर में सीवरेज लाइन (श्रीमाधोपुर, सीकर)	45 करोड़ रुपये
16.	भीनमाल में सीवरेज कार्य (भीनमाल, जालौर)	50 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 15

पैरा संख्या 110 में उल्लिखित सूची

क्र. सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1.	सोम कमला अम्बा बांध से जल प्रदाय योजना-उदयपुर	676 करोड़ 73 लाख रुपये
2.	भादरा शहरी जल प्रदाय योजना-हनुमानगढ़	95 करोड़ 64 लाख रुपये
3.	मण्डावर शहरी जल प्रदाय योजना-दौसा	21 करोड़ 41 लाख रुपये
4.	गैटोर शहरी जल प्रदाय योजना-जयपुर	37 करोड़ 16 लाख रुपये
5.	जगतपुरा शहरी जल प्रदाय योजना-जयपुर	44 करोड़ 30 लाख रुपये
6.	बाईजी की कोठी-माडल टाउन जल प्रदाय योजना-जयपुर	46 करोड़ 37 लाख रुपये
7.	रूपावतों का बेरा में उच्च जलाशय एवं वितरण प्रणाली-जोधपुर	5 करोड़ 96 लाख रुपये
8.	पीपाड़ सिटी शहरी जल प्रदाय योजना-जोधपुर	5 करोड़ 57 लाख रुपये
9.	सांचौर शहरी जल प्रदाय योजना-जालौर	47 करोड़ 96 लाख रुपये

परिशिष्ट 16

पैरा संख्या 116 में उल्लिखित सूची

I. अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु भड़ला-बीकानेर बल्क पावर कोरिडोर विकसित किया जायेगा, जिसमें प्रथम चरण में 400-400 केवी सब स्टेशन भड़ला व बीकानेर में बनाये जायेंगे, जिन्हें भविष्य में 765 केवी स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

II. कुम्हेर-भरतपुर व राजगढ़-चूरू सहित 220 केवी के 6 सब स्टेशन बनाये जायेंगे। साथ ही, नाथद्वारा-राजसमंद में 132 केवी जीएसएस को 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. 132 केवी सब स्टेशन-रलावता (किशनगढ़)-अजमेर, सीसवाली (अंता)- बारां, चितांबा (मांडल)-भीलवाड़ा, चांदरख, शिव नगर (ओसियां)-जोधपुर, ढिढोरा (हिण्डौन)-करौली, संखवास (खींवसर)-नागौर, अरनोद-प्रतापगढ़, खाजना चौड (खण्डार), पीलवा नदी (मलारना डूंगर)-सवाई माधोपुर तथा कटराथल-सीकर सहित 132 केवी के 15 नये सबस्टेशन बनाये जायेंगे।

IV. 33/11 केवी जीएसएस-रघुनाथगढ़ (रामगढ़)-अलवर, सांकली (अंता), गंदोलिया, महोदरा (किशनगंज), बीलखेड़ा डांग (किशनगंज)-बारां, एकल (सेडवा), मण्डापुरा, छतरियों का मोर्चा, बालोतरा (पचपदरा), मतुजा, नींबासर (शिव)-बाड़मेर, रामपुरा (बयाना), तलछेरा (नदबई)-भरतपुर, भीटा (रायपुर)-भीलवाड़ा, मेउसर (डूंगरगढ़), भानसर (खाजूवाला), उडसर (नोखा)-बीकानेर, नाहरसरा, भानीपुरा (सरदारशहर), कालेरान (सुजानगढ़)-चूरू, बसवा (बांदीकुई), गुमानपुरा एवं घूमणा (सिकराय)-दौसा, डण्डौली, रहसैना (राजाखेड़ा)-धौलपुर, बिसरासर, न्योलखी (नोहर)-हनुमानगढ़, आकोदिया (चाकसू), नीमला, श्रीनगर (जमवारामगढ़)-जयपुर, तीखी (सायला)-जालौर, बडाऊ (खेतड़ी), भोमपुरा-झुंझुनूं, सालोड़ी (लूणी)-जोधपुर, दुदौली (डीडवाना)-नागौर, पण्डावा-प्रतापगढ़, मंढोली (नीमकाथाना)-सीकर, सनपुर-सिरोही, मुडासेल (घाटोल)-बांसवाड़ा एवं हाउसिंग बोर्ड (सागवाड़ा)-डूंगरपुर में स्थापित किये जायेंगे।

V. जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण एवं अलवर विद्युत सर्किल को विभाजित कर 6 सर्किल बनाये जायेंगे।

VI. कोशीथल (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, चिखली-डूंगरपुर, रोजदा (जालसू)-जयपुर, रामजीका गोल (गुडामालानी)-जोधपुर, कुमावास (नवलगढ़)-झुंझुनूं

सूरौठ (हिण्डौन)-करौली, नयागांव (खेरवाड़ा)-उदयपुर, सातड़ा-चूरू व बीरमाना (सूरतगढ़)-श्रीगंगानगर में सहायक अभियंता (विद्युत) तथा फतेहपुर-सीकर, जायल व परबतसर-नागौर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

परिशिष्ट 17

पैरा संख्या 120 में उल्लिखित सूची

ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक-एक लव-कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसको विस्तार देते हुए आगामी वर्ष भी एक-एक लव-कुश वाटिका समरिया हरडा-अजमेर; मचाड़ी-अलवर; मण्डोक महादेव-बांसवाड़ा; छबड़ा/छीपाबड़ौद-बारां; धोरीमना हिल्ली-बाड़मेर, झील का बाड़ा-भरतपुर; हमीरगढ़-भीलवाड़ा; खाजूवाला/कोलायत-बीकानेर; भारदा डैम-बूंदी; पिपलीखेड़ा-चित्तौड़गढ़; गोपालापुरा (डूंगरबालाजी)-चूरू; झाझीरामपुरा कुन्ड-दौसा, मदनपुर-धौलपुर; घाटामाविता-डूंगरपुर; नोहर/भादरा-हनुमानगढ़; कूकस-जयपुर; लाठी-जैसलमेर, कालाघाटा-जालौर; झालरापाटन-झालावाड़; खेतानाथ बावड़ी-झुंझुनूं मण्डोर-जोधपुर; बनीदेवी-करौली; मोडक/सांगोद-कोटा; कुचामनसिटी-नागौर; पालीचक-पाली; रणिया मगरी-प्रतापगढ़; नाथद्वारा-राजसमंद; चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर; लक्ष्मणगढ़-सीकर; और (आबूरोड)-सिरोही; सूरतगढ़-श्रीगंगानगर; दूधिया बालाजी-टोंक एवं जोरमा-उदयपुर में विकसित की जायेगी। इन पर 2-2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

परिशिष्ट 18

पैरा संख्या 125 में उल्लिखित विवरण

I. विरासत नगरी आमेर-जयपुर को Iconic Destination के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके अंतर्गत कार पार्किंग, ई-वाहनों का संचालन, musical fountain, रोपवे, हैरिटेज वॉकवे, कैम्पिंग साइट्स/रिसोर्ट्स आदि से सम्बन्धित कार्य करवाये जायेंगे।

II. तीर्थराज पुष्कर-अजमेर और मेला क्षेत्र को अन्तरराष्ट्रीय कैंप सिटी (Camp City) के रूप में विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपये की लागत से DPR बनायी जायेगी।

III. शाकम्भरी-लोहार्गल-झुंझुनूं एवं रणकपुर-परसराम महादेव- भीलबेरी-पाली को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक संभाग में 2-2 Nature Walk Trails, Desert Safari Trails, Trekking Routes, Food Trails को चिन्हित कर अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा।

IV. Water based पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेवटा व कानोता बांध-जयपुर, बंध बारेठा-भरतपुर, कायलाना व सूरपुरा बांध-जोधपुर, हेमावास बांध-पाली, कोट बांध (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं आदि को Eco Adventure Tourism Sites के रूप में विकसित किया जायेगा।

V. खेतड़ी की प्राचीन विरासतों-मोती महल, अमर हॉल आदि एवं खेतड़ी हाउस-जयपुर का जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। साथ ही, जोधपुर के हैरिटेज स्मारकों, मंदिरों एवं परकोटे आदि का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।

VI. खासा कोठी-जयपुर का पूर्ण पुनरुद्धार करते हुए 150 करोड़ रुपये की लागत से Star Hotel cum State Guest House के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 19

पैरा संख्या 126 में उल्लिखित विवरण

I. लक्ष्मीनाथ जी, राज रतन बिहारी मंदिर-बीकानेर; तेजाजी महाराज सुरसूरा-अजमेर; राधा माधव जी (जयपुर मंदिर) वृंदावन, कुशलबिहारी जी, बरसाना-भरतपुर: रामचन्द्र जी, सिरहढ्योढ़ी बाजार, बड़ी चौपड़-जयपुर श्री डाढ़ देवी मंदिर-कोटा; चारभुजा जी (सिंगोली श्याम) (माण्डलगढ़)-भीलवाड़ा, मंगलेश्वरजी मातृकुण्डिया-चित्तौड़गढ़, गोगाजी (गोगामेड़ी)-हनुमानगढ़, बाबाजी राज (मांगरोल)-बारां, रामदेवरा (रूणीजा)-जैसलमेर, जस नगर व थांवला के शिव मंदिर, तेजाजी महाराज खरनाल-नागौर, जलदेवी माताजी सांसेरा (नाथद्वारा)-राजसमंद एवं नीमच माता जी मंदिर-उदयपुर में भवनों के स्थापत्य के संरक्षण व जीर्णोद्धार के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, श्री देवधाम जोधपुरिया (निवाई)-टोंक एवं देवनारायण जन्म स्थली मालासेरी आसीन्द-भीलवाड़ा में विकास कार्य करवाये जाएंगे।

II. प्राचीन छतरियां भाद्राजून व तोपखाना-जालौर, तालाबशाही-धौलपुर, गागरोन किला - झालावाड़, शाहबाद व नाहरगढ़ किला-बारां, किशोरीमहल-भरतपुर तथा मचाडी किला, रानी का कुआं, बराही माता मंदिर-अलवर इत्यादि में संरक्षण व जीर्णोद्धार कार्य करवाये जाएंगे।

III. चावंड-उदयपुर में महाराणा प्रताप का, सेतरावा (शेरगढ़)-जोधपुर में देवराजजी का, देसूरी-पाली में बिकाजी सोलंकी का, शाहपुरा-भीलवाड़ा में रामस्नेही सम्प्रदाय के संतों का, जालीपा-बाड़मेर में संत ईशरदास का, बूंदी में बूंदा जी मीणा का, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का, डीग-भरतपुर में महाराजा सूरजमल का एवं मचाड़ी-अलवर में राजा हेमू का पेनोरमा बनाया जायेगा। साथ ही, डीग-भरतपुर में संग्रहालय का निर्माण भी किया जायेगा।

परिशिष्ट 20

पैरा संख्या 136 में वर्णित विवरण

I. पुलिस कार्यालय-

(a) वैर-भरतपुर, परबतसर-नागौर एवं खेरवाड़ा-उदयपुर में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,** धौलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडीएफ) एवं अरनोद-प्रतापगढ़, तालेडा-बूंदी, पहाड़ी (कामां)-भरतपुर, गंगाशहर-बीकानेर, रामसर (शिव)-बाड़मेर, बौंली-सवाई माधोपुर, खण्डेला, अजीतगढ़ (श्रीमाधोपुर)-सीकर में **पुलिस उप अधीक्षक** कार्यालय खोले जायेंगे।

(b) **नवीन पुलिस थाने-** वैशाली नगर, बासदयाल (बानसूर)-अलवर, हदां (श्रीकोलायत), मुक्ता प्रसाद नगर-बीकानेर, राहुवास (लालसोट)-दौसा एवं बोरूंदा (बिलाड़ा)-जोधपुर में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे। साथ ही डीडवाना-नागौर में महिला पुलिस थाने खोले जायेंगे।

(c) पुलिस चौकी-अंगाई-धौलपुर, मोर-टोंक, सुलताना, बबाई-झुंझुनूं, जनूथर (नगर)-भरतपुर, निम्बी जोधा (लाडनूं), बडू (परबतसर)-नागौर एवं डाबला (नीमकाथाना)-सीकर को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

(d) **नवीन पुलिस चौकियां**-रामगढ़ (मसूदा) अजमेर, सिलीसेढ़, टिकरी (कठूमर), हरसोली (किशनगढ़बास), घाटा बान्दरोल, गोठड़ा (तिजारा)-अलवर, छोटी सरवा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, सनावड़ा, लीलसर (चौहटन)-बाड़मेर, सैयदपुरा-भरतपुर, निहालपुरा (सिकराय), आभानेरी (बांदीकुई), कुंडल-दौसा, मालौनीखुर्द-धौलपुर, गडामोरैया, काकरादरा-डूंगरपुर, सोयला, नांदियाखुर्द (औसियां). देवातड़ा (भोपालगढ़), खुडियाला (शेरगढ़)-जोधपुर, बड़ी उदेई (गंगापुर सिटी)-सवाई माधोपुर, लुहारवास, होद (खंडेला)-सीकर, मलारना चौड़-सवाई माधोपुर, उनियारा खुर्द, राणौली (निवाई)-टोंक, सुराणा (सायला)- जालौर सहित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पुलिस चौकियां खोली जायेंगी। साथ ही, श्री शाकम्भरी माता मंदिर, सांभरलेक-जयपुर में स्थायी पुलिस चौकी खोली जायेगी।

(e) 75 पुलिस चौकियों, 50 पुलिस थानों, 30 पुलिस उप अधीक्षक एवं 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, आरएसी, विभिन्न बटालियन व ज़िलों के प्रशासनिक भवनों एवं बैरकों का निर्माण करवाया जायेगा। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

(f) प्रत्येक जिला स्तर पर 24x7 काम करने हेतु विशेष तकनीकी योग्यता रखने वाली Quick Investigation Disposal Teams गठित की जायेंगी।

(g) पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से सम्बन्धित कार्य की अधिकता को देखते हुए एक-एक IT कांस्टेबल उपलब्ध करवाया जायेगा तथा पुलिस तकनीकी संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाये जाने भी प्रस्तावित हैं।

(h) प्रदेश में नशे की समस्या तथा इससे सम्बन्धित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए Special Task Force (Anti Drugs) की स्थापना करने के साथ ही 9 नवीन Anti Drugs चौकियों की भी स्थापना की जायेगी।

(i) आगामी वर्ष 10 ज़िलों के वायरलैस को Analogue की जगह Digital आधारित किया जायेगा। इस पर 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(j) साक्ष्यों के त्वरित संग्रहण एवं एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु 100 Mobile Investigation Units संचालित हैं। इन इकाइयों की महती भूमिका को देखते हुए इनके लिए **50 नये वाहन** उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से-

(a) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा-उदयपुर को Institute of Jungle and Field Craft के रूप में विकसित किया जायेगा।

(b) सिलोरा (किशनगढ़)-अजमेर में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जायेगी।

(c) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर की प्रशिक्षण क्षमता 500 से बढ़ाकर एक हजार की जायेगी।

(d) फायरिंग क्षमता में वृद्धि करने हेतु जयपुर में Indoor Shooting Range स्थापित की जायेगी।

III. न्यायालय

(a) मालाखेड़ा, कठूमर-अलवर, राजाखेड़ा-धौलपुर, टोडाभीम-करौली, भीम-राजसमंद, रायसिंहनगर-श्रीगंगानगर, फागी-जयपुर, खेतड़ी-झुंझुनूं एवं पदमपुर-श्रीगंगानगर में **अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय** खोले जायेंगे। साथ ही, विराटनगर-जयपुर एवं नावां नागौर में **अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय** (कैम्प कोर्ट) खोले जायेंगे।

(b) रामगढ़-अलवर, वैर-भरतपुर, सीकर, उदयपुर, ब्यावर-अजमेर, मावली-उदयपुर, टोंक, बयाना-भरतपुर, आबू रोड-सिरोही एवं रेलमगरा-राजसमंद में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(c) सीकर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बालोतरा-बाड़मेर, बांदीकुई-दौसा में **अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(d) अरांई (किशनगढ़), भिनाय-अजमेर, गोविन्दगढ़-अलवर, श्रीकरणपुर, सादुलशहर-श्रीगंगानगर, नगर-भरतपुर शिव-बाड़मेर एवं पीलवा (परबतसर), खींवसर-नागौर में **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(e) जोधपुर में **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय**,

(f) बगरू-**जयपुर में सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय,**

(g) उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा में **विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय,**

(h) जोधपुर में **विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालय,** तथा

(i) **जोधपुर में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) खोला जायेगा।**

परिशिष्ट 21

पैरा संख्या 148 में उल्लिखित सूची

I. रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, भीनमाल-जालौर, सीकर (सिटी) एवं मालपुरा-टोंक में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोले जायेंगे।

II. रींगस-सीकर, माधोराजपुरा (चाकसू)-जयपुर एवं टपूकड़ा (तिजारा)-अलवर में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित है।

III. अलीगढ़-टोंक में नवीन तहसील कार्यालय खोला जायेगा।

IV. राजलदेसर-चूरू, मांढण (बहरोड), प्रतापगढ़ (थानागाजी)-अलवर, रूदावल (बयाना), जुरहरा (कामां)-भरतपुर, हदां (कोलायत)-बीकानेर, बाटाड़ू (बायतु)-बाड़मेर, भांडारेज-दौसा, जालसू-जयपुर, पिलानी-झुंझुनूं एवं रायथल-बूंदी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. बघेरा (केकड़ी)-अजमेर, डूंगरा छोटा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, हरसानी (शिव)-बाड़मेर, ददरेवा (तारानगर)-चूरू, बसई (बाडी), नादनपुर (बसेड़ी)-धौलपुर, नारंगदेसर-हनुमानगढ़ रेनवाल मांजी (चाकसू), चंदवाजी (चौमूं)-जयपुर, गीजगढ़ (सिकराय)-दौसा, बबाई (खेतड़ी)-झुंझुनूं कैलादेवी-करौली, लूणवा (नावां). दीनदारपुरा (लाडनूं)-नागौर कल्याणपुर (खेरवाड़ा)-उदयपुर एवं रिडमलसर (पदमपुर)-श्रीगंगानगर में उप तहसील खोली जायेंगी।

VI. राज्य में 40 नवगठित नगरीय निकायों में 200 करोड़ रुपये की लागत से निकाय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

VII. राजस्व मण्डल, कलक्टर कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय तथा तहसीलों के निर्माण, मरम्मत तथा आमजन से सम्बन्धित सुविधाओं के कार्य 125 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

VIII. जिला प्रशासन की कार्यकुशलता बढाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 250 नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

IX. नवीन नगरपालिका-रैणी (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़), मुण्डावर, मालाखेड़ा-अलवर, रायपुर (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, हिण्डौली-बूंदी, बसवा (बांदीकुई). रामगढ़ पचवारा (लालसोट)-दौसा, दूदू-जयपुर, आहोर-जालौर, शेरगढ़, बाप-जोधपुर, रामदेवरा-जैसलमेर, मंडरायल (सपोटरा)-करौली, भीम-राजसमंद, खेरवाड़ा-उदयपुर, सुकेत-कोटा एवं सिंघाणा (बुहाणा)-झुंझुनूं को नगरपालिका बनाया जायेगा। साथ ही, नावां-नागौर व शाहपुरा-जयपुर की नगरपालिका को उच्चतर श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा।

X. नगरपालिका चौमूं-जयपुर एवं फतेहपुर-सीकर को नगर परिषद् में एवं अलवर नगर परिषद् को नगर निगम में क्रमोन्नत किया जायेगा।

XI. सूचना के अधिकार (RTI) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

XII. सावर (केकड़ी)-अजमेर, भिवाड़ी (तिजारा)-अलवर, कल्याणपुर (पचपदरा)-बाड़मेर व निवाई-टोंक में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) तथा नारायणपुर (बानसूर)-अलवर, बांदीकुई-दौसा, जमवारामगढ़-जयपुर व नाथद्वारा-राजसमंद में अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) के कार्यालय खोले जायेंगे।

XIII. नारायणपुर (बानसूर)-अलवर, तारानगर-चूरू, बसेड़ी-धौलपुर, फागी (दूदू)-जयपुर व मण्डरायल (सपोटरा)-करौली में अधिशाषी अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के कार्यालय खोले जायेंगे।

XIV. खेतडी-झुंझुनूं में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय खोला जायेगा।

परिशिष्ट 22

पैरा संख्या 173 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	परियोजनाएं/कार्य	लागत
1.	राजसमंद बांध में जल उपलब्धता अभिवृद्धि हेतु खारी फीडर की क्षमता संवर्द्धन का कार्य-राजसमंद	80 करोड़ रुपये
2.	अनास नदी पर सांग डूंगरी एनिकट का निर्माण-बांसवाड़ा	80 करोड़ रुपये
3.	अनास नदी पर थापड़ा एनिकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण-बांसवाड़ा	135 करोड़ रुपये
4.	टीडिया देव से एम.एस.टी. का निर्माण-बांसवाड़ा	20 करोड़ रुपये
5.	छोटी सरवन में दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना-बांसवाड़ा	125 करोड़ रुपये
6.	कसारवाड़ी क्षेत्र में अनास नदी पर एनिकट निर्माण व सिंचाई सुविधा के कार्य-बांसवाड़ा	50 करोड़ रुपये
7.	कागदी पिकअप वियर के डाउन स्ट्रिप एस्केप चैनल की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य-बांसवाड़ा	50 करोड़ रुपये
8.	गागरिन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य-झालावाड़	35 करोड़ रुपये
9.	देवद कराड़िया में एम.एस.टी. का निर्माण-प्रतापगढ़	65 करोड़ रुपये
10.	अटरू शहर को बाढ़ से बचाने हेतु बुधसागर तालाब डायवर्जन चैनल का कार्य-बारां	30 करोड़ रुपये
11.	कवाई तालाब के सुदृढ़ीकरण, विकास तथा अधिशेष जल के उपयोग हेतु एस्केप चैनल निर्माण-बारां	11 करोड़ रुपये
12.	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य-झालावाड़	38 करोड़ रुपये
13.	अलनियां मध्यम सिंचाई परियोजना की शेष रही कच्ची नहर की लाइनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य-कोटा	30 करोड़ रुपये

क्र.सं.	परियोजनाएं/कार्य	लागत
14.	राजगढ़-पुरा गांव में एनिकट एवं कॉजवे का निर्माण-झालावाड़	19 करोड़ रुपये
15.	राजगढ़ गांव में कन्ठाली नदी से होने वाले कटाव को रोकने का कार्य-झालावाड़	16 करोड़ रुपये
16.	आहोर एवं जालौर में जवाई नदी पर 10 सब सरफेस बेरियर के निर्माण-जालौर	25 करोड़ रुपये
17.	एनिकट रतनपुरा (आनन्दपुरी) बांसवाड़ा में फव्वारा सिंचाई (बागीदौरा, बांसवाड़ा)	20 करोड़ रुपये
18.	परवन लिफ्ट (तुलसा) परियोजना के माइनरों का जीर्णोद्धार (अंता, बारां)	30 करोड़ रुपये
19.	माण्डपुर लिफ्ट परियोजना के एनिकट से सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा (अंता, बारां)	9 करोड़ रुपये
20.	अंबामाता बांध से एलएमसी नहर का निर्माण (धरियावद, प्रतापगढ़)	5 करोड़ रुपये
21.	बड़ी मानसरोवर बांध एवं भावलिया बांध के अधिशेष जल से क्रमश: 600 व 150 हैक्टेयर अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण (चित्तौड़गढ़)	17 करोड़ रुपये
22.	Repair, Restoration and Renovation of Water Bodies (RRR कार्यक्रम के अन्तर्गत) के जीर्णोद्धार कार्य	125 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 23

पैरा संख्या 174 में उल्लिखित विवरण

I. मुख्य नहर से निकलने वाली शाखाओं-अनूपगढ़ ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच, रावतसर ब्रांच एवं पूगल ब्रांच तथा इनकी वितरिकाओं/माइनरों एवं मुख्य नहर की आर.डी. 0 से आर.डी. 620 से निकलने वाली सीधी वितरिकाओं के जीर्णोद्धार के कार्य 733 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

II. मुख्य नहर की आर.डी. 200 से आर.डी. 620 तक की 65 किलोमीटर बेड लाइनिंग के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

III. नहर परियोजना की 22 हजार 831 हैक्टेयर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया जायेगा, जिस पर 292 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

IV. चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के तारानगर क्षेत्र में शेष रहे 16 हजार हैक्टेयर में 100 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर (Sprinkler) सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

V. कंवरसेन लिफ्ट प्रणाली की वैद्य मघाराम वितरिका के 25 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाये जायेंगे।

VI. इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1254 से 1458.5 के मध्य से निकलने वाली सीधी नहरों एवं वितरिकाओं में 40 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जायेंगे।

VII. सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर मय स्ट्रक्चर्स में 50 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जायेंगे।

VIII. जैसलमेर क्षेत्र की नहरों से silt निकालने का कार्य किया जायेगा।

परिशिष्ट 24

पैरा संख्या 187 में उल्लिखित विवरण

I. **पशु चिकित्सा उप केन्द्र**-माधोपुर (बेगूं)-चित्तौड़गढ़, साडासर (सरदारशहर)-चूरू, रायकरणपुरा (कोटपूतली)-जयपुर, केरपुरा (कुचामन)-नागौर, रूलाना (दांतारामगढ़)-सीकर सहित नवगठित एक हजार 200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जायेंगे। इस पर लगभग 22 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

II. **पशु चिकित्सा उप केन्द्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत**-मुकाम (नोखा)-बीकानेर, जैतासर (सरदारशहर)-चूरू, नांगल पण्डितपुरा (कोटपूतली), जवानपुरा (विराटनगर)-जयपुर, बेरु (लूणी)-जोधपुर, मण्डावरा (कुचामन सिटी)-नागौर, भटेवर (वल्लभनगर) एवं वाना (भीण्डर)-उदयपुर सहित 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। इस हेतु 125 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. **पशु चिकित्सालय से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत**-कादेडा (केकड़ी) अजमेर, मांढण-अलवर, बडियालकलां (बैजूपाडा) पापड़दा (सिकराय)-दौसा, चौरू (फागी), नायला (जमवारामगढ़) कुचौर आथुणी (श्रीडूंगरगढ़). झिझिनियाली (फतेहगढ़), म्यांजलार (सम) जैसलमेर, केतु मदा (सेखाला)-जोधपुर, रायथल-बूंदी, झाडेली (जायल)-नागौर, कोटडी लुहारवास, ठिकरिया (खण्डेला)-सीकर, पालडी एम-सिरोही को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, कोटा में नवीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोला जायेगा।

IV. **प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय**-कालवाड़-जयपुर, हिण्डौन-करौली, देवगढ (भीम)-राजसमंद एवं लक्ष्मणगढ़, धोद-सीकर को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जयपुर के भवन निर्माण, आधुनिक उपकरण आदि पर लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

VI. 600 नवसृजित पशु चिकित्सा संस्थाओं में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी।

VII. दवाइयों की गुणवत्ता कायम रखने के दृष्टिगत 6 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं में कोल्ड चेन सुविधा एवं विद्युतीकरण आदि पर 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

VIII. रामसर-अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर एवं नागौर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जायेंगे।

IX. सरकारी पशु चिकित्सालयों में उपकरण, मशीन एम्बुलेंस, दवाइयों एवं निर्माण कार्यों हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।